Saturday,
01 October 1955

LOK SABH DEBATES

Tenth Session, 1955

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

CONTENTS

(19th September to 1st October 1955)

COLUMNS

nday 19th September, 1955.

Oral Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 1870 to 1872, 1874 to 1878, 1883, 1884, 1889, 1896 to 1903, 1905 to 1907, 1909, 1912, 1916 to 1918, 1920 and 1921 . . . . 4863—97

Vritten Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 1868, 1869, 1873, 1879, 1880 to 1882, 1885 to 1888, 1890 to 1895, 1904, 1908, 1910, 1911, 1913 to 1915, 1919, 1922 to 1925 and 1927 to 1935 . . . . 4897—13

Unstarred Questions Nos. 992 to 1027 . . . . 4914—34

esday 20th September, 1955.

al Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 1936, 1937, 1941 to 1944, 1946 to 1948, 1950, 1951, 1955, 1956, 1958, 1959, 1962, 1964, 1967 to 1970, 1939 and 1940 . . . . 4931—58

hort notice Question No. 10. . . . . . . 4958—60

ritten Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 1938, 1945, 1949, 1952 to 1954, 1957, 1960, 1961, 1963, 1965, 1966, 1971 and 1972 . . . . . . 4960—65

Unstarred Questions Nos. 1028 to 1045. 4965—72

ednesday 21st September, 1955.

Oral Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 1975, 1977, 1979, 1980, 1984, 1986 to 1988, 1991, 1992, 1994 to 1998, 2003 to 2006, 2008, 2010 to 2014, 2016, 2018, 2020, 2023 and 2025 . . . . 4973—5003

Written Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 1973, 1974, 1976, 1978, 1981 to 1983, 1985, 1989, 1990, 1993, 1999 to 2002, 2009, 2015, 2017, 2019, 2021, 2022, and 2026 to 2032 . . . . 5003—15

Unstarred Questions Nos. 1046 to 1071 . . 5015—28

ursday 22nd September, 1955.

al Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 2033 to 2036, 2038 to 2041, 2044, 2046, 2048, 2051, 2055, 2056, 2058 to 2062, 2066 to 2070, 2072 to 2077, 2079 to 2081 and 2084 . . . . 5029—64

Written Answers to Questions—

tarred Questions Nos. 2037, 2042, 2043, 2045, 2047, 2049, 2050, 2052 to 2054, 2063, 2065, 2071, 2078 and 2085 to 2090 . . . . 5064—72

Unstarred Questions Nos. 1072 to 1119 . . . . 5072—96

Friday, 23rd September, 1955.

Oral Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 2091 to 2094, 2098 to 2100, 2103, 2105 to 2109, 2111, 2116, 2119 to 2121, 2124 to 2126, 2131, 2132, 2102, 2117, 2122, 2118, 2129 and 2130 5097-

Written Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 2095 to 2097, 2101, 2104, 2110, 2112, 2114, 2115, 2123, 2127 and 2128 5128

Unstarred Questions Nos. 1120 to 1134 5133

Monday, 26th September, 1955.

Oral Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 2133 to 2146, 2149, 2151, 2152, 2155 to 2157, 2159, 2161 to 2166, 2169 and 2170 5141-

Written Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 2147, 2148, 2150, 2153, 2154, 2158, 2160, 2167, 2168, 2171 to 2178, 2180 to 2186 5171

Unstarred Questions Nos. 1135 to 1157 5181-

Tuesday, 27th September, 1955.

Oral Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 2187 to 2194, 2196 to 2202, 2204 to 2206, 2209 to 2212, 2216 to 2219, 2221, 2222 and 2225 to 2230 . . . 5193-

Short Notice Question No. 11 5228

Written Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 2195, 2203, 2207, 2208, 2213 to 2215, 2220, 2223, 2224 and 2231 to 2263 523

Unstarred Questions Nos. 1158 to 1168 and 1170 to 1215 . . . 524

Wednesday, 28th September, 1955.

Oral Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 2266, 2267, 2270, 2272, 2273, 2275, 2276, 2278, 2280 to 2283, 2286, 2287, 2289 to 2291, 2295 to 2300, 2303, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311 and 2312 52

Short Notice Question No. 12 5

Written Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 2265, 2269, 2271, 2274, 2277, 2279, 2284, 2285, 2288, 2292 to 2294, 2301, 2302, 2304, 2309, 2310, 2313 to 2338 . 53

Unstarred Questions Nos. 1216 to 1222, 1224 to 1252, 1254 to 1266 . 5

Thursday, 29th September, 1955.

Oral Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 2339 to 2344, 2346, 2349 to 2352, 2354 to 2358, 2360 to 2362, 2364, 2366, 2367 to 2369, 2372, 2390, 2373, 2375 and 2392 . . . .

Short Notice Questions Nos. 13 to 16 5

COLUMNS

tten Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 2345, 2347, 2348, 2353, 2359, 2363, 2370, 2371, 2376 to 2384, 2384-A, 2385 to 2389, 2391, 2391-A, and 2393 to 2399. . . . . 5380—93

Untarred Questions Nos. 1267 to 1300, 1300-A, and 1300-B. . 5393—5408

30th September, 1955.

Answers to Questions—

rred Questions Nos. 2401 to 2405, 2408 to 2410, 2413, 2446, 2414 to 2416, 2418 to 2421, 2423 to 2425, 2427 to 2431, 2455, 2433 and 2462. . . . . 5409—41

Short Notice Questions Nos. 17 to 20 . . . . 5441—49

Written Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 2400, 2407, 2411, 2412, 2417, 2422, 2432, 2434 to 2445, 2447 to 2454, 2456 to 2461, 2463 to 2473. . . 5449—66

Unstarred Questions Nos. 1301 to 1369. . . . . 5466—5500

day, 1st October, 1955.

ral Answers to Questions—

Short Notice Questions Nos. 21 and 22 . . . . 5501—10

Index . . . . 1—129

LOK SABHA

Saturday 1st October 1955

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the chair.*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Short Notice Questions and Answers

States' Re-organisation Commission

S. N. Q. No. 21. Shri Raghuramaiah: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the States' Reorganisation Commission has since submitted its report to Government;

(b) if not, when exactly it is expected to be in the hands of Government; and

(c) when the report is likely to be published?

The Minister of Home Affairs (Pandit G. B. Pant): The report of the States' Reorganisation Commission was received by the Government yesterday afternoon. I hope it will be possible to publish it within the next two weeks.

Shri Raghuramaiah: May I know, in view of varying reports appearing in the daily papers this morning and the possibility of the public being agitated over what might ultimately prove to be wrong forecasts, whether Government are considering publishing at least a summary of it?

Pandit G. B. Pant I think our public can be relied upon not to be excited over these speculative reports.

Shri Kamath : What according to the expectations of Government will be the time required for putting through the necessary legislation in the Assemblies and in Parliament under Article 4 of the Con stitution and for the delimitation of the border constituencies?

351 LSD—1

Pandit G. B. Pant : If all co-operate whole-heartedly and unreservedly it should be possible to complete the entire process before the next elections.

Shri Kamath : Is it a fact that, as reported in the press, the Prime Minister stated in his press conference the other day that the proposals of this Commission will be implemented and enforced before the next elections early in 1957, and does the Home Minister also agree with this proposition?

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shri Jawaharlal Nehru) : That is not correct.

Shri Kamath : I said] as reported in the press.

Shri Jawaharlal Nehru : I do not know whether 1957 and other things come in.

Shri Kamath : What was the correct thing?

Mr. Deputy-Speaker : So far as the implementation is concerned the hon. Minister has already said that they will do it before the next elections. He has added to the tail end of it to say that he was making it appear that the Government is committed to have the elections early in 1957 and so on.

Shri Jawaharlal Nehru : The press conference was held before we knew anything about the report. I said I know nothing about it but we are anxious, on general principles we want, to finish this before the elections.—that is what I said —and the elections should be held at the right time, maybe a month this way or that way. That is what I said.

Shri Kamath : Will the Prime Minister be so good as to tell the House whether it is correct, as reported in the press, that the Congress Working Committee which is scheduled to meet this month will consider this report and the recommendations; if so, whether other parties in the country and Members of Parliament will have simultaneolsly made available to them the recommendations of the Commission, if not the entire report, as otherwise it will be discrimination in favour of one party alone ?

Pandit G. B. Pant : I think all parties will have equal opportunity to co-operate with the Government in seeing this through.

Shri Kamath : May I submit that the co-operation must be on a reciprocal basis? If Government co-operates, we will also co-operate.

Mr. Deputy-Speaker : We are entering into a discussion.

Shri Sivamurthi Swami : In view of the shortness of the time given to the Commission, may I know whether the Government has expressed its views before the Commission as to what should be the general policy of the procedure with regard to boundary questions; and may I know whether questions settled by judicial persons, just like Bellary, will not be reopened in any case and on any condition?

Pandit G. B. Pant : Government did not take any steps to influence the Commission with regard to any matter whatsoever.

Dr. Suresh Chandra : May I know whether there is any truth that there has been leakage in regard to the report ?

Pandit G. B. Pant : Well, I do not know what leakage means.

Shri S. N. Das : May I know whether the report has been sent to the various State Government and, if so, whether any time-limit has been set for them to send their opinions?

Pandit G. B. Pant : The report is being sent to the State Governments and it is expected that they will, considering the importance of the subject, give thought to the proposals as early as they can manage to do so.

Dr. Ram Subhag Singh : May I know whether the area or areas which are likely to be added to or subtracted from a particular State are going to be administered in the interim period by the same administration ?

Pandit G. B. Pant : Well, we are not here solving any problems of arithmetic about addition or subtraction.

Pandit Thakur Das Bhargava : The hon. the Home Minister very well knows how tense the situation in the country is. Many people are awaiting the results. May I ask him what his reply is about the question of publication of the summary of the report in regard to boundaries of States?

Pandit G. B. Pant : I do not think there is any tension. Everywhere I see calm, and undisturbable calm will continue. As to the publication of the summary, I think it would not be fair to the reader or to the Commission to publish the summary without letting the reader have the reasons on which the proposals or recommendations are based.

Shri S. S. More : In view of the statement that the views from the States have been invited by this Government, may I know whether the views invited from the State Governments are the views of the executive government or of the State legislature also?

Pandit G. B. Pant : The legislatures will have ample opportunity of expressing their opinion, and the States will be required to consult their respective legislatures.

Mr. Deputy-Speaker : The hon. Member, Shri Raghavachari, wanted to put a question.

Shri Raghavachari : The question has been put by Pandit Bhargava.

Shri Punnoose: It is stated that the report will be sent to the various State Governments very soon. May I know whether the Governments are obliged to send their reactions to the Central Government, or are they free to ventilate their opinions in public?

Pandit G. B. Pant : I think the representatives of the public in different places will try to ascertain the opinion from all quarters from which they consider it worth while having such opinion.

Shri Kasliwal : Is it a fact that the life of this Commission has been extended so that the Commission may be available for the implementation of the report?

Pandit G. B. Pant : No. The implementation is no part of the business of the Commission. But its help will be taken within a week or two to elicit certain points which may not be quite clear.

Shri Raghuramaiah : May I know whether the consultation with the State Legislatures which is contempulated unde article 3 of the Constitution will be at a later stage, at the present moment only the opinion of the State Governments being called for?

Pandit G. B. Pant : No. I presume that the State Governments will consult their legislature before reaching any final opinion themselves.

Shri H. N. Mukerjee : Will Government tell us whether, when Government comes before Parliament, we shall have a *fait accompli* or whether Government will defer decision on the matter till after Parliament's intentions are properly ascertained ?

Pandit G. B. Pant : The Government will not take any final decision till the Parliament has considered the matter.

Shri Jaipal Singh : May I know how the views of Part C States would be obtained?

Pandit G. B. Pant : Part C States do exist today.

Shri Jaipal Singh What would be the machinery by which their views would be obtained?

Pandit G. B. Pant : Everyone is free to stand his views on the subject; Part C States have their own organisation and also their administrative officers.

Shri Gadgil : May I know whether the State Governments are being consulted about the desirability of publishing the report about or the merits of the recommendations?

Pandit G. B. Pant : So far as the desirability of publishing the report is concerned, I think there is unanimity that it should be published.

Shri Kamath : Has the attention of Government been drawn to the Bombay Chief Minister's reported statement in this morning's papers that members of the ruling party — the Congress Party — in the legislatures, will be free to consider the report and the recommendations of this commission and vote without a party whip and if so is it a premature declaration or is it the policy of the party in this matter?

Pandit G. B. Pant : Sir, matters concerning political parties and the way they conduct their affairs I submit need not take the time of the House.

Mr. Deputy-Speaker : The question also is a premature one.

Shri U. M. Trivedi : May I ask one question?

Mr. Deputy-Speaker : How can I allow every hon. Member?

Shri U. M. Trivedi : I will ask only one question.

May I know if the Government visualises remission of this report back to the Commission if different States have expressed different opinions?

Pandit G. B. Pant: Of course, when the final decision is to be taken by Parliament, it will have before it the view of all the States and whatever the Parliament decides will be binding on the Government.

Shri Kamath: My question related to the Bombay Chief Minister's statement.

Mr. Deputy-Speaker: He did not say it as Chief Minister; he said it in his capacity as a Congressman.

BHARAT INSURANCE COMPANY

S. N. Q. No. 22. **Shri K. P. Tripathi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Bharat Insurance Company has been converted into an investment company;

(b) whether funds of the said company are involved in a misappropriation case; and

(c) if so, the steps that Government proposed to take to safeguard the interests of the insured, the workers, and the public?

The Minister of Finance (Shri C. D. Deshmukh) : (a) No, Sir.

(b) Yes, the funds of the insurer are involved.

(c) Government has appointed an Administrator under Section 52A of the Insurance Act to manage the affairs of the insurer. The Administrator is actively seized of the position and when his examination is complete he will take whatever steps are possible to safeguard the interests of all concerned.

Shri Feroze Gandhi : Is it a fact that this misappropriation is the second committed in the course of the last two years?

Shri C. D. Deshmukh : No, Sir.

Shri Feroze Gandhi : Is it a fact that an amount of Rs. 1,60,00,000 was involved in a misappropriation which was committed about two years or a little more and involved a repayment—*i.e.*, Government compelled repayment by Messers. Bennett, Coleman and Company, publishers of the *Times of India*, to the Bharat Insurance Company?

Shri C. D. Deshmukh : It was not misappropriation.

Shri Feroze Gandhi : Is it a fact that Government complelled Bennett, Coleman and Company to refund any amount to the Bharat Insurance Company because on enquiry Government found that it was not properly utilised ?

Shri C. D. Deshmukh: On examination it seemed a dubious transaction and therefore we asked the parties concerned to reverse the transaction.

Shri Feroze Ghandhi: May I know whether this amount which is to be paid back to the Bharat Insurance Company is a charge on the revenues of the *Times of India*?

Shri C. D. Deshmukh : I do not think it is a charge on the revenues of the *Times of India*.

Mr. Deputy-Speaker : On the assets of the *Times of India*?

Shri C. D. Deshmukh : I think on the machinery and the press.

Shri Feroze Gandhi: Is it not a fact that this misappropriation was committed by Dalmia in collaboration with J. C. Jain, the General Manager of the *Times of India* and if so, what steps Government has taken or intend to take to safeguard payment by Bennett, Coleman and Company to the Bharat Insurance Company?

Shri C. D. Deshmukh : I have said that it was not found to be a misappropriation. We have an agreement to reverse the transaction subject to this charge on the assets of Bennett, Coleman and Company.

Shri Feroze Gandhi : Has the amount been reversed and paid?

Shri C. D. Deshmukh : I cannot say to what extent this transaction has been reversed.

Shri S. S. More : The hon. Minister was pleased to say that what were certain dubious transactions; may I know what is the difference between dubious transactions and actual misappropriation?

Mr. Deputy-Speaker : Falling short of misappropriation is dubious transaction.

Shri Kamath : May I ask the Minister exactly at what stage this dubious transaction was brought to the notice of the Government?

Shri C. D. Deshmukh : I do not know what exactly the hon. Member wants to know by saying "at what stage". It was sometime after it had taken place.

Shri Kamath : I wanted to know how far dubious it was and what was the dividing line between dubious transaction and misappropriation.

Shri C. D. Deshmukh : Usuall it is a case of what advice we get from ou legal advisers. We state the facts of th case as known to us from investigation t our legal advisers. We ask them to wh extent they support any possible prosecu tion or any other measure. Then, w are guided by their advice.

Dr. Suresh Chandra : May I know which other parties were involved in this misappropriation and how many others were arrested along with Dalmia?

Shri C. D. Deshmukh : I do not know which misappropriation the hon. Member refers to —— the one alleged now or ......

Mr. Deputy-Speaker : The hon. Finance Minister has stated that in respect of the Bharat Insurance Company, it was not of such a nature as to amount to a misappropriation technically. Th hon. Member evidently referes to sor other misappropriation.

Shri Feroze Gandhi : Follow the reply of the Finance Minister, may I know whether it is a fact that J. C. Jain, the present General Manager of the *Times of India*, was the General Manager of Bharat Insurance Company a few years ago?

Shri C. D. Deshmukh : I want notice of that question.

Mr. Deputy-Speaker : At the time the transaction was entered into—that is what the hon. Member means.

Shri Feroze Gandhi : The Finance Minister has said that he wants notice, and I will have to wait. It is a fact which is very well known. Is it a f that certain persons in the interests the insurers have offered to m good the amounts involved in the lat misappropriation and may I know w is their relationship with Dalmia?

Shri C. D. Deshmukh : He is son-in-law.

Shri Feroze Gandhi : Since the s in-law has come to there scue of the fat in-law with all good intentions, will G ernment take steps for assuring the Ho that the father-in-law does not escape t consequences of legal action in this matter

Shri C. D. Deshmukh : No rescue operation has yet taken place; in other words, we have not accepted any such offer.

Shri Joachim Alva : Whilst noting with utmost satisfaction the promptitude with which the Finance Ministry has taken action in this matter, may I know what steps Government propose to take in matters where big businessmen and others are involved in similar transactions ?

Mr. Deputy-Speaker : No statement of policy can be elicited on a question.

Shri K. P. Tripathi : May I know if it is a fact that this company gave notices of discharge to its workers just before this action took pl ce and if so, whether the Government propose to retain these workers if it is to be run as an insurance company?

Shri C. D. Deshmukh : I think the hon. Member is under a certain misapprehension. He is probably confusing the Bharat Insurance Co., Ltd., with the Bharat Fire and General Insurance Co. I believe what he has alleged may be true in regard to the latter company.

Shri Feroze Gandhi : May I know of the Prime Minister what steps the Government intend to take to prevent Dalmia from taking shelter behind very small headlines in newspapers?

Mr. Deputy-Speaker : That does not arise out of this question.

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shri Jawaharlal Nehru) : So far as my information goes, the hon. Member is connected with newspapers. It is open to him to give big headlines.

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No.
Acc. No. 25488
Dated 12.12.2014

LOK SABHA DEBATES

(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)

LOK SABHA

Saturday, 1st October, 1955

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

QUESTIONS AND ANSWERS

(*See* Part I)

11-22 A.M.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORT OF MR. SCAIFE RE HINDUSTAN MACHINE TOOL FACTORY AT JALAHALLI

Shri Raghubir Sahai (Etah Distt.-North-East *cum* Budaun Distt.-East): Under Rule 216, I beg to call the attention of the Minister of Production to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon, namely:

"Report of Mr. J. D. Scaife, Colombo Plan Expert, relating to the Hindustan Machine Tool Factory at Jalahalli."

The Deputy Minister of Production (Shri Satish Chandra): Government have carefully considered the views of Mr. Scaife on the Hindustan Machine Tools Factory at Bangalore. Mr. Scaife's services were obtained by the Government under the Colombo Plan to assist in the work of the Machine Tools Panel constituted by the Engineering Capacity Survey Committee which was set up by the Ministry of Commerce and Industry to undertake survey of idle engineering capacity in the country. One of the terms of reference to Mr. Scaife as an Expert on the Machine Tools

Panel was to recommend a programme of rational manufacture so as to co-ordinate the existing manufacturing capacity in the country. In order to enable him to fulfil this assignment, the Government agreed, to include the Bangalore Factory in the purview of Mr. Scaife's survey. The Government at that time was not aware of the fact that a few years before Mr. Scaife had already expressed certain views on the Machine Tools Project and on Government participation in the Machine Tools industry generally. A note on Mr. Scaife's report was prepared by the Ministry of Production in March 1954 soon after the Report of the Engineering Capacity Survey Committee was received. This note has since been placed on the table of the Lok Sabha by the Commerce and Industry Minister in answer to Unstarred Question No. 700 on the 1st September, 1955.

I would now like to deal with certain specific statements of Mr. Scaife to which the Hon'ble Member has drawn attention in his notice under Rule 216. Mr. Scaife has remarked that "one-fifth of the Government's outlay at Ambernath and Jalahalli would have produced five times the effective result if it had been carefully invested in the private sector." The precise basis on which Mr. Scaife come to this conclusion is not clear from his report. I would, however, say that the production schedule of the Hindustan Machine Tool Factory has been drawn up after a careful consideration of the demand in the country and of the production capacity in the private sector and that the purchase of capital equipment has been similarly closely correlated with the capacity of the factory and the lines of manufacture

[Shri Satish Chandra]

proposed to be taken up. I would also add that neither before, nor during, nor after his brief one-hour visit to the factory did Mr. Scaife make any attempt to ascertain the essential particulars of the factory's productive capacity, such as production schedules, operation schedules and machine layout charts. Thus this criticism seems to have been made without any detailed knowledge of the capital equipment of the factory or of its productive capacity.

In the opinion of Mr. Scaife the Swiss technicians at this factory suffer from a "psychological inability" to transfer skill to Indians. The exact meaning of this observation is not clear to the Government. I would like to state that for over one year now Swiss technicians have been training Indian personnel at the factory and the Management is satisfied with the result achieved; they are confident of building up early a team of competent Indian technicians to run this factory.

Mr. Scaife says that "the heart and brains of the organisation are outside India and outside the control of the Indian Management". The position is that the factory is entirely under Indian control. In a high precision industry like this we could not have done without the initial supply of technical 'know-how' from abroad. Though the initial planning work on the project has been done by the Technical Consultants in Switzerland, there is no doubt that with the acquisition of experience by our own men such planning work will be gradually transferred to Indian hands; the Government are confident that in due course we will be completely self-reliant in this matter. Mr. Scaife's observation that the organisation is outside the control of the Indian Management is contrary to the facts. The factory is managed by a Board of Directors and only two out of eight Directors are representatives of Oerlikens. While Oerlikens as Technical Consultants have certain responsibilities for setting up production, they are under the control of the Board of Directors and are answerable to them.

Finally, Mr. Scaife has observed that this project will prove "colossal financial failure". Apparently he considers that the factory will not be able to produce machines of the required high precision and quality on an efficient and economic basis. The Government do not see any grounds for sharing either of these apprehensions. The factory has just started production and the Government expect that it will be possible to run it as an economic unit. I may add that in establishing a key industry like this something more than the commercial return over a short period has to be taken into account.

I would like to take this opportunity to state that the Government are very anxious to promote the development of a properly planned machine tools industry in the country. Towards this end they have tried to co-ordinate the production programme of this factory with that of the private industry and they will continue to maintain such co-ordination. The Estimates Committee whose Fourteenth Report has already been presented to the Lok Sabha have made some important recommendations bearing on this aspect and the Government will carefully examine the whole matter in the light of these recommendations.

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shri Jawaharlal Nehru): May I submit that statements like this should not be read out before the House? It is impossible to follow them or to understand them. They should be placed on the Table of the House and not take up the time of the House. It has been repeatedly laid down. I am surprised that my colleague should read out this long statement. I am completely unable to follow that.

Mr. Deputy-Speaker: I have been always of that opinion. But, I thought that with respect to this important matter, Government as a whole wanted that the whole statement should be read out. Otherwise, I would have suggested to the hon. Minister that he should give a synopsis to the House and lay the entire statement, if it is a long one, on the Table of the House. We will issue instructions to all Ministries that in future such long statements ought not to be read out in the House. A synopsis alone must be read and the whole statement must be laid on the Table of the House.

Shri Kamath (Hoshangabad): May I submit that the statement was read out under the Calling attention provision of the Rules?

Shrimati Renu Chakravartty (Basirhat): It is with reference to Calling attention provisions. It has to be read out.

Shri Nambiar (Mayuram): He can read a concise statement.

Mr. Deputy-Speaker: He can read a brief statement and lay it on the Table of the House.

PAPERS LAID ON THE TABLE

HALF-YEARLY REPORT OF THE COIR BOARD

The Minister of Industries (Shri Kanungo): I beg to lay on the Table a copy of the Half Yearly Report of the Coir Board for the period ending 31st March, 1955, under section 19 of the Coir Industry Act, 1953. [*See* Appendix XII, annexure No. 28].

LIST OF CONCERNS TO WHICH EXEMPTION HAS BEEN GRANTED UNDER SECTION 56A OF INDIAN INCOME-TAX ACT.

The Parliamentary Secretary to the Minister of Finance (Shri B. R. Bhagat): I beg to lay on the Table a list of concerns to which exemption under section 56A of the Indian Income-tax Act, 1922 has been granted during 1954-55, in pursuance of an assurance given in Lok Sabha on the 18th April, 1953 during the discussion on the Finance Bill, 1953.

LIST

Nil

NATIONAL VOLUNTEER FORCE BILL

The Deputy Minister of Defence (Sardar Majithia): On behalf of Dr. Katju, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a National Volunteer Force for imparting military training to citizens of India.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the the constitution of a National Volunteer Force for imparting military training to citizens of India.

The motion was adopted.

Sardar Majithia: I introduce the Bill.

INDIAN STAMP (AMENDMENT) BILL

The Parliamentary Secretary to the Minister of Finance (Shri B. R. Bhagat): On behalf of Shri A. C. Guha, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Stamp Act, 1899.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Stamp Act, 1899."

The motion was adopted.

Shri B. R. Bhagat: I introduce* the Bill.

---

*Introduced with the recommendation of the President.

STATEMENT *RE* GOA

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shri Jawaharlal Nehru): Sir, some days ago, I was asked at question time about the arrangements we have made for our interests to be looked after in Portugal. I then said that we hoped to approach a friendly country in this matter. I am glad to inform the House that we have requested the Egyptian Government to be good enough to look after our interests in Portugal. We have not had their reply yet but I have every hope that they will agree.

The House knows that the relations between India and Egypt have been very friendly and that there has been co-operation between the two countries in many matters. After the Bandung Conference, this co-operation has become even closer, and I had the pleasure of visiting Cairo recently. In common with us, Egypt adopted a policy of keeping aloof from power-blocs and pursuing an independent policy. We have welcomed this as we believe that the pursuit of such a policy helps the cause of peace.

Shri Kamath (Hoshangabad): May I submit to you, Sir, that yesterday ten Members of the House including myself representing all parties gave notice of a short notice question regarding Shri N. G. Goray who is reported to have been convicted and sentenced to ten years imprisonment by the Portuguese military court in Goa. The Prime Minister while not totally refusing to accept the short notice question gave this ground that as we have no relations with Portugal and no representative in Goa, we have no information on the subject except what has appeared in the Press, and so any enquiry that we might make will not yield results by tomorrow." May I ask, when the Egyption Government was requested to look after our interests in Goa, and it was some days ago......

Shri Jawaharlal Nehru: Not in Goa but in Portugal.

Shri Kamath: There is nobody to look after our interests in Goa, then? Then, what will hapen to matter like this?

Shri Jawaharlal Nehru: Maybe that some means can be evolved later, but we deal with the other Government, the Portuguese Government, with whom we have no diplomatic relations. Therefore, we have to have somebody, some other country, to represent our country and our interests on behalf of our Government. Other things will follow.

Shri Kamath: The contention of the Portuguese Government is that Goa is a part of metropolitan Portugal. So, the Egyptian Government may be asked to look after our interests in Goa also.

Mr. Deputy-Speaker: This short notice question has not been allowed, but I allowed him to put one or two questions. It is as good as allowing the short notice question and going on with it.

The House will now resume further consideration of the Motion regarding Economic Policy.

Shri Meghnad Saha (Calcutta—North-West): Will you allow me to put one question?

Mr. Deputy-Speaker: No, no. Nothing should interrupt the proceedings. I am sorry.

MOTION *RE* ECONOMIC POLICY

Mr. Deputy-Speaker: The House will now resume further consideration of the motion regarding Economic Policy.

Out of the 10 hours allotted for this discussion, about 2 hours and 45 minutes have been availed of yesterday and 7 hours and 15 minutes now remain.

Shri S. C. Samanta (Tamluk): I have to submit that yesterday the hon. Minister amended the motion

that had been brought. So, according to that we have tabled motions. Can I move mine?

Mr. Deputy-Speaker: Where was the hon. Member yesterday? I called all the motions yesterday one after another.

Shri S. C. Samanta: The original motion was amended by the hon. Minister yesterday. This motion seeks to give the amended form of the original motion, and there is no other motion like this.

Mr. Deputy-Speaker: Therefore, this amendment of the hon. Member has been necessitated by that first. Very well, I will allow it to be moved.

श्री बी० पी० सिंह (मुंगेर सदर व जमुई): कल जो आप ने समय निश्चित किया है स्पीचेज के लिये, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस का पालन किया जायेगा ? या आज भी कोई समय स्पीचेज के लिये निश्चित किया जायेगा।

Mr. Deputy-Speaker: The time-limit will be adhered to. Shri M. P. Mishra.

Shri S. N. Das (Darbhanga Central): Some new motions have been tabled. They were submitted yesterday and they have come on the Order Paper today. Will you permit them to be moved now?

Mr. Deputy-Speaker: Those motions which were not moved yesterday shall be all taken to be moved unless I find that there is any State Entry there. I will look into that. Are all the hon. Members present here? Shri S. N. Das, Shri Radha Raman.

Shri Radha Raman (Delhi City): 21 and 22.

Mr. Deputy-Speaker: Shrimati Jayashri. Not here. Shri Rachiah.

Shri N. Rachiah (Mysore-Reserved-Sch. Castes): 24.

Mr. Deputy-Speaker: The other one by Shri Barman.

Shri Barman (North Bengal—Reserved—Sch. Castes): Yes, Sir.

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन): मैं एक बात और पूछना चाहता हूं। आप के यहां जो चिट भेजेगा उस को बोलने का मौका मिलेगा या जो आप की आई कैच करेगा उस को, या दोनों में से जिस के लिये आप की मर्जी होगी उस को आप बोलने के लिये पुकारेंगे।

Mr. Deputy-Speaker: Hon. Members have no right to interfere. I already said yesterday that leaders of groups will be given 30 minutes. I find from the Order Paper, there was one hon. Member who took about 30 minutes—Shri Gopalan; one other 27 minutes, another 29 minutes. Whatever time is allowed will go in reduction of the time allotted to that group, and I will not allow it to be exceeded. Therefore with that assurance no hon. Member will feel that he has been denied. No group will be given more time than what it is legitimately entitled to. Let the leader of the group take away all the time, I have no quarrel, or distribute it among two or three people, still I am willing. Likewise, it is open to the hon. Member to move his group and see to it that he gets an opportunity. I have no objection to give him time. Shri M. P. Mishra.

Shri N. R. Muniswamy (Wandiwash): What about hon. Members who do not belong to any group,

Mr. Deputy-Speaker: They will wait and wait.

श्री एम० पी० मिश्र (मुंगेर—उत्तर पश्चिम): कल मैं अर्ज कर रहा था कि पहली पंच वर्षीय योजना में खेती की पैदावार को पहली और सब से ऊंची जगह दी गई थी, और इस दिशा में हम ने जो लक्ष्य बनाये थे, हमारे देश के किसान उस से भी आगे चले गये। यह एक ऐसी चीज है कि जिस के लिये हमारा देश अभिमान और गर्व भी कर सकता है। लेकिन हमारे लिये इससे भी और बड़े गर्व और अभिमान की बात यह हुई

[श्री एम० पी० मिश्र]

है कि पिछले चार पांच वर्षों के अन्दर इस देश की भूमि व्यवस्था में ऐसे बड़े परिवर्तन हुये हैं, ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे राज्य की सरकारों ने किये हैं, जिन को करने के लिये दुनिया के और देश में सदियां लग गई थीं, और जिन को करने में, मेरा मतलब भूमि व्यवस्था के बदलने से है, दुनिया के और देशों में खून की नदियां बहाई गई थीं, ताज और तख्त उलटे गये थे। वह काम इस देश में अहिंसा के जरिये, शान्ति के जरिये, कानून के जरिये और बिना खून की एक बूंद बहाये पिछले चार पांच वर्षो के अन्दर हुये हैं। और वह काम हैं जमीदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा और ताल्लुकदारी प्रथाओं का इस देश से उन्मूलन। यह एक बड़ा शानन्दार अध्याय हमारे देश में खोला गया है, जिस के लिये न सिर्फ हम बल्कि आने वाली सन्तान भी गर्व अनुभव करेगी।

इस दिशा में मुझे सिर्फ एक ही अफसोस है कि अब भी कई राज्यों में यह काम पूरा नहीं हुआ है और हम समझते हैं कि इस काम को जितनी जल्द पूरा कर दिया जाये देश के लिये उतना ही भला होगा।

इसके साथ ही यह भी मानना होगा कि सिर्फ जमींदारी उठा देने से ही देश की जमीन, देश की भूमि व्यवस्था का मसला हल नहीं हो सकता। इस से भी बड़ा काम, जो कि अभी नहीं हुआ है, वह है जमीन का बटवारा, वह है देश में नई भूमि व्यवस्था बनाना। और मुझे इस बात को खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने तो नहीं, लेकिन योजना आयोग ने बड़ी ढुलमुल नीति से काम लिया है। उस ने अभी तक तय ही नहीं किया है कि देश में जमीन का बटवारा किस ढंग से होगा। जमीन के बटवारे की खास बात यह है कि एक परिवार ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन अपने पास रख सकता है। इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने कोई फैला नहीं किया है। आज भी उस की कमेटियां बैठ रही हैं, और इसीलिये इस दिशा में कोई खास काम नहीं हुआ है।

मैं मानता हूं कि यह काम राज्य सरकारों का है और वह इस दिशा में कुछ कार्य कर भी रही हैं। लेकिन यदि उन्हीं पर यह कार्य छोड़ दिया जाये तो फिर योजना आयोग की क्या जरूरत रह जाती है? इस देश में जो राज्य सरकारें हैं वह भी उसी दल की हैं जिस दल की कि केन्द्र में सरकार है। एक बात जो सब से बड़ी है और इस देश के लिये बहुत महत्व की भी है और जिस के बारे में योजना आयोग अभी कोई फैसला नहीं कर पाया है वह यह है कि जो बड़े बड़े फार्म हैं इस देश में उनको तोड़ा जायेगा या नहीं। एक बात तो हुई है। कुछ सरकारों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और दिल्ली की राज्य सरकार ने, यह कानून जरूर बनाया है कि जिन परिवारों के पास अभी ३० एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है वह नई जमीन नहीं खरीद सकेंगे। लेकिन यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन लोगों का क्या होगा जिन के पास हजारों और लाखों एकड़ जमीन है?

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर): लाख एकड़ जमीन है?

श्री एम० पी० मिश्र: जी हां, लाखों एकड़ जमीन है। हमारे सूबे में चार जमींदारों ने आचार्य विनोबा भावे को कई लाख एकड़ के जंगल-पहाड़ दान में दिये हैं। हैदराबाद में भी अभी कितने ही जागीरदार वगैरह हैं जिन के पास कितनी ही जमीन पड़ी हुई है। खुद निजाम के पास ही करीब करीब ५० लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है।

अभी कल ही हमारे एक भाई सरदार लाल सिंह साहब ने कहा कि आधुनिक ढंग से इस देश में खेती होनी चाहिये और उसके लिये बड़े बड़े फार्म रहने चाहियें । लेकिन मैं कहता हूं कि हम को यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि इस देश की एक समस्या, जो बहुत बड़ी समस्या भी है, वह आबादी की है, वह उन लोगों की है जो खेती करते हैं और जिन की आबादी, इस देश की कुल आबादी की ७० प्रतिशत या ७५ प्रतिशत है । इसलिये यदि यंत्रों से या ट्रेक्टरों से या मैशीनों से खेती की गई तो मैं समझता हूं कि यह खेती हमारे देश के लिये घातक सिद्ध होगी और यह इस देश के लिये बड़ा अनर्थ होगा। अब तक हमारे देश में ऐसे साधन उपलब्ध नहीं हैं जिन से हम इस देश के लोगों को इन जमीनों से हटा करके और जगह लगा सकें । अगर ट्रेक्टरों वग़ैरह से खेती की गई तो जो लोग खेती पर काम करते हैं वे बेरोज़गार हो जायेंगे । वे क्या करेंगे ? मुझे तो यही लगता है कि वे लाल झंडे के नीचे हो जायेंगे । इस लिये मैं समझता हूं आधुनिक ढंग से यदि खेती की गई तो यह ठीक नहीं होगा और इस तरह से खेती करने का नारा एक ग़लत नारा है । हमारे देश में तो खेती हलों और बैलों इत्यादि के ज़रिये से ही होनी चाहिये और यही एक ठीक तरीक़ा भी है । हां, यह हो सकता है कि जो हल हैं वे नये होने चाहियें, अच्छी किस्म के होने चाहियें और बैलों के पुट्ठे भी मजबूत होने चाहियें । और इसी तरह की जो और छोटी मोटी कमियां हैं वह दूर होनी चाहियें ।

सब से बड़ी चीज जो है, वह यह है कि हमारी धरती प्यासी है । इसको पानी चाहिये, इसके लिये सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये, इसके लिये आबपाशी की व्यवस्था होनी चाहिये । अभी मुश्किल से पांच करोड़ एकड़ ज़मीन ही ऐसी है जिसको कि समय पर पानी मिलता है और बाकी जो जमीन है वह प्रकृति पर ही, नेचर पर ही निर्भर करती है । ऐसी दशा में बहुत समय लगेगा जब कि भारत इस स्थिति में होगा कि वह बहुत दौलत पैदा कर सके और तभी दौलत को बांटना सम्भव होगा । लेकिन जब तक वह दौलत नहीं बटती है जब तक वह दौलत पैदा नहीं होती है तब तक मैं समझता हूं कि इस देश के लिये एक ही रास्ता है कि वह अपनी गरीबी भी बांट ले । उस गरीबी को बांटने का एक ही रास्ता है कि इस देश में जमीन का बटवारा हो और जो बड़े बड़े फार्म हैं और जो बड़े बड़े खेत हैं वह तोड़ दिये जायें और गरीबों के बीच बांट दिये जायें । इस सम्बन्ध में जो फैसला योजना आयोग को करना है वह उसके करने में बहुत देरी कर रहा है । मैं बताना चाहता हूं कि जापान जब लड़ाई में बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया था और वहां पर अमरीकी सेनापति का कब्ज़ा था, तब अमरीकी प्रशासन ने सन् १९४६ में हुक्म जारी किया जापान की सरकार को कि चार महीनों के अन्दर अन्दर एक योजना बनाई जावे जिस से कि जमीन का बटवारा हो सके । इस के बाद दो साल के अन्दर जापान में जमीन का बटवारा हो गया और बड़ी शान के साथ हो गया । जापान में जमीन की समस्या उतनी भयानक नहीं थी जितनी भयानक वह इस देश में है । वहां पर जमीन की पैदावार भी अच्छी होती है और वहां पर आधे से ज्यादा लोग उद्योगों में लगे हुये हैं । एक विदेशी सरकारी अधिकारी ने, जिस का नाम जनरल मैकार्थर था, वहां पर चार महीनों के अन्दर एक योजना बनवा दी और दो साल के अन्दर जमीन का बटवारा कर दिया । हमारी प्लानिंग कमिशन को बैठे हुये पांच साल हो गये हैं लेकिन उसने अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है । इस लिये मेरा निवेदन है कि जमीन के बटवारे का सवाल जल्दी से हल हो जाना चाहिये । इसमें एक बात और भी है । मैं ने देखा है कि वे

[श्री एम० पी० मिश्र]

लोग भी जिन के पास दो हजार बीघा जमीन है और वे भी जिन के पास दो बीघा जमीन है घबराये हुये हैं और उनको पता नहीं है कि उनकी जमीन का क्या बनेगा। उनको यह मालूम नहीं कि वह ज़मीन उनके पास रहेगी या नहीं और किसानों की ज़मीन में दिलचस्पी घटती जा रही है। इस लिये भी ज़मीन के बटवारे का फैसला तुरन्त हो जाना चाहिये ताकि लोगों को पता लग जाय कि कितनी ज़मीन किसी के पास रहेगी। हम तो समझते हैं कि किसी भी परिवार के पास २५ या ३० एकड़ से ज्यादा ज़मीन नहीं रहनी चाहिये। इस सम्बन्ध में आचार्य विनोबा भावे ने जो आन्दोलन चलाया है उसके लिये मेरे दिल में बड़ी श्रद्धा है और मैं समझता हूं कि यह आन्दोलन सफल हो गया है उसकी सफलता इसी में ह कि देश में एक ऐसा लोकमत तैयार हो जाये जोकि ज़मीन का बटवारा चाहता हो और न्यायोचित बटवारा चाहता हो। इसमें वह सफल हो गये हैं और मैं समझता हूं कि उसके आगे यह आंदोलन नहीं जा सकता और अब सरकार का काम है कि इस आंदोलन के बाकी काम को वह करे।

एक और बहुत बड़ा स्वाल जो है और जिसका जिक्र कल हमारे कृषि मंत्री जी ने भी किया है वह है गरीब किसानों को कर्ज़े देने का सवाल। आप जानते ही होंगे कि इस देश में हर साल किसान ७५० करोड़ रुपया कर्ज में लेते हैं और इसमें सिर्फ ६ प्रतिशत, तीन प्रतिशत प्रांतीय सरकारें और तीन प्रतिशत सहकारी संस्थायें,किसानों को देती हैं। बाकी जो ९४ प्रतिशत कर्ज़ा है उसके लिये उनको महाजनों के पास ही जाना पड़ता है। जो महाजन लोग हैं वह किसानों का आधा सेर गोश्त पीछे मांगने की बजाय पहले ही मांग लेते हैं। हमारे सूबे में यह हाल है कि अगर किसी को ५०० रुपये की जरूरत पड़ जाती है तो वह आदमी जब किसी महाजन के पास जाता है तो वह महाजन उससे २००० रुपये का रुक्का पहले ही लिखवा लेता है। इसलिये जो किसान कर्ज़ा लेते हैं वह पहले ही महाजनों और साहूकारों के हाथ में बिक जाते हैं। उनको बचाने के लिये एक उचित योजना रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने दी है और हमारे कृषि मंत्री ने बताया है कि सरकार उस पर चलेगी। यह जो ७५० करोड़ रुपया किसान कर्ज़े के रूप में लेते ह, मैं जानना चाहता हूं, कि हर साल सरकार अपनी योजना के मुताबिक कितना रुपया उनको देगी और बाकी के लिये क्या प्रबन्ध करेगी। कल कृषि मंत्री जी ने बताया कि सरकार २२५ करोड़ रुपये देना चाहती है। यह जो २२५ करोड़ रुपये सरकार देने का विचार कर रही है क्या यह एक साल के अन्दर दिये जायेंगे या दो साल के अन्दर या पांच साल के बाद दिये जायगे।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : हर साल दिये जायगे।

श्री एम० पी० मिश्र : धन्यवाद।

मेरा ख्याल है कि यह गोरवाला कमेटी ने जो काम किया है उसके लिये मैं सदन की तरफ से उसे धन्यवाद देता हूं। उसने एक बहुत ही शानदार काम किया है इस देश के लिये लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक और सवाल है जिसकी ओर शायद हमारे कृषि मंत्री ने ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूं यह सवाल इस देश के लिये एक बहुत बड़ा सवाल है और वह है सायल इरोजन का। जमीन की उपजाऊ परतें टूटती जा रही हैं, कुछ तो जंगलों के कटने से और कुछ खेतो की भारी जुताई के कारण से और इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। राजस्थान में रेगिस्तान के बढ़ने से भी यह समस्या पैदा हो गई है। पहली पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने दो करोड़ रुपये इस के लिये रखे थे। इसके अलावा प्रान्तीय सरकार को अभी

अलग से खर्च करना था । और कुछ कानून भी बनने थे और कुछ रिसर्च या अन्वेषण वगैरह होना था । हमारी राय है कि कृषि मंत्री ने और सरकार ने इस ओर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना कि देना चाहिये था । कुछ लोगों की राय है कि यदि जमीन उपजाऊ परतों की कोई उचित कार्रवाई न की गई और कोई उचित कदम न उठाये गये तो बहुत जल्दी ही इस देश की जमीन बर्बाद हो जायेगी और खेती खत्म हो जायगी । तपेदिक का रोग जिस तरह से एक इन्सान के लिये घातक सिद्ध होता है उसी तरह से यह जो सायल इरोजन यह भी भूमि के लिये घातक सिद्ध होता है । इस लिये मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये ।

इसके साथ ही मैं जैसा कि कल निवेदन कर रहा था, पहली पंचवर्षीय योजना में हमने जो खेती को प्राथमिकता दी थी वह जायज थी । अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में वह जगह खेती से छीन ली गई है और वह जगह अब बड़े उद्योगों को दी जा रही है । मैं इसको भी एक आधुनिक भ्रम समझता हूं कि किसी पिछड़े हुए देश का उद्धार औद्योगीकरण से हो सकता है । इसको मैं माडर्न मिथ मानता हूं । मैं इस बात को फिर दुहराना चाहता हूं कि इस देश की पहली समस्या आबादी है । अंग्रेजों ने इस देश में डेढ़ सौ सालों में इतने उद्योग बनाये, पर उसमें कितने लोग लगे हुए हैं ? मुश्किल से ३० या ३५ लाख । अगर हम इंगलिस्तान की तरह अपने देश में उद्योग बनाना चाहें तो उसके लिये रुपया कहां है उस रुपये के लिये हमको अपने देश को गिरवी रख देना पड़ेगा । अगर हम दस साल में अपने देश को इंगलैंड की तरह एक औद्योगिक देश बना भी दें तो तीन चार करोड़ आदमी उन उद्योगों में लग सकेंगे जब कि उतने ही समय में हमारे यहां पांच करोड़ नये आदमी पैदा हो जायेंगे । इसलिये हमें बड़े उद्योगों के फेर में नहीं पड़ना चाहिये । अगर हमारे यहां बड़े उद्योग हों तो हमें उनके लिये बाजार चाहिये, और उनके लिये बाजार तभी हो सकता है जब कि जनता में क्रयशक्ति हो, पर हमारे किसानों में क्रय शक्ति का अभाव है । इसलिये यह जरूरी है कि इस देश में सब से पहले कृषि को ही एक उद्योग बनाया जाय और उसके साथ छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाये । उसके बाद बड़े उद्योगों का समय आवेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी खेती को वही जगह और महत्व मिलना चाहिये जो उसे पहली पंचवर्षीय योजना में मिला था ।

Mr. Deputy-Speaker: The additional substitute motions indicated to be moved are as folows:

Nos. 21, 22, 24 and 25.

Shri S. N. Das: I beg to move:

(2) That for the original motion, the following be substituted:

"This House having considered the economic policy of the Government of India with special reference to Agriculture, Land and Rural Credit, appreciates the progress so far made relating to land reforms and steps taken or proposed to be taken with regard to rural credit especially for agricultural production, processing and marketing and re-suscitating co-operative movement in general."

(2) That for the original motion, the following be substituted:

"This House having considered the economic policy of the Government of India with special reference to Agriculture, Land and Rural Credit, appreciates the efforts made by the Centre with regard to promotion of agriculture, encouragement given to land reforms and steps taken to implement the recommendations made in the Rural Credit Survey Report in respect of rural credit and co-operative movement."

Shri N. Rachiah: I beg to move:

That for the original motion, the following be substituted;

"This House having considered the economic policy of the Government of India with special reference to Agriculture, Land and Rural Credit, while appreciating the progress so far made, recommends that immediate steps be taken by Government to effect land reform with definite ceiling limit for immediate distribution of land to the tillers of soil, the bulk of whom are Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country, as the distribution of land to tillers of the soil is the primary basis of socialistic pattern of society."

Shri Barman: I beg to move:

That for the original motion, the following be substituted:

"This House having considered the economic policy of the Government of India with special reference to Agriculture, Land and Rural Credit, expresses satisfaction at the steps taken so far and endorses the policy envisaged for the future."

Mr. Deputy-Seaker: These motion are also before the House for discussion.

Shri Lakshmayya (Anantapur): May I first read my substitute motion which is as under:

"This House having considered the economic policy of the Government of India with special reference to agriculture, land and rural credit, while appreciating the policy of the Government for the progress achieved in the food production so far in the country, recommends that the Government should forthwith, take up the land reform scheme with the object of increased production and take suitable steps and formulate sound measures to implement the recommendations of the report of the Rural Credit Survey in regard to easy credit facilities in rural areas, warehousing etc. so as to improve the present conditions of the farmers and agricultural labourers, and raise their purchasing power and living standard and maintain the present tempo of production."

I would at the very outset like to pay a tribute to the Government for all the excellent work they have been doing and for all the sustained and systematic efforts they have made for the progress of the country in the economic, social and political spheres. It is no exaggeration to say that our country now occupies a place of pride and stands as a progressive and stable country in the world.

In dealing with this motion I would like to dwell on the following subjects: land, rural credit facilities, agriculture and food and agricultural labourers. If we think for a moment and recall to our minds the past events, the dreadful nightmare which we had had some three or four years back with rigid and vigorous controls and strict rationing due to shortages of foodgrains, sugar and if you look at the present comfortable position in regard to food, we cannot but compliment the Ministry of Food and Agriculture for all the efforts made and steps and measures they have been taking to improve the food position. Not only is our country self-sufficient now—it has over-reached the target which was fixed for 1956—and also we are able to export some foodgrains, of course, very small quantity, to other countries. But that is no ground for a feeling of full complacency; we should increase the food production to a larger extent.

Our country, being predominantly an agricultural country, has legitimately occupied a place of pride in the world. It has played a very important role in the past in the food position, and should maintain the same position throughout. From the statement of the hon. Minister made yesterday, I find that we have got 4·7 million

tons of foodgrains more but we have imported some 8 lakh tons this year. My fear is this. Compared to the previous years when we had imported 4·6 million tons of grain from other countries our present position is very comfortable. But I would request the hon. Minister to go forward with more vigour and energy to make the country more than self-sufficient. Our country should be made 'the granary of the world.' Not only should she be made—*'annapurna'* but she should become *'annadata'* for the whole world. Then alone our country, being an agricultural country, will be worthy of its being so called. I am glad that the measures taken and the efforts made and the schemes now implemented are all towards that direction. Still I am sorry to find that we are importing foodgrains. I am against it. We should not import foodgrains. We should, on the other hand, be in a position to export foodgrains to other parts of the world, to other countries, to other nations. That must be the objective, that must be the goal of our Ministry of Food and Agriculture. Even for adequate reserve, we should not get foodgrains from outside. Then alone our country would be safe, and worthy of being independant.

Next I come to credit facilities in rural areas. You are aware that agriculture is the mainstay of our country. Agriculture is not only an occupation, not merely a business proposition, but I say it is a tradition in our country. Agriculture being a tradition for our country, the way of life the agriculturists live for centuries has changed their outlook, their thought and their culture. Farmers are said to be the founders of the civilization in the world much more so are our Indian farmers. Such farmers are unfortunately ignored and neglected. In fact, they should be encouraged and provided with all facilities, particularly credit facilities. Let us consider their position now. Are they happy? No. Their position is miserable, their plight is very pitiable, they are unable to make both ends meet. Out of 30 crores of the population living in rural areas the majority are agriculturists and agricultural labourers. From the statistics, they may be classified under three groups, that is, big landlords, medium landholders and petty landholders. Leave out the big landlords. What is the position of the medium and petty landholders? They have been reduced to abject poverty; they are under heavy debts. It is said the agriculturists are born in debts, they live in debt and they die in debt. That is a common saying. They are overburdened with heavy debts. Therefore they have lost interest and initiative in agriculture. Some measures have got to be taken to bring salvation to them. I am glad the Ministry has taken measures for opening large sized credit societies, land mortgage banks, marketing societies to provide rural credit facilities to meet their needs. In his speech yesterday the hon. Minister said that a total amount of Rs. 225 crores would be advanced by way of loans through these societies and land mortgage banks—Rs. 150 crores by way of short-term loans, Rs. 50 crores by way of medium-term loans and Rs. 25 crores by way of long-term loans. He should see that they do not fall into the hands of the rich ryots and moneylenders. If we look into the statistics of rural debts, we find that the debts of the poor agriculturists amount to Rs. 750 crores roughly. So the pace of progress of relief contemplated is very very slow. I would, therefore, request the hon. Minister to see that at least Rs. 300 crores are allotted for this purpose. Then at least half the population in the rural areas would be benefited. At present, as envisaged by Government, only one-third of the population would be benefited; in that case, I ask how many Five Year Plans should we have? It may even take a century for all the farmers and cultivators to derive benefit therefrom. Therefore, when you think of affording relief to the agriculturists, why should you not increase the amount of assistance substantially? The credit facilities in the rural areas will not

[Shri Lakshmayya]

only increase the food production in the country, but also improve their condition, increase their purchasing power, and enable them to lead comparatively unworried life.

12 NOON

Next I come to the other subject, fluctuation of prices. The abject poverty of the farmers is due to the fluctuation in prices of agricultural produce. You are aware agriculture works in deficit economy. Further, our agriculture is not only a gamble in rains but also a gamble in world prices. International barter and trade agreement with other countries would help to maintain the price support policy. Sometimes there is a boom and sometimes there is a depression. It is the agriculturist that is hit even by a small depression. Therefore price support policy is absolutely essential. He has to spend what little he gets by the sweat of his brow from gets by the sweat of his brow from the land for meeting the daily needs of himself and his family. But in return he gets very poor price for his produce. He is unable to get many times the amount that he invests on the land. When the prices of the other articles that he has to purchase for daily consumption, however are they moderate and simple, are high and the prices of the agricultural produce are very low, how could he maintain his familiy with the little amount that he gets. He is naturally in a helpless position. He will be in a miserable plight. How to get money for the functions like marriages of his famliy members? Therefore, he is put to the necessity of approaching the money lenders to accept loans on the terms and conditions which they impose at abnormal rates of interest. After the Agricultural Relief Act came into operation in my State for deduction of some amount in advance for interest would be made at the time of borrowing. To meet his needs he has to do that. That should be prevented and for that co-operative societies are necessary. Price support would enable him to have feeling of certainty of prices.

I am very happy that our Government has started the price support policy in regard to wheat. I think they have purchased some 76,000 tons of wheat or so. But, my submission to the hon. Minister is that rice is the staple food—of majority of population and the same policy should be extended to rice also.

Shri A. P. Jain: I said yesterday that it has been extended.

Shri Lakshmayya: In the South everywhere rice is produced......

Shri A. P. Jain: Let the new crop come.

Shri Lakshmayya: I am very happy for that. It will create confidence in the farmers. The agriculturists who invest large amounts of money for raising these crops should obtain reasonable price for foodgrains. The Government should fix the prices for money crops and maintain that level of prices for four or five years. The farmer would raise such crops which would procure money for his family expenses. The prices of such other articles as are necessary for domestic consumption should be reduced to become at par with other essential articles. Otherwise, if the price of the agricultural produce is very low and the prices of other articles required for domestic consumption are abnormally high, how could you expect the agriculturists to purchase those articles and maintain himself and the family? He is miserable because he has no purchasing power and no ready money for his daily needs. If he raises crop he has to wait till the harvest comes. He cannot save even a single pie after harvest of the crop and the sale of produce. Again, he goes on borrowing according to his needs till the next harvest comes. He has no other vocation to earn money. He has to discharge the old debt or part of it and what about for his future life?

That is why these marketing societies and village societies will be helpful to them and they would go a long way to provide credit facilities at all times. I want even provision should be made for *'crop loans'*. Storage and warehousing facilities are no doubt a welcome and happy proposition. Price support policy will increase his purchasing power.

I come to the land system. I am glad that the intermediaries between the Government and the tiller of the soil are abolished. The land to the tiller of the soil has become a slogan now. But, I am afraid how far the division or fragmentation of holdings that has been effected would go to improve the agricultural economy of the country. There are already a number of very small holdings and they are really uneconomic. Agriculture needs more credit, more than it requires for certain industries because for manure, agricultural equipment labour, and for several other things the agriculturist wants more finance. Borrowing is neceesary for them. After investing so much on the small holdings he would only get a proportionately low return. That is why the agriculturist is not only poor on account of these uneconomic holdings of land, but his purchasing capacity is also extremely low. The low productivity is another result from it. We should not encourage small holding system. I am afraid that unless Government takes steps to consolidate small holdings, it is very difficult to keep up the tempo of food production and increase their purchasing power and improve their lot. I do not know how far the agricuturists would be persuaded to accept the system of co-operative farming; it is a difficult task but a question of time. Now there is a lot of waste land in the country which should be reclaimed. After reclamation, a number of poor agriculturists and agricultural labourers should be made to resort to co-operative farming and they should be encouraged to go on with such agricultural operations in the waste lands that are reclaimed. It will prove useful and beneficial to them.

Coming to agricultural labourers, particularly, in South India the labourers are very poor and are in a miserable plight. They have got work only for 180 ways in the year whereas in North India, according to statistics, they are having work for 218 days. For the remaining six months, the agricultural labourers have no work. With the wages one day, they have to live for two days. You are aware, Sir, that the idle man's brain is the devil's workshop. Whenever people sit idle they think of other things which are useless. The idleness will lead to mischievous tendencies. To solve this unemployment problem......

Shri B. S. Murthy (Eluru): I protest against that; the agricultural labourers are not mischief-mongers.

Shri Lakshmayya: I did not say so. I am speaking of psychology of people. I said that an idle brain is the devil's workshop and not that agricultural labourers are mischief mongers. The people who have no employment and no work should be employed and given work necessarily.

Shri Velayudhan (Kuilon *cum* Mavelikkara—Reserved—Sch. Castes): Without them how can the hon. Member enjoy?

Shri Lakshmayya: I agree with you. I plead, therefore, for giving them every opportunity, for showing them work and helping them to better their lot and improve their present condition.

Mr. Deputy-Speaker: He said they must be fully employed.

Shri Lakshmayya: I want that several industries should be started in the South and labourers should be provided with work. South India is very backward in industries. For instance, in Rayalaseema there are no industries at all. I want the Agriculture Minister to take particular care to see that industries are started in

the South, particularly in Andhra state. Rayalaseema has got a number of poor labourers. If you start industries, they would provide full work to them. I have no time to deal with this subject in detail.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member must now conclude.

Shri Lakshmayya: Then, in conclusion......

Mr. Deputy-Speaker: I have already given sufficient time to the hon. Member. I am sorry he must resume his seat.

Shri Lakshmayya: There should be sufficient measures taken to increase production, such as storage facilities, rural credit facilities, and stabilization of prices. The prosperity of our agriculturists is in fact the prosperity of our country.

श्री भगवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना) : माननीय खाद्य और कृषि मंत्री ने अपने भाषण में जो देश की खाद्य परिस्थिति पर प्रकाश डाला है, उससे हम सबो को संतोष है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि देश की खाद्य परिस्थिति में बहुत सुधार हुआ है और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रथम तीन वर्षों में हमने अपने खाद्य की पूर्ति में जो सफलता पाई है वह माननीय मंत्री जी के लिये और इस सरकार के लिये सराहनीय है ।

आपने अपने विशद भाषण में विभिन्न आंकड़ों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है और उसमें आपने बतलाया है कि न केवल हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई है बल्कि सिंचाई की योजना सम्पूर्ण देश में पूरी रफ्तार से चलाई जा चुकी है । आपने यह बताया है कि बंजर भूमि को भी इस देश में बहुत काफी परिमाण में जोत के अन्दर लाया गया है लेकिन यह मानते हुये कि खाद्य और कृषि मंत्रालय ने इस देश की खाद्य स्थिति में काफी उन्नति की है, मैं उन तमाम आंकड़ों की ओर न जाकर आपका ध्यान उन सिर्फ कमियों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनकी कि और अभी खास ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित भूमि सुधार योजना के मुख्यत: दो आधार माने गये हैं और वह हैं सामाजिक न्याय तथा उत्पादन की वृद्धि । हम को देखना चाहिये कि इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त काल तक हम ने इन दोनों स्थितियों में यानी सामाजिक न्याय प्राप्त करने में और उत्पादन की वृद्धि करने में कहां तक सफलता पाई है ।

इस में सन्देह नहीं कि हम इंटरमीडियरीज को, जमींदारों को तथा ऐसे व्यक्तियों को जिन के पास प्रान्तों में जरूरत से ज्यादा जमीन थी दूर करने में काफी सफलता पाई है, यह ठीक है कि साढ़े बाईस लाख इंटरमीडियरीज को हम ने खतम कर दिया है और १६०० लाख एकड़ भूमि हमारे हाथ में आई है । लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिये कि हमारे देश में कुल कितने इंटरमीडियरीज अब तक ऐसे हैं और कितनी जमीन और है जो इन महानुभावों के पास पड़ी है, कितने ऐसे लोग हैं जो अब तक अपनी जमीन की चहारदीवारी तक नहीं घूम पाये हैं । यद्यपि अब तक हम ने १६०० लाख एकड़ भूमि इन साढ़े बाईस लाख इंटरमीडियरीज के पंजे से ली है, लेकिन फिर भी हमारे लिये अभी बहुत बड़ा काम बाकी है । उस के बाकी रहने का कारण यह है कि हम ने उन के मुआवजे की दर उतनी ज्यादा रक्खी है कि वह हमारे राज्य सरकारों के लिये देना सम्भव नहीं है । उन के लिये सम्भव नहीं है कि वह उतना मुआवजा दे कर उन जमीनों को इंटरमीडियरीज से छुड़ा सकें ।

अभी यह बताया गया है कि केवल पार्ट ए स्टेटस में इंटरमीडियरीज को देने के लिये

४१४ करोड़ रुपये की जरूरत है, जिस के फलस्वरूप सरकार की आमदनी में सिर्फ १६.५२ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यानी जो ४१४ करोड़ रुपया दिया गया है उस के फलस्वरूप सिर्फ ४.७१ करोड़ रु० आय के रूप में सरकार के पास आया है। जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं और पाते हैं कि हमारी राज्य सरकारों को ४१४ करोड़ रु० देना पड़ेगा, तो तुलनात्मक दृष्टि से यह ४.७१ करोड़ रु० बिल्कुल नगण्य है जो कि आज तक सरकार के कोष में आया है। इसलिये हमें अपनी नीति को जिस के अनुसार हम इंटरमीडियरीज को जमीन ले कर मुआवजा दिलाते हैं परिवर्तित करनी चाहिये। चूंकि हमारे राज्य सरकारों के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह इंटरमीडियरीज को इतना बड़ा मुआवजा दे सकें इस लिये केन्द्रीय सरकार को इस की तरफ़ ध्यान देना चाहिये प्रो० केनेथ एच० पार्सन्स, प्रोफेसर आफ ऐग्रिकल्चरल इकानामिकस इन दि युनिवर्सिटी आफ विस्कानसिन, यू० एस० ए० के शब्दों को पढ़ कर बतलाना चाहता हूं। उन्होंने यह साफ साफ बताया है कि:

"Compensation at current value will load the present tenants with considerable debts".

इस लिये आज यह स्वयं सिद्ध है, यद्यपि हमारी कोशिश है, हमारी यह इच्छा भी है कि हम इंटरमीडियरीज को कम्पेन्सेशन दें, कि जो वर्तमान जरूरत है उस के अनुसार हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि हम ऐसा कर सकें। इस लिये इस नीति में हम को सुधार करना चाहिये।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सामने है वह टेन्योर के सिम्पप्लिफिकेशन का है अर्थात् भूमि का नवीनीकरण। हम यह जानते हैं कि इस देश में इतनी काफी प्रथायें प्रचलित हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है और हमें उन को एक सूत्र में बांधना है। मैं यह मानता हूं कि एक सर्वमान्य स्वरूप का प्रतिपादन करने के सम्बन्ध में हमारे मार्ग में बड़ी कठिनाईयां हैं, लेकिन इस कठिनाई को दूर करने के लिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एकानमीं कमेटी ने मार्ग बतलाया था। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक इस सम्बन्ध में क्या हुआ। एकानमी कमेटी ने बतलाया था कि यद्यपि इस देश मे एक सूर्वमान्य स्वरूप का प्रतिपादन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम इन कामों को करना होगा:

Provision of enough opportunity to develop the farmer's personality; no scope for exploitation; maximum efficiency in production; scheme of reform must be within the realm of practicability.

हम जानते हैं कि यद्यपि टेन्योर के नवीनीकरण में हम ने बहुत सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश में लगभग डेढ़ दर्जन टेन्योर थे उन को आप एक स्थान पर ले आये हैं, लेकिन आज भी सीरदार और भूमिधर का फर्क़ वहां मौजूद है और अगर हम चाहते हैं कि हम टेन्योर का सिम्प्लिफिकेशन करें, उन में सुधार लायें तो आवश्यक है कि हम इस काम को जल्दी करें। आज तो सुधार के बजाये सरकार के कदमों का फल उलटा हो गया है। बहुत राज्यों में टेनेंसी रिफार्म किये जा चुके हैं। लार्ड कर्जन के समय से आज तक काफी जमाना बीत गया है। लार्ड कर्जन के जमाने में टेन्योर का कोई अधिकार नहीं था, उस समय की चीजों को दूर कर, उस खाई को दूर कर, उस दुर्ग को ढहा कर आज हमारी सरकार काफी आगे-बढ़ चुकी है, उस ने इस में काफी सिम्प्लिफिकेशन किया है, लेकिन फिर भी मैं आप का ध्यान उन राज्यों की ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां पर बेदखली बड़े जोरों से हो रही है। एक तरफ़ तो आप टेन्योर का नवीनीकरण करना चाहते हैं, कृषकों को आप अधिकार दे रहे हैं, आप इस सिद्धान्त में विश्वास करते हैं कि कुल जमीन जोतने वाले की हो, दूसरी

[श्री भगवत झा आजाद]

तरफ़ राज्यों में बेदखलियां चल रही हैं । उन को रोकने के लिये आज हम क्या कर रहे हैं । एक तरफ़ हम पुराने जमींदारों को काफी मुआवजा दे रहे हैं, एक तरफ हम यह सिद्धांत रखते हैं कि जमीन जोतने वाले को ही लेकिन दूसरी ओर हम इन मोटे मोटे आदमियों को बड़े बड़े मुआवज़े दे रहे हैं । मेरे भाई मिश्र जी ने अभी बताया कि हमारे राज्य में ऐसी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स हैं जिन के मालिक शायद ही कभी अपनी चहारदीवारी के चारों तरफ़ घूमे हों । लेकिन फिर भी आज वह लोग बेदखली करने में लगे हुये हैं । पूर्निया जिले में सेन्सस हो रहा था और वह लोग जमीन की बेदखली कर रहे थे । इस के लिये आप क्या कर रहे हैं । इस कमेटी ने कहा है कि जो तीन चार प्वाइंट मैं ने बताये हैं उन के द्वारा ही सम्भव है कि टेनेन्सी को परमेंमेंट किया जा सके । मैं सरकार से पूछता हूं कि अगर उस के लिये यह करना सम्भव नहीं है तो आखिर उस के लिये सम्भव क्या है ? किन उपायों से जो बेदखली आज हो रही हैं उस को आप रोक सकते हैं । इस लिये मेरी राय यह है कि जितनी जल्दी हो सके उस को आप कानून के जरिये से रोकिये ।

इस वक्त सब से बड़ा प्रश्न होल्डिं की सीलिंग्स का है । हम ने यह सर्वमान्य सिद्धान्त मान लिया है कि इस देश में हम वर्तमान बड़ी बड़ी होल्डिंग्स को नहीं रहने देंगे । हम चाहते हैं कि अगर हमारे देश में गरीबी है तो गरीबी का भी वितरण हो, हम चाहते हैं कि जिन के पास उन की ज़रूरत से ज्यादा जमीन है उन की ज्यादा जमीन को दूसरों को दे दिया जाय । यह सिद्धान्त हम ने अपनी पंचवर्षीय योजना में भी मान लिया है । लेकिन इस का प्रबन्ध आज तक किन किन सरकारों ने किया है ? शायद तीन सरकारों ने, कश्मीर, हैदराबाद और मध्य प्रदेश ने सीलिंग्स के लिये कुछ किया है । लेकिन आज आप जिन का नाम लेते हैं जैसे उत्तर प्रदेश वहां क्या हुआ है ? वहां की सरकार ने यह किया है कि जिन के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है वह भविष्य में अगर ज्यादा जमीन खरीदना चाहें तो सीमा निर्धारण के बाद नहीं खरीद सकते हैं । यह एक सराहनीय कदम है, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय कर दिया है कि कोई भी आदमी ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता है, लेकिन यह सिर्फ उन व्यक्तियों के लिये किया जा रहा है जो भविष्य में उस लिमिट के आगे खरीदना चाहते हैं । लेकिन जिन के पास पहले से ही काफी जमीन है उन के लिये आप क्या सीमा निर्धारित कर रहे हैं । मैं मानता चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि यद्यपि हमारी पंच वर्षीय योजना में बहुत स्पष्ट शब्दों में और बहुत जोर के साथ सीमा निर्धारित की गई है लेकिन कन कन राज्यों में सरकारों ने कहा कि सीलिंग्स बनाई जायें । आप कहते हैं कि यह राज्य सरकारों की बात है, लेकिन अगर राज्य सरकारों की बात है, अगर हम यहां पर काफी देर बैठ कर लम्बी लम्बी बहस करें, आप के सामान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन करें, आप को अधिकार दें, उस के बाद आप कह दें कि यह तो राज्य सरकार के अन्दर है, तो किस प्रकार से पंचवर्षीय योजना की जो सिफरिश है, जो उन की बताई हुई आधारभूत सीलिंग है उस को हम किस प्रकार से पूरी कर सकते हैं ।

हमारे माननीय सदस्य सरदार लाल सिंह ने जो कि अपने को कृषि विज्ञान का पंडित समझते हैं बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि अगर होल्डिंग्स की सीलिंग मुकर्रर कर दी गई तो व्यक्तिगत इनिशिएटिव बन्द हो जायेगा । व्यक्तिगत ज्ञान का कोष बन्द हो जाएगा । मैं माननीय सदस्यों को जो कि सीलिंग्स में विश्वास नहीं करते हैं, बतलाना चाहता हूं कि यह शंका निराधार है । मैं समझता हूं कि इस देश के कोटि-कोटि टेनेन्ट जो भूखे

भौर नंगे हैं वह इस बात को कहते हैं कि यह विचार उन व्यतियों का है जिन के पास जरूरत से बेशी जमीन है भौर जो बटवारे की मुखालफत करते हैं। इस प्रकार के लोगों को देश ने जवाब दिया है, हम उनको जवाब क्या दें ?

यह ठीक है कि जो समय होल्डिंग्स के सम्बंध में पंचवर्षीय योजना में हम ने रक्खा था कि इस समय तक जमीन का सेन्सस ले लिया जाये, उस को १९५३ तक समाप्त हो जाना चाहिए था, लकिन वह आज तक समाप्त नहीं हुआ। इस के सम्बंध में हमें कोई ज्ञान नहीं है कि आखिर होल्डिंग्स का क्या रूप हो या स्वरूप हो। उस के सम्बंध में रूरल क्रेडिट सर्वे कमटी की जो रिपोर्ट है उस में कुछ बतलाया गया है। उस कमेटी ने कहा है कि हिन्दुस्तान के १० प्रतिशत किसानों के पास ३० प्रतिशत जमीन है भौर ३० प्रतिशत किसानों के पास ११ प्रतिशत जमीन है। इस कमेटी ने जो भ्रांकड़े दिये हैं उन को मैं ने देखा है। होल्डिंग्स के बारे में जो भ्रांकड़े भ्राये हैं उन के भ्राधार पर कहा जा सकता है कि जैसा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में बताया गया है कि टेन्योर्स का सिम्पिलफिकशन होना चाहिये, भ्रगर हम चाहते हैं कि इस देश में भूमि व्यवस्था का पूर्ण रूप से सुधार किया जाये तो सब से पहली भ्रावश्यकता यह है कि हम देश में होल्डिंग्स का सेन्सस लें भौर उन को सीमित कर दें। इस वक्त भी होल्डिंगस के सम्बन्ध में हमें कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिस में यह कुछ भ्रांकड़े मिले हैं। इस के भ्रलावा भौर कोई भ्रांकड़े नहीं हैं इसलिये यह कठिनाई पैदा हो गई है कि हम इस देश में सीलिंगस सीमित करें या न करें। भ्राज हमारे सामने यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि भ्रगर हम जमीन पर सीलिंग्स रक्खेंगे तो हमारे उत्पादन में कमी हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बतलाऊं कि इस तरह का नारा सरदार लाल सिंह जैसे व्यक्ति लगाते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इस बात का समर्थन करते हैं कि सीलिंग्स लगाने से इस देश की पैदावार कम हो जायेगी, उन के पास ऐसा कहने के लिये क्या भ्राधार है। भ्राज देश की सब से बड़ी भ्रावाज गरीबों की भ्रावाज है। भ्राज सब से बड़ी भ्रावाज देश में यह है कि गरीबी का बटवारा हो, तो इस भ्रावाज के विरुद्ध क्या फैक्ट्स हैं, क्या भ्रांकड़े हैं ? कौन सी स्थिति है ? जब तक हमारे सामने ऐसे भ्रांकड़े न भ्रा जायें जो कि भूमि के बारे में हों भौर जो कि उत्पादन के बारे में हों उस समय तक हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिये। इस बात को मैं नहीं मानता हूं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी कदम उठाये जाने चाहिये।

भ्रब जो इकोनोमिक होल्डिंग्ज हैं भौर जो भ्रनइकोनोमिक होल्डिंग्ज हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यहां पर यह कहा गया है कि जब तक होल्डिंग्ज के सम्बध में सेंसस न हो जाये तब तक हम पारस्परिक सहायता प्रणाली के बारे में कोई कदम नहीं उठायेंगे। लेकिन जहां तक भ्रनइकोनोमिक होल्डिंग्ज का सवाल है उस प्रश्न पर हमें शीघ्र ही विचार करना चाहिये कि किस प्रकार हम उन जमीनों को ऐसी ऐसी स्थिति में ला सकते हैं कि वे इकोनॉमिक बन जायें भौर उत्पादन में भी वृद्धि हो। भ्राज इस देश में यह बात कही जाती है कि जो हमारा कृषक है वह बहुत ही इंडिविजुभलिस्टिक माइंड का है भौर भ्रपने व्यक्तित्व को छोड़ता नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भ्रगर हमारे कृषक को सिंचाई की सुविधायें ठीक समय पर मिल जायें, भ्रावश्यक सामान ठीक समय पर उपलब्ध हो जाये, उसको खाद मिल जाये तो वह भ्रपनी भूमि में

[श्री भगवत झा आजाद]

सुधार ला सकता है और अपनी उपज बढ़ा सकता है। लेकिन यह सुधार सिर्फ उन्हीं जमीनों में हो सकते हैं जो कि इकानामिक होल्डिंग्ज हैं। लेकिन जो अनइकोनोनिक होल्डिंग्ज हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि नवचीन में और यूनान में जो प्रयोग किये गये हैं वे बहुत ही सफल रहे हैं। चीन के बारे में श्री के० एम० पानीकर ने अपने चीन के दौरे के बाद इस प्रणाली पर जो अपने विचार प्रकट किये हैं वे ध्यान देने योग्य हैं। आपने लिखा है :

> इस प्रणाली ने खूब अच्छी तरह काम किया है उत्पादन बढ़ा है, खाद एवं समुचित कृषि औजार सुलभ हुये हैं तथा बिक्री के बेहतर साधन प्रस्तुत हुये हैं। इस पारस्परिक सहायता टोली प्रणाली की सफलता के लिये यह वृद्ध अपने देश का श्रमवीर चुना गया है।

मैं चाहता हूं कि हमारे देश में भी पारस्परिक सहायता टोली प्रणाली के बारे में जल्द फैसला होना चाहिये और इस पर अमल होना चाहिये। अगर ऐसा किया गया तो उत्पादन में भी वृद्धि हो सकती है। और कृषकों का भी भला हो सकता है।

सब से ज्यादा मैं जिस चीज पर ज़ोर देना चाहता हूं वह यह है कि हर तरफ से यह आवाज़ आ रही है कि सीलिंग लगाई जाये। आप ने यह कमी बताया नहीं है कि जो हर आय है उस पर सीलिंग लगाया जायेगा। यह केवल उन पर ही जिन के पास ४०, ५० या ६० बीघा जमीन है या इससे अधिक है, यह सीलिंग लगाया जाये। मैं कहता हूं कि जो बगल में रहने वाला आदमी है और जो न अपने हाथ गंदे करता है और न अपने पैर गंदे करता है, जिस को हजारों और लाखों की आय है उस पर [illegible] सीलिंग न लगाई जाये। जो लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि भूमि रखने वालों पर सीलिंग लगाई जाये मैं उनमें से एक हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि जो उसकी बगल में रहने वाला आदमी है उस पर भी सीलिंग लगाई जाये। वह आदमी जो अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है, खेत में नहीं जाता है, पंखे के नीचे बैठ कर आराम करता है और जो हजारों और लाखों रुपया कमाता है, उसकी इन्कम पर सीलिंग न लगे मैं इसे पसन्द नहीं करता हूं। मैं कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे वित्त मंत्री जी से और कैबिनेट से यह कहें कि अगर आप यह चाहते हैं कि सीलिंग हो, अगर आप चाहते हैं कि खेती में काम करने वाले कृषक की आय पर सीलिंग हो तो आप को उसकी बगल में रहने वाले और कुछ काम न करने वाले पर और हजार और लाख रुपया कमाने वाले पर भी सीलिंग लगानी चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह विधान के खिलाफ़ होगा। इस लिये मैं समझता हूं कि अगर इस देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाई जायें, यहां का उत्पादन बढ़े, तो आपको यह भी देखना चाहिये कि लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़े और उसके लिये खरीदार हों और अगर खरीदारों की संख्या बढ़ानी है तो किसान की जेब में पैसा होना चाहिये। इस लिये आपको इन सब चीजों की तरफ़ ध्यान देना होगा।

आपने बताया कि इस देश में सिर्फ पांच करोड़ एकड़ ही ऐसी जमीन है जिस के लिये समय पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। हमारे यहां दो साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। परसों ही वहां से लोग आये। मैं आप से पूछता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? जिन लोगों को उम्मीद थी कि उनकी कोठड़ियां धान से भर जायेंगी वह कोठड़ियां अब सूनी रहेंगी। यदि आप पांच करोड़ एकड़ जमीन के लिये सिंचाई

की व्यवस्था करते हैं वह तो ठीक है लेकिन मैं चाहता हूं कि सम्पूर्ण देश के लिये सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये । जो कुछ आप ने किया है उसकी मैं सराहना करता हूं और उसके लिये मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि सीलिंग्ज़ के सम्बन्ध में, होल्डिंग्ज़ के सम्बन्ध में, सिंचाई के सम्बन्ध में और दूसरी चीज़ों के बारे में आप अपनी नीति में सुधार कीजिये ताकि आपकी नीति के फलस्वरूप कृषकों को खेती के उचित साधन उपलब्ध हों ।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन दक्षिण) : कल जब मैं इस सदन में कुछ सदस्यों का भाषण सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि वे लोग हिन्दुस्तान की बातें न करके दूसरे देशों की बातें कर रहे थे । वह समझते थे कि जिस तरह से दूसरे देशों में बिना ट्रेक्टरों के, बिना बड़े बड़े चकलों के काम नहीं चल सकता है उसी तरह से हिन्दुस्तान में भी होना चाहिये । मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि शायद वह लोग गांवों में नहीं गये हैं और वह वहां की दशा को नहीं जानते हैं । वह विदेशों की बातें जानते हैं और वहां की ही बातें करते हैं । भारत में जो लोग खेती पर निर्भर करते हैं उनकी आबादी करीबन ८० फीसदी है । यदि आप विदेशों की बात देखें तो वहां पर यह बात नहीं है । वहां पर बहुत कम लोग खेती पर निर्भर करते हैं । भारतवर्ष में पापुलेशन अधिक है और खेती की ज़मीन कम है । इसके मुकाबले में अमरीका में पापुलेशन कम है और ज़मीन अधिक है । इसलिये हमें अपने देश का रूस या अमरीका के साथ मुकाबला नहीं करना है, हम को तो वही काम करना है जो हमारे देश के लिये लाभदायक हो, अन्यथा उन देशों का अनुकरण करने से हमारा काम नहीं चलेगा । यहां पर यह कहा गया जाता है कि बड़े बड़े चकलों के बग़ैर पैदावार ज्यादा नहीं हो सकती है । इस बात को मैं नहीं मानता हूं । हम लोगों का अनुभव है कि उन देहातियों के पास जिन के पास थोड़ी ज़मीन है कई जगह पर औस्तन पैदावार अधिक होती है बनिस्बतन उनके कि जिन के पास ज्यादा ज़मीन है और जो ट्रैक्टर्ज़ का इस्तेमाल करते हैं । इसके अलावा आप देखेंगे कि किसानों के बच्चे और स्त्रियां खेतों में जाकर काम करते हैं जब कि किसान स्वयं किसी दूसरी जगह जाकर नौकरी करता है । उनके पास थोड़ी सी ज़मीन होती है और सारा परिवार उसी पर लगा रहता है । चूंकि हम उनको दूसरे रोजगार दे नहीं सकते हैं इस वास्ते बहुत अधिक बेकारी है और साथ ही साथ थोड़े समय के लिये भी बेकारी होती है । इसको हम अनएम्प्लायमेंट और अंडर-एम्प्लायमेंट कहते हैं । यह दोनों ही बहुत ज्यादा हैं । हमारे सामने यह सवाल आता है कि हम उन लोगों का क्या करें जो कि अन-एम्प्लायड रहते हैं या अंडर-एम्प्लायड रहते हैं अगर हम ट्रेक्टरों का इस्तेमाल करें ? इस से उनमें बेकारी और भी ज्यादा बढ़ जायगी । जो बेकारी इस वक्त है हमें उसका मुकाबला करना है । इस दिशा में हमारे प्लानिंग कमिशन ने और हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें बनाई हैं कि छोटे छोटे रोजगार देहातों में चलाये जायें जिस से कि जो अंडर-एम्प्लायमेंट है वह दूर हो सके । इनको हम काटेज इंडस्ट्रीज़ कहते हैं । लेकिन जब तक हम ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं कर लेते हैं जिन से कि जो लोग अनएम्प्लायद हैं या जो अंडर एम्प्लायड हैं, उनको हम काम दे सकें, तब तक ट्रेक्टरों के ज़रिये खेती करना या बड़े बड़े चकले बनाना, उचित नहीं समझा जा सकता । मैं यह नहीं कहता कि अगर किसी के पास आधा या इकट्ठा करके एक एकड़ ज़मीन कई जगह हो तो उसको भी एक जगह न किया जाय, उसकी चकबन्दी न की जाये । मैं चाहता हूं कि यह कानून बने कि अगर किसी की कई जगह थोड़ी

[पंडित डी० एन० तिवारी]

थोड़ी ज़मीन है तो उसको एक जगह इकट्ठा किया जाय। लेकिन साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि जो बड़े बड़े किसान हैं उनकी जल्द से जल्द सीलिंग भी निश्चित किया जाये, नहीं तो देश में असन्तोष बढ़ता जायेगा और हम उसको नहीं संभाल सकेंगे।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जो लोग विदेशों की किताबें पढ़ कर उपाय बतलाते हैं वे हिन्दुस्तान में कारगर नहीं हो सकते। जब तक ये लोग स्वयं यहां के देहातों में नहीं जायेंगे और वहां की दशा को नहीं देखेंगे तब तक वह सही उपाय नहीं बतला सकते। हमारे यहां जो सब से बड़ी कमी है वह आबपाशी की है। अगर थोड़ी ज़मीन में भी पूरा खाद और सिंचाई का प्रबन्ध हो तो उसमें अधिक से अधिक पैदावार की जा सकती है।

दूसरी बात जो अक्सर देखने में आती है वह यह है कि हमारे किसानों में रिटेंशन पावर नहीं है। वे अपनी पैदावार को रोक कर नहीं रख सकते। उनके पास गल्ला होता है तो सीज़न में वह बाजार में जाता है और सस्ते दामों पर बिक जाता है। अगर गवर्नमेंट किसानों को शार्ट टर्म क्रेडिट देने का इन्तिजाम कर सके, जैसा कि प्रोपोजल है और हर इलाके में वेअरहाउसेज़ खोल सके जिनमें किसानों का गल्ला लेकर सरकार रख ले और जब उनको आवश्यकता हो तो दे दे, तो किसानों को बहुत लाभ हो सकता है। मैं ने देखा है कि जब किसानों के पास गल्ला होता है तो उस पर गिद्ध की तरह बहुत से लोग झपट पड़ते हैं और किसान को अपनी जरूरियात के लिये अनाज को जल्दी बेचना पड़ता है। उसे अपनी मालगुजारी देनी होती है और कपड़ा आदि खरीदना होता है। तो गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी कोई क्रेडिट का इन्तिजाम कर देना चाहिये ताकि किसान लोग अपने गल्ले को रोक कर रख सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय ने बतलाया है कि ५ हजार वेअरहाउसेज़ का इन्जिजाम किया जायगा। हिन्दुस्तान में करीब सात लाख गांव हैं। पांच हजार वेअरहाउसेज़ का इन्तिजाम क्या पर्याप्त होगा? इससे तो शायद शहरों का काम भी नहीं चलेगा। या हो सकता है कि ये वेअरहाउसेज़ ऐसे ऐसे स्थानों पर बनाये जायें जहां बड़े किसानों को फायदा हो सके। हम तो चाहते हैं कि इन वेअरहाउसेज़ से छोटे किसानों को फायदा हो सके।

श्री ए० पी० जैन: एक स्टोर हाउस दस और पन्द्रह गांवों का काम पूरा करेगा।

पंडित डी० एन० तिवारी: फिर भी पांच हजार से काम नहीं चलेगा। उनकी संख्या बढ़ानी होगी।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश में लोगों को कोआपरेटिव सोसायटीज़ का बहुत बुरा अनुभव है। पिछले वर्षों में जैसा इन सोसाइटीज़ का काम हुआ है उससे लोग घबरा उठें हैं। मंत्री महोदय ने बतलाया कि अब से उनको सवा ६ या साढ़े ६ पर सेंट से ज्यादा सूद नहीं देना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मैं उनसे एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूं कि पहले जो १५ पर सेंट, १८ पर सेंट और १२ पर सेंट सूद लिया जाता था, उसकी वजह से बहुत से किसान तबाह हो गये हैं। उनको कुछ राहत देने का उपाय सोचा जाय। हम यह मानते हैं कि आगे से उन पर सूद का ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले की ऊंची दर के कारण जिन किसानों की ज़मीनें आज को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के पास गिरवी रखी हुई हैं उनको कुछ छूट देने की कोशिश की जाय। उस समय १२ और १५ पर सेंट ब्याज लिया जाता था इसलिये ये जमीनें गिरवी

रखनी पड़ीं । इनके लिये कोई उपाय हो सके तो बहुत अच्छा हो ।

दूसरी बात मैं लेंड पालिसी के बारे में कहना चाहता हूं । आपको स्मरण होगा कि आजादी से पहले कांग्रेस के कराची सेशन में कुछ मौलिक प्रस्ताव पास हुये थे और उनमें एक प्रस्ताव यह था कि जो अनइकानमिक होल्डिंग्स होंगे उन पर मालगुजारी नहीं ली जायगी । यह प्रस्ताव बहुत सुन्दर है और गरीब किसानों के हक में है, लेकिन अभी तक उस तरफ़ कोई कदम नहीं उठाया गया है । अभी भी उस जमीन पर, जो ऊसर पड़ी हुई है, या जो पानी के अन्दर है या जिस पर खर उपजा हुआ है और जिससे किसान को कोई फायदा नहीं होता, मालगुजारी ली जाती है । तो मैं चाहता हूं कि उस मौलिक प्रस्ताव के अनुसार ऐसी जमीनों पर मालगुजारी न ली जाये । साथ ही अनइकानामिक होलडिंग्स उसी को नहीं कहना चाहिये जो कि ऊसर हो बल्कि ऐसे होल्डिंग को भी अनइकानामिक कहना चाहिये कि जो एक परिवार के गुजारे के लायक पैदावार न करता हो, और ऐसे होल्डिंग पर भी माल गुजारी नहीं लेनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि जैसे और व्यवसायों में एक निश्चित आमदनी पर इनकम टैक्स लिया जाता है वैसे ही खेती में भी होना चाहिये । उन लोगों पर मालगुजारी नहीं लगनी चाहिये जिनकी आमदनी एक हद से कम हो । जो हद आप मुनासिब समझें कायम कर दें । अगर आप बीघा या एकड़ के हिसाब से हद निश्चित न करना चाहते हों तो आमदनी के हिसाब से निश्चित कर दें, जैसे आप यह निश्चित कर दें कि जिस किसान को ५०० या १००० से कम आमदनी न हो उस पर मालगुजारी नहीं लगनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि इस तरह का उपाय होना चाहिये । हम देखते हैं कि जो लोग व्यवसाय में हैं उन पर ४२००रू० की आमदनी तक कोई कर नहीं लगता और वह अपनी आमदनी से अपना रोजगार बढ़ाते हैं और अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण करते हैं । लेकिन किसान को तो सूखा पड़ जाने पर भी मालगुजारी देनी पड़ती है । इसलिये ऐसा नियम होना चाहिये कि जब तक किसान के पास उसके खर्च से अधिक पैदावार न हो तब तक उस पर मालगुजारी नहीं लगनी चाहिये ।

एक बात मैं मंत्री महोदय से और अर्ज करना चाहता हूं । वह यह है कि यद्यपि उनके विभाग ने पिछले तीन चार साल में बहुत तरक्की की है और देश की स्थिति को बहुत कुछ सुधारा है । लेकिन हमारी पापुलेशन तेजी से बढ़ रही है इसलिये उनको एक बात और करनी चाहिये : वह यह है कि उनको सिंचाई के साधन बढ़ाने चाहियें । अगर थोड़ी सी जमीन में भी सिंचाई का ठीक प्रबन्ध हो तो बहुत पैदावार हो सकती है । मैं अधिक समय न लेकर इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान रखा जाय ।

अब मैं अपने इलाके के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं और उसके बारे में मैं ने इससे पहले भी कहा है । मेरे इलाक़े की स्थिति कुछ रेलवे मंत्रालय के कारण, कुछ वित्त मंत्रालय के कारण और कुछ सिंचाई मंत्रालय के कारण बहुत खराब है । मेरे इलाके में गाड़ियां बहुत देर से जाती हैं । इसका परिणाम यह होता है कि अगर यू० पी० और पंजाब में अनाज की दर दस और आठ रुपया मन है तो हमारे यहां १६ और १८ रुपये मन होती है । मंत्री महोदय ने कई बार कहा कि वे इसको देख रहे हैं और इसके लिये उपाय करेंगे । इसके लिये उन्होंने कुछ व्यापारियों को दोष दिया, कुछ हम लोगों को दोष दिया, लेकिन इस दोषारोपण से तो समस्या हल नहीं हो सकती । इसका कुछ उपाय होना चाहिये । आप लोगों को एक तरफ़ प्राइस सपोर्ट देने पड़ रहे हैं । अगर उनका गल्ला हमारे यहां

[पंडित डा० एन० तिवारी]
भेज दिया जाय तो वह अच्छे दाम में बिक जायगा, इससे उन काश्तकारों को भी फायदा पहुंच जायेंगा । और हमारी समस्या भी हल हो जायगी ।

श्री ए० पी० जैन : हमने पांच लाख मन गल्ला आपके यहां १२ रुपये मन के हिसाब से भेजा है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : जिस इलाके की बात मैं कह रहा हूं वहां की आबादी एक करोड़ है । पांच लाख मन गल्ला वहां कितने दिन के लिये पर्याप्त होगा यह आप ही सोच लीजिये ।

Shri Velayudhan: Sir, I would suggest that representatives of villages who are actually working in the soil may also be given a chance so that they may make their contribution to the debate.

Mr. Deputy-Speaker: Yesterday only Members from the Opposition were called; 3 of them spoke for 1½ hours. Hon. Members ought not be impatient if some other people are called today from the other side. I am restricting the time to 15 minutes each.

श्री विभूति मिश्र : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे हमारे प्रान्त में ज़मीन के सुधार के काम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और यह ज़मीन के सुधार का काम सर्वप्रथम हमारे देश में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ़्रीका से लौट कर चम्पारन में शुरू किया और इसके बाद ज़मीन के सुधार का काम सन् १९३७ ई० में जब बिहार प्रान्त में कांग्रेस की मिनिस्ट्री स्थापित हुई तो उसने इस काम को आगे बढ़ाया और रयैतों को काश्त के ऊपर हक़ दिया और उसने ज़मीन में ईंटें बनाने के लिये, पोखरा बनवाने के लिये और तालाब आदि बनवाने के लिये बहुत सी सुविधायें दीं और किसानों को हक़ दिये और कांग्रेस ने बार बार इस बात की घोषणा की कि ज़मींदार को हटा देना चाहिये और हमने देखा कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब कांग्रेस के हाथ में शासन की बाग-डोर आई तो कांग्रेस सरकार ने ज़मींदारी प्रथा को हटाया, हमारे ज़मींदार मित्रों ने उसको न हटने देने के लिये तरह तरह के अड़ंगे लगाये और अड़चनें डालीं लेकिन उनकी पर्वाह न करते हुये हमारी केन्द्रीय सरकार ने विधान में आवश्यक संशोधन करके ज़मींदारी प्रथा को खत्म किया । आज बिहार के १७ जिलों में से ८ जिलों में से ज़मींदारी खत्म हो गयी है और बाक़ी ९ जिलों में से भी इस वर्ष ज़मींदारी समाप्त हो जायेगी । यह तो ठीक है कि ज़मींदारी की ज़मींदारियां खत्म होती जा रही हैं लेकिन उनके हटने में जितनी देर लगती है उस बीच में बड़े बड़े ज़मींदारों ने अपने पास काफ़ी काश्त रख छोड़ी है और काफ़ी खेती लायक़ ज़मीन अपने पास रक्खे हुये हैं और काश्तकारी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे फूड मिनिस्टर इस ओर ध्यान दें और जितनी जल्दी हो सके उनकी काश्तकारी के ऊपर कोई सीलिंग लागू की जाये । मैं ऐसे अनेकों बड़े बड़े ज़मींदारों को जानता हूं जिनके कि परिवार छोटे हैं और जो २०० एकड़ ज़मीन अपने पास रक्खे हुये हैं और ट्रैक्टर रख कर काफ़ी पैदावार कर सकते हैं और आरामी की ज़िन्दगी बसर कर रहे हैं जब कि हमारे किसानों की हालत बड़ी खराब है और हमारे बहुत से आदमी खाने के बग़ैर मरते हैं, उनके पास खेती करने के लिये ज़मीन नहीं है और रहने के वास्ते मकान नहीं हैं और सरकार को इनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और जैसे भी सम्भव हो इनको राहत पहुंचानी चाहिये और हमारी समस्या का एक मात्र हल महात्मा गांधी का बताया हुआ "अपरिग्रह व्रत" है और मेरी राय है कि जब तक इस वृत्ति से काम

नहीं होगा तब तक देश से गरीबी और मुसीबत दूर नहीं होगी ।

कल हमारे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सदस्यों श्री अशोक मेहता और ए० के० गोपालन ने अपने भाषणों में बतलाया कि ट्रावनकोर-कोचीन में किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया है जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये और किसानों के दुखों और कठिनाइयों को हल करने का प्रयत्न करना चाहिये । और किसानों को राहत पहुंचाने का कार्य तो हमारे वहां वर्षों पहले गांधी जी ने चम्पारन में शुरू किया था और तब से वहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट बरारबर किसानों को राहत देने के लिये कदम उठा रही है और हम लोग हमेशा जमींदारीं के अत्याचारों के खिलाफ़ लड़ते आये हैं और किसानों को हमने यथा संभव राहत पहुंचाई है और इसी उद्देश्य को सामने रखते हुये हमारी बिहार सरकार जमीन की सीलिंग फिक्स करने जा रही है, हमारे मुख्य मंत्री ने कहा है कि गांव की जमीन गांव वालों की होनी चाहिये । मैं केन्द्रीय सरकार से केवल इतना कहूंगा कि हमको अपने राहत सम्बन्धी कामों में थोड़ी तेजी लानी चाहिये और अपने सरकारी अफ़सरों को इसके लिये हिदायत देनी चाहिये कि आज जो हम काम में ढील और सुस्ती देख रहे हैं, वह वांछनीय नहीं है और उनको अपने कामों में तेजी और प्रगति लाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा अनुभव हमें बताता है कि यह जमींदार लोग बड़े होशियार हैं, इंटर-मीडियरीज बड़े चालाक लोग होते हैं और वह दूसरा रास्ता अपने लिये निकाल लेते हैं और जब हम उस रास्ते को काटने के लिये जाते हैं तो इस बीच में वे कोई एक तीसरा रास्ता अपने लिये निकाल लेते हैं, इसलिये सरकार को इस सीलिंग के मामले को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मामले को तय कर देना चाहिये ।

आज इस समय यहां पर हमारे वित्त मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं, फूड मिनिस्टर तो मौजद हैं ही और अगर प्राइम मिनिस्टर मौजूद होते तो और भी अच्छा होता, खैर, मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि आज आप किसानों की जमीन की सीलिंग तो फिक्स करने जा रहे हैं लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, राष्ट्रपति हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं और बैंक वाले हैं, उनकी आमदनी पर आप कोई सीलिंग क्यों नहीं लगाते ? आज हमारे इस देश में करीब ८० प्रतिशत किसान हैं यदि वे गांधी जी के सिद्धान्तों पर चलते हैं, तो उनको गांधी जी के "अपरिग्रह" के सिद्धनत को अपनाना होगा और उसको अमल में लाना होगा और मेरा तो पक्का विश्वास है कि जब तक इस व्रत का पालन नहीं किया जायेगा तब तक इस देश में चैन कायम नहीं हो सकता । साथ ही मैं आपको यह चेतावनी भी देना चाहता हूं कि ८० फीसदी आदमियों की आमदनी पर तो आप सीलिंग रख दें और २० फीसदी आदमियों को वैसे छोड़ दें तो यह चलने वाला नहीं है और ८० फीसदी आदमी उन २० फीसदी आदमियों को रहने नहीं देंगे । और अगर आप उनकी आमदनी पर कोई सीलिंग नहीं बैठाते तो याद रखिये आप एलेक्शन में हार जायेंगे और आपको उन ८० फीसदी आदमियों के वोट नहीं मिलेंगे । इसलिये मैं अपने फूड मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इस बात को कैबिनेट में लायें, हमारे वकील वही हैं और हम उनसे आशा करते हैं कि वे कैबिनेट में इस चीज को ले जायेंगे और हमारे हितों की रक्षा करेंगे । हमें अपने वित्त मंत्री से भी काफी आशा है कि वे हमारे हितों को देखेंगे, उन्होंने पुराना जमाना देखा है, आई० सी० एस० रह चुके हैं और अब नया जमाना भी देख रहे हैं और अब तो वानप्रस्थ की अवस्था

[श्री विभूति मिश्र]

में हैं, और वे देश से इस गरीबी की बीमारी को दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठायें और वे क्यों नहीं यह जो इतनी लम्बी लम्बी तनख्वाहें पा रहे हैं और लाख लाख और पचास पचास हजार रुपये कमा रहे हैं, उनकी आमदनी में क्यों नहीं सीलिंग लगाते और उसको गरीबों में बांटते ? हमारे श्री ए० के० गोपालन और श्री अशोक मेहता ने बताया कि ट्रावनकोर-कोचीन में किसानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है तो यह तो बहुत अनुचित कार्य है और उनको वहां के चीफ़ मिनिस्टर साहब से इसके लिये कहना चाहिये था । इसी तरह मैं आपको बतलाऊं कि एक मेरिख सहाब हमारे मोतीहारी के किसानों को बहुत तंग करते थे तो हमारे चीफ मिस्निटर ने उनसे कहा कि आप अपने अत्याचार बन्द कीजिये और उनन्होंने उनकी बात मानी और किसानों ने चैन की सांस ली । एक दूसरी चीज़ जिसकी तरफ़ मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा वह है गंडक नहर का हमारे यहां होना । अगर वह नहर हमारे यहां हो जाय तो बिहार का काम चल जायेगा और यू० पी० का भी काम चल जायगा और लोग अपनी खेती बाड़ी का काम अच्छी तरह कर सकेंगे और उनको खाने का आराम हो जायगा । आज वहां पर पानी का प्रबन्ध न होने से लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते और जिनके पास २० से २५ एकड़ तक ज़मीन है, वे अपने खाने लायक नहीं पैदा कर पाते हैं, इसलिये गंडक नहर की सुविधा हमारे लोगों को दी जानी चाहिये ।

आज जो रूरल सर्वे की रिपोर्ट निकली है उसके पहले की जो कोपआपरेटिव सोसायटी है वह वैसी ही है जैसे इंगलिश हिस्ट्री में अंग्रेज लोग । कौमवेल पीरियड को कोई नहीं मानता हैं । पहले जो कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनी थीं, वह धर्म प्रचार के खातिर बनी थीं और मैं आपको बतलाऊं कि पहले जो अंग्रेज पादरी थे वह धर्म प्रचार करने के लिये को-आपरेटिव का काम करते थे । एक हाजी साहब पहले मोताहारी में थे और फिर पूना में चले गये थे । वे कोआपरेटिव सोसायटी के ज़रिये धर्म प्रचार का कार्य करते थे और लाखों रुपया उन्होंने इस धर्म प्रचार में कोआपरेटिव का लगा दिया और जब हिसाब किताब की जांच होने लगी तो वहां से चले गये । आपने को-आपरेटिव सोसायटीज़ में सूद की दर साढ़े छै परसेंट रक्खी है जो कि किसानों के वास्ते बहुत ज्यादा है और यह उनके बूते के बाहर की बात है, इसलिये आप इस सूद की दर को घटा कर चार परसेंट रखिये ।

दूसरी बात यह है कि आप कोआपरेटिव सोसायटियों में जो कर्मचारी रखते हैं उनको रखते वक्त आप को उनके बारे में काफी छान-बीन कर लेनी चाहिये और उसके बाद ही सन्तोष हो जाने पर उनको अपनी सोसाय-टियों में रखना चाहिये क्योंकि अक्सर को-आपरेटिव सोसायटियां गलत आदमी रख लेने की वजह से फेल हो सकती हैं और उनके फेल होने में इन आदमियों का जबर्दस्त हाथ होता है । कोआपरेटिव सोसायटियों में मनी लेंडर्स को न रखिये क्योंकि यह मनीलेंडर्स का एक ऐसा तबक़ा है जो आपकी सोसाइटियों को फ़ेल कर देगा और नष्ट कर देगा । हर जिले में जो आपके सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक्स होते हैं उनमें कोई व्यापारी मेम्बर आप न रक्खें, बल्कि ठेठ किसान मेम्बर रक्खें, बड़े बड़े धनी आदमियों को भी उनका मेम्बर नहीं बनाना चाहिये, वह कोआपरेटिव सोसाय-टियों को खत्म कर देंगे । इनके ज़रिये आप दो क़िस्म के क़र्ज़े देंगे, एक तो एग्रीकल्चरल लोन और दूसरा रूरल लोन । एग्रीकलचरल लोन तो आप दे लेंगे लेकिन रूरल लोन आप नहीं दे पायेंगे, उसमें आपको करोड़ों रुपये दरकार होंगे । इसके लिये आप को अरबों

रूपया चाहिये । गांव में शादी होती है, विवाह होता है, श्राद्ध होती है, बहुत से कामों के लिये रुपया चाहिये । इस लिये मैं कहूंगा कि कोआपरेटिव सोसायटी के लिये जो कदम आप उठा रहे हैं उस के लिये काफी सोच विचार कर आदमियों को रक्खा जाये । पहले जो आदमी रक्खे जायें उन को कोआपरेटिव की ए, बी, सी, डी, की ट्रेनिंग दें । जहां तक पुराने आदमियों का सवाल है उन को न रक्खा जायें । उन में से कई ईमानदार भी हैं, सभी बेईमान नहीं हैं, लेकिन उन पुराने आदमियों को काफी छानबीन करनें के बाद रक्खें ताकि सोसायटी का काम ठीक से चले ।

दूसरी बात मैं मार्केटिंग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मैं अपने फूड मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि सभी गल्लों के दाम गिर गये हैं । हम को लड़का पढ़ाना पड़ता है, नमक खरीदना पड़ता है, बैल खरीदना पड़ता है, छाता खरीदना पड़ता है, कपड़ा खरीदना पड़ता है, सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं । तो जिस रफ्तार से हमारे गल्ले का दाम गिरता जाता है उसी रफ्तार से सब चीज़ों के दाम गिराइये । अगर उस रफ्तार से दूसरी चीज़ों के दाम नहीं गिरे हैं, दो ही तीन चीज़ों के गिराते हैं तो किसान बेचारा मर जायेगा । मैं अशोक मेहता साहब से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी जिन्दगी के कितने दिन देहात में बिताये हैं ; वह केवल किताबों को पढ़ कर ही यहां व्याख्यान देते हैं । गोपालन साहब ने कितने दिन अपनी ज़िन्दगी के गांव में बिताये हैं ?

डा० राम सुभग सिंह (शाहबाद—दक्षिण) : टाइम उन्हीं को मिलता है ।

श्री विभूति मिश्र : इसी लिये वह सिर्फ गल्ले के दाम की बात कर रहे हैं । मैं आप से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे गल्ले के दाम गिरते हैं उसी रेशियो में दूसरी चीज़ों के दाम भी गिरना चाहिये । मैं आप से कहता हूं कि हम तो देहात में गल्ला पैदा करते हैं लेकिन हम को १० रु० महीना तो लड़के की स्कूल की फीस देनी पड़ती है । फिर अगर पीछे से वह किसी प्रोफेसर से पढ़ता है तो वह अलग से ट्यूशन फी लेता है । अगर हम को अपने पैदा किये हुये चावल के लिये सिर्फ ११ रु० मन मिलता है तो कैसे हम इतना पैसा दे सकते हैं ? गांधी जी कहते थे कि एक मजदूर की तन्ख्वाह में और राष्ट्रपति की तन्ख्वाह में कोई फ़र्क़ नहीं होना चाहिये । राष्ट्रपति की हम इज्जत करते हैं, मजदूर जोकि खेतों में काम करता है, उस की भी हम इज्जत करते हैं । लेकिन पेट तो दोनों ने एक ही पाया है । राजन्द्र बाबू का पेट किसी मजदूर से बड़ा नहीं है । थोड़ा कम ही खाते होंगे । मैं भी आदमी हूं और राष्ट्रपति भी आदमी हैं । मैं उन की इज्जत करता हूं कि क्योंकि वह हमारे राष्ट्रपति हैं । मेरा लड़का पढ़ने के लिये जाता है, वह नीचे से लेकर ११ वीं कक्षा तक फर्स्ट आता है, लेकिन कालेज में उस को पढ़ाने के लिये मेरे पास पैसा नहीं है जब कि एक सेठ जिसका पेट फूला हुआ है, जो बेईमानी करके पैसा लाता है उस का लड़का इंगलैंड पढ़ने के लिये जाता है । यह दोनों की आमदनी के ऐडजेस्टमेंट से ही हो सकता है, ऐडजस्टमैन्ट ही देश का कल्याण कर सकता है । इस लिये मैं कहूंगा कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर यहां बैठे हुये हैं, हमारे गल्ले का दाम का वही रेशियो होना चाहिये जो कि और चीज़ों का है । ऐसा होने पर ही हमारा कल्याण हो सकता है नहीं तो किसान मर जायेंगे ।

इस के बाद मैं लगान के प्रश्न पर आता हूं । हमारे यहां जमीन महंगाई के समय बन्दोबस्त हुई, बहुत सी जमीन है जिसका रेन्ट ज्यादा हो गया है । वह रेन्ट अभी कम नहीं हुआ है । जमीदारी ले ली लेकिन लगान वही रहा । इस लिये मैं कहूंगा कि जिस रफ्तार से

[श्री विभूति मिश्र]

और जगहों पर दाम गिर रहे हैं, उसी प्रकार से इस सिलसिले में भी कि जमीन की मालगुजारी कम हो इन्तजाम करना चाहिये।

इस के बाद आप देखिये। जूट है, ग्राउन्ड नट है, शुगर केन है, और बहुत सा कच्चा माल है, काटन है, जिस से कि फिनिश्ड गुड्स बनाये जाते हैं। हम को एक मन जूट का दाम १३ या १४ रु० मिलता है अगर उसी जूट के बोरे बन जाते हैं मिल में एक एक मन जूट के बोरे का दाम ५० रु०, ६० रु० लिया जाता है। क्या कच्चे जूट में और उस जूट के फिनिश्ड गुड्स में इतना फर्क हो गया कि दाम इतने बढ़ जायें? आज हम किसान असंगठित हैं, हमारा कोई संगठन नहीं है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के संगठन हैं, उन का आप के यहां पहुंचना आसान है, किसानों का पहुंचना कठिन है। यह मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट के मेम्बर आप के पास पहुंच जायेंगे, लेकिन आप बतलाइये कि मेरी डबल मेम्बर कान्स्टिटुएन्सी से जिस में ४ लाख वोटर्स है, कितने किसान आप के पास पहुंचे? इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि इस का रेशियो किया जाय ताकि रा मैटीरियल और फिनिश्ड गुड्स के दामों का अन्तर घटे। फिनिश्ड गुड्स और रा मैटीरियल की कीमत में जो फर्क है उस को बहुत ज्यादा न रक्खें बल्कि उस को इस तरह से रक्खें ताकि दोनों का मुनाफा हो सके।

इस के बाद आप वेअरहाउसेज का प्रश्न लीजिये। आप दस, पन्द्रह गांवों में एक वेअर हाउस बनाते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे फूड मिनिस्टर साहब यह आर्गू करेंगे कि उन्होंने ५,००० वेअरहाउसेज बना कर बड़ा भारी कदम उठाया है। इस के लिये कोटि कोटि धन्यवाद, लेकिन मेरा ख्याल है कि ५,००० वेअरहाउसेज से काम नहीं चलेगा। किसान किस मात्रा में गल्ला रखते हैं इस का आप को अन्दाजा नहीं है। इस लिये आप और ज्यादा वेअरहाउसेज बनाइये। इस से साल दो साल के अन्दर हमारी रक्षा हो सकेगी।

श्री ए० पी० जैन : अभी हम १२,००० सोसायटी कायम करेंगे यह बताया गया है। हर एक सोसायटी के पास एक वेअरहाउस होगा जिस को या तो वह बनायेगी या किराये पर लेगी। तमाम स्टेट्स से पूछने के बाद, कि कितने वेअरहाउसेज का दूसरे जरियों से इन्तजाम हो सकता है, तब हम ने ५,००० वेअरहाउसेज बनाने का निश्चय किया है। बहरहाल १२,००० वेअरहाउसेज सोसायटीज को इस्तेमाल करने के लिये मिलेंगे।

श्री विभूति मिश्र : मेरा कहना यह है कि आप ऐसा सिद्धान्त रक्खें कि एक सर्टेन ऐमाउन्ट तय कर दें कि जिस की इतनी आमदनी है, जो १० रु० रेन्ट देता है, हमारे गांवों में हरिजन भाई रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, वह मालगुजारी नहीं चुका पाते हैं, तो उन के लिये कुछ ऐसा इन्तजाम कीजिये कि कुछ हिस्से को आप अपनी मालगुजारी में लीजिये और तब उस को फ्री लैंड दीजिये, उससे रेन्ट न लीजिये।

दूसरी बात स्माल होल्डिंग्स के बारे में है। इस सम्बन्ध में एक नया सिद्धान्त यहां पर रक्खा गया, खास तौर से उन लोगों के द्वारा जो एकानमिक्स की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि जिन के पास छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं उनमें अधिक पैदावार होती है। साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन के पास काफी जमीन है। उन की खेती की अपेक्षा छोटे छोटे खेतों के गल्लों के साथ मुकाबला किया जाय कि उन के पास कितना गल्ला हुआ और छोटे छोटे खेतों में कितना हुआ। उस के बाद औसत दाम निकाल लिया जाय। जब तक हमारे देश में ७०, ८० फी सदी का खेतों पर ही सारा बोझ है और जब तक उस को

कम करने का इन्तजाम नहीं किया जाता तब तक आप चाहे जो रिफार्म्ज लायें, कोई भी काम नहीं चल सकता है । आज भी हमारे गांवों की हालत बड़ी खराब है । सब लोग जानते हैं कि एक खेत है उस में हम ने भदई किया, रबी किया और अगहनी किया । उस के बाद खेत काटने को जाते हैं तो दो बोझे काट लाते हैं और तब खाते हैं । जब मजदूरी कुछ नहीं लगता है, कोई काम उस के लिये कहीं नहीं लगता है, तो वह जो बोता है वही काट कर खाता है । अगर आप वहां पर चकला बैठा देंगे तो कैसे काम चलेगा ? हमारी औरतें पर्दा आब्जर्व करती है, आज तो वह खेतों पर काम कर लेती हैं, लेकिन अगर आप चकला चला देंगे तो क्या वह दूसरों के खेतों में काम करेंगी ? कभी नहीं । महात्मा जी गावों की परिस्थिति को जानते थे, वहां की नब्ज पहचानते थे और उस के मुताबिक़ काम किया करते थे । हमारे भाइयों ने कहा कि यहां कोआपरेटिव बेसिस पर गांव में खेती की जाये । मैं अशोक मेहता साहब से पूछना चाहता हूं कि आप की पार्टी में १० आदमी हैं, उन में तो आपस में रिफ्ट पड़ गया तब आप कैसे समझ सकते हैं कि जिस गांव की आबादी एक हजार की है वहां लोग एक हो कर खेती कैसे कर सकते हैं ? यह कभी सम्भव है ? हम लोग भेद के लिये और खेत के लिये जान दे देते हैं, आपस में कट मरते हैं, तो क्या कभी यह सम्भव हो सकता है । इस लिये मैं फूड मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह इस की जांच पड़ताल करें कि स्माल होल्डिंग्स में कितनी पैदावार होती है और बड़ी होल्डिंग्स में कितनी पैदावार होती है । और उस के बाद उन का औसत निकाल लिया जाय । जब तक हमारे खेती के सिर पर से ३०, ४० फी सदी लोगों का बोझा नहीं हटेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे । इस लिये मैं कहता हूं कि आप छोटी बड़ी होल्डिंग की बात को छोड़ दें ।

आप को खाद का भी दाम घटाना चाहिये । जो फर्टिलाइजर आप देते हैं उस को भी गल्ले की कीमत के हिसाब से सस्ता कीजिये । फर्टिलाइजर तो फूड एण्ड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की चीज है, उस की कीमत तो आप घटाइये । साथ ही पानी का चार्ज भी घटाइये । आप को आबपाशी का चार्ज भी घटाना चाहिये । आज आप उस को नहीं घटाते हैं ।

एक बात और है । अभी एक नया पम्प लगाया है सिंचाई के लिये, वह सन्तोषप्रद काम नहीं कर रहा है । कारण यह है कि उस का चार्ज बहुत ज्यादा है और किसान उस को ले नहीं रहे हैं । इस लिये आप के लिफ्ट सिस्टम के इरिगेशन में दिक्कतें आती हैं ।

मैं अपने फूड एण्ड एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कहूंगा कि वह किसानों के मालिक हैं, लेकिन जरा दस पन्द्रह दिन के लिये गांवों में जा कर तो देखें कि वहां पर किसानों की क्या हालत है । उन को मैं समझता हूं कि खबर नहीं है कि उन की क्या हालत है, क्योंकि कभी देखने के लिये जाते तो हैं नहीं । पंच वर्षीय योजना में जो मजदूर लोहा पैदा करते हैं उन को प्राविडेंट फंड मिलता है, लेकिन जो गल्ला पैदा करते हैं उन को हमारी सरकार कुछ नहीं देती । उन को प्राविडेंट फण्ड भी देना चाहिये जो कि गल्ला पैदा करते हैं ।

MEMBER SWORN

1 P.M.

Shri Ram Krishna Gupta (Mohindergarh).

MOTION *RE* ECONOMIC POLICY

Shri G. H. Deshpande (Nasik Central): If one would take a cursory glance over the things that have happened in our rural areas during the last 8 years, one will find undoubtedly that a great change has

[Shri G. H. Deshpande]

come over. The peasant of the past was in a worse condition during the British regime. Most of the lands during the British regime were owned by big zamindars, landlords, inamdars, jagirdars and others. Some of them were good people no doubt, but most of them exploited the peasants and exploitation was at its worst height. Along with this, under the British regime, all the old industries which were once flourishing and which were once the cause of jealousy of the world, were crushed and there was no other source of income for the people. There was great exploitation from generation to generation under which the peasant had to suffer. We will find that there was a great correlation between our nationalist movement for independence and development of the rural areas. The peasant was always linked with the nationalist movement. Only the other day I was reading the life of late Lokmanya Tilak. He was prosecuted under section 124. That was the first prosecution in 1896. It was in 1896 that in Maharashtra there was a very terrible famine; conditions were very bad and the worst exploitation was that of the peasant. Tilak organised the peasantry and he organised meetings in the range of police guns. That was the lot of the peasants then. As the movement went on, it was the peasant who came forward and he thought that he can improve his lot only if the British regime was undone. When Mahatmaji came, he took the lead. Yesterday my friend Shri Gopalan from the Opposition Benches referred to the Resolution that was passed in 1936. This meeting was held in Maharashtra in 1936. It was in one of the villages in East Khandesh. There a resolution was passed on the agrarian reform. That was a progressive resolution. I am very glad that Shri Gopalan admitted that it was a progressive Resolution.

Shri N. R. Muniswamy: He was in the Congress at that time; you were not there at that time.

Shri G. H. Deshpande: I was long before in the Congress and I spoke on that resolution also. However, when that resolution was passed, we were not in power. In 1937 for the first time some Congress Ministries came in power in certain provinces. Then this problem was undertaken. At that time they wanted to introduce certain land reforms. Certain legislation was undertaken in different States; but naturally that was limited in scope because at the Centre the British power was there. Very soon these Ministries came in clash with the imperialist power and they had to give up that constructive work. But what has happened during the last 8 years? Most of the intermediaries are removed. If we had taken some violent steps, I do not know what would have happened. But wisely we adopted non-violent and democratic methods. Today the world can see that most of the intermediaries in India are removed and the position of the tiller of the soil is much better. The tiller of the soil is not made the owner of the soil as yet I am too conscious of it; but progress is being made in that direction in every State day by day. He is not exploited and he is not removed from the field. All these zamindars and jagirdars is a matter of past and the conditions in the rural areas are much better now. Where are those money-lenders now who were so powerful eight years before and under whom the peasantry was labouring under indebtedness all these years? Now as a result of State legislation the burden of the debts is much less than it was 8 years before. In times to come, I have no doubt that our peasantry will be free from this exploitation. But in spite of these reforms, we have to take into consideration the fact that there are many people in the rural areas who have land hunger. We are not in a position to satisfy that land hunger. It is a serious problem and it is no use trying to copy examples of other countries. Russia has vast lands and has nearly half the population of India. But we have limited resources

of land and our population is large and the speed with which it is growing is rather enormous. So, we have to take into consideration all these factors. Already the land is burdened by more peasants than necessary and more people cannot find employment on the land. Now this distribution of land also has some significance and some meaning to a limited extent; otherwise it will be nothing but distributing poverty. Now most of the big land-owners are not having ownership and in every State legislation has already been passed to restrict the ownership of land. In my State the Bombay Government long before has passed legislation that nobody can have more than one-sixth of the produce. Now recently the Bombay legislature has passed a very progressive land legislation. I claim that it is one of the most progressive legislations passed regarding the land reforms in the Indian Union. Even then the problem is not solved. We will have to out some other avenues for the employment of the landless peasants. Some hon. Members have said in this discussion that some Government waste lands are available in Bombay State. There are no lands available in Bombay. In my district at least there are no lands available; whatever lands were available have already been distributed. During the last 5 years we were only able to distribute 30,000 acres of land among the Adivasis and Harijans. There was no more land available. Most of the land that is cultivable has been brought under the plough and that is owned by poor agriculturists. If at all in certain other States, Government are in a position to distribute some lands which can be reclaimed, I would suggest that these lands should be distributed amongst the landless peasantry. Especially, the land should be distributed among the Adivasis and Harijans. If they have got a piece of land, that will not only add to their economic status, but also to their social status, because in a village if one owns some land, he gets some status at once. Therefore, whatever lands are available for distribution, they should be given to landless peasants, preferably to the Adivasis and the Harijans. That is my suggestion. But, I would like to say one thing. The time has come when we must fix a ceiling in every State. What happens today? We are afraid that if the ceiling is fixed, if we deprive the big landlords of their land, who are doing mechanised cultivation, who are managing the lands efficiently, our production may go down. There is some truth in it, I have no doubt. As I have said, we must proceed in this matter cautiously. But, we cannot over-emphasise that. If we are not going to deprive the big land owners, who owns thousands of acres of land, however efficiently they may be managing the lands, that does not fit in with the socialistic society that we have in view. We must go ahead. They must be deprived of their lands. Of course, some compensation may be paid to them. Those lands must be distributed to the peasants who have no lands of their own.

Shri Velayudhan: Who will pay the compensation? The tiller?

Shri G. H. Deshpande:. An hon Member said a little while ago that in a particular State, a Maharaja, a prince owned thousands of acres of land and they can be made available for distribution. But, peasants and not the Maharaja are tilling the land. The tenants are already there. You may remove the Maharaja; but the tenants will remain there. You will have to consider their case. If at all lands are to be made available to landless peasants, that can be made available only from Government land and from lands which you can take away from big landlords who are cultivating their lands today, by fixing some ceiling in every State. A ceiling must be fixed. That reform must be introduced in every State.

At the same time as my predecessor said, in the rural areas people do say, you want to fix a ceiling on our incomes, you want to fix a ceiling on our possessions, what about other eco-

[Shri G. H. Deshpande]

nomic fields and activities? You must take that into consideration. You cannot do it in an isolated manner. Our move must be integrated. If we are now trying to fix a ceiling, I would like you to hasten the process of fixing the ceiling for agricultural holdings in all the States. At the same time, forget not that there is a cry now that in other economic fields also, a ceiling must be fixed.

Having said all this, we have to look after agriculture and its improvement. Much progress has been made in that respect also during the last 8 years. People have taken to improved seeds, and improved manures. Great progress has been made regarding irrigation also. The region from which I come is known for famine. It is known for scarcity. Repeatedly scarcity conditions prevail there. Unless and until the Minister of Agriculture and the Planning Commission pay special attention to such areas which are always under scarcity conditions, you won't solve their problem. Some scheme must be undertaken which will give them protection. It may not be economically very advantageous. But, you have to give protection to the area. You have to undertake protective schemes and give relief to those areas. That is what I want to place before the House.

The question of capital for the development of agriculture has been successfully undertaken by the Government. I thank the Minister of Agriculture for having tried to come out boldly to implement the recommendations of the Rural Credit Survey Committee. I do expect success to this move. At the same time, it is not only the Government's efforts that will succeed. We all have to co-operate. What happen is this. I have experience of this in Bombay. Everybody says, give takkavi loans. Crores of rupee are in arrears. We have also some responsibility, because we have to go before the public to get their votes. Whenever they come to us, we say, give them loans. We do not go to the villages and tell them that it is their duty to repay the loans and that it is their duty to spend the takkavi loans for the purposes for which they have been taken. We must create this consciousness in the Indian masses. When credit is offered on a large scale, we have to see that our agriculturists benefit by it with a sense of responsibility. If that is done, I have no doubt that the progress that we have made will be maintained.

We are proud of the progress that we have made. I have no doubt that that progress will continue to be maintained. You can compare the changes that we have brought about in our rural economy with those in any other modern country in the world and you will find that India has reason to be proud about it.

Shri Mohiuddin (Hyderabad City): The findings of the Rural Credit Survey Committee that after over 50 years of the existence of the co-operative movement, the credit advanced by the co-operatives amounts only to about 3 per cent, has given the whole nation a shock. But, the shock seems to be a healthy one. It has made every one to sit up and see what should be done in order to remove this glaring defect in the economy of the country. The Committee has also forcefully brought to the notice of the nation the great dimension of the problems that have got to be tackled before the economy of the rural areas could be put on sure foundations. I should like to congratulate the Ministers of Food and Agriculture that they have, in a short period, been able to evolve a bold scheme for reorganisation of rural credit on the recommendations of the Rural Credit Survey Committee's report.

The hon. Minister yesterday referred to the congress of co-operators that was held in Patna this year. He informed the House that the recommendations of that conference have been accepted by the Government.

The co-operators have taken the correct attitude in this case, that officialisation of the co-operative movement should not be encouraged, and that the supply of funds to co-operative societies by the Central Bank and Apex Bank is not the only means by which the reorganisation of agricultural economy could be achieved. I fully agree that the supply of funds alone is not sufficient, and that the officialisation of the co-operative societies will not really be desirable in the interests of development. The co-operative movement requires complete overhauling from the foundation. Statistics about co-operative movement for 1953-54 regarding the co-operative movement, the figures show that there is a definite structural defect in the financial position of the whole organisation. The paid up capital of the apex banks is only 13.7 per cent of the loan advanced. Out of the total loans advanced by the apex banks to the central banks, nearly 22 per cent came from the Reserve Bank of India. On the other hand, overdues to the central banks amount to about 17 per cent and doubtful debts amount to 14 per cent. I do not want to quote the other figures and waste the time of the House. They are all known. These figures show that the foundations of the co-operative movement are extremely weak. The Government have accepted the proposal that large-scale co-operative societies should be established, and I think this is a correct decision, and on right lines.

The hon. Minister for Food and Agriculture also announced yesterday that it is proposed to reduce the rate of interest from 12 per cent to 6¼ per cent. I presume he was referring to the rate of interest to be paid by the borrowers to the primary co-operative societies. I think that this radical reduction of interest may not be in the interests of the movement as a whole. As I just mentioned, the owned capital of these societies is very small. In the term owned capital I include not only the paid-up capital, but also reserves. According to the Act the co-operative societies have got to set aside 25 per cent. of their profits in statutory reserves, but in the co-operative societies 25 per cent. is not sufficient. The reserve has got to be on a larger scale, more than 25 per cent. If the interest were reduced to 6¼ per cent. I am afraid the desired object of strengthening the financial position of the primary societies, the central banks and so on will not be achieved at an early period.

In the report of the Rural Survey Committee as well as in the announcement of policy made by the Minister, the emphasis is now shifting from credit to other activities. An important item of the other activities, of course, is marketing and warehousing. The defect that has persisted so far, namely that the cultivator borrows money from one institution and sells the produce to another, has got to be removed in order to strengthen the co-operative movement itself. The Committee has also cautioned the Government, and the public. To start with they say:

> "Marketing societies should be organised at selected places after adequate preliminary consideration and preparation with a view to complete success being assured at the important initial stage of development."

We know that a large number of co-operative marketing societies were started. Some are functioning very well, but others have completely failed. It is necessary that, in order that the marketing societies and the warehousing movement may succeed, we should take every precaution to see that their foundations are strong.

Why should a cultivator go to a co-operative marketing instead of going to the ordinary *arahtia* in the wholesale market? Unless the cultivator knows definitely that by sale through co-operative organisations he stands to gain in terms of money, he will not go to the co-operative society, and it is only reasonable that if he is required to be loyal to the co-operative society, he must get some *quid pro*

[Shri Mohiuddin]

quo for that loyalty. The co-operative society and the next organisation, the warehousing, can succeed only if the cultivator is shown, is given a proof, that he gains by it.

One important method by which, gradually of course not immediately, he can gain is by proper grading of the agricultural produce. The Agmark Act has been in existence for about twenty years till now, but it has so far been applied to only miscellaneous articles like ghee, eggs and so on. If the agricultural department introduces improved seeds and the cultivator accepts them and sows them in his field, he would expect to get a higher price or a higher yield for it. So, the improved quality agricultural produce should be marketed separately by grading them in the warehouse. I think grading of agricultural produce should be an important item of reorganisation in the marketing of agricultural produce.

The hon. Minister has also promised that a warehouse corporation will be established and a Bill for that purpose will be introduced shortly in the Lok Sabha. We are not aware of any details as to the functions and duties of this warehousing corporation. You might remember, Sir, that the Reserve Bank had in about 1944 prepared a scheme for the establishment of warehouses all over the country. As a first step in that direction they had prepared a model Bill and recommended it to the various States for adoption. Some States passed legislation on the lines of that Bill. I should like some clarification as to how the Central warehousing corporation will be connected with the State corporations which are proposed to be established, and what will be the relation, financial and otherwise, between the two? As regards the warehousing function, that is to say the issuing of receipts for the produce that they have in their custody on the grading of the produce, what will be their obligations and duties? If the warehouses are established on sound lines and create confidence in the banks, the receipts issued by the warehouses will form the basis for the advances made by the banks to the cultivators. The Reserve Bank has already introduced the usance bill during the last four years, and according to the latest report of the Reserve Bank Board, the total advances on the usance bill during 1954-55 were over Rs. 160 crores. If the agricultural produce deposited in the warehouses forms the basis for the issue of usance bills, it will be a great step forward in the financing of rural credit in the country.

I should now like to say a few words about the policy regarding price support. The stability of agricultural prices is, of course, a very important matter which affects 80 per cent. of the population of the country. We should also remember that 50 per cent. of the national income of India comes from agricultural income. So, the stability of the prices of agricultural produce is of very great importance.

The hon. Minister has announced yesterday that the minimum price of coarse paddy will be Rs. 11. I do not know on what basis this figure of Rs. 11 has been fixed. If it has been fixed only as a nominal price, just to announce the policy of Government, then it is quite a different matter. But I should like to submit that this minimum price will remain only nominal because in the south, as for instance, in Hyderabad, the price of paddy of the coarse type is more than Rs. 14 per maund. I do not exactly remember the figure, but that is the price of the coarse type of paddy in Hyderabad, and I presume in other parts of the south as well. If the purpose is that the prices are likely to fall and that fall should be checked, then it is quite good; it is a welcome policy. But I do not really understand the need for announcing the minimum price for this item at this stage, when the crop is to be harvested only three or four months hence, and the prices are much higher

than the minimum that has been fixed.

Dr. Krishnaswami (Kancheepuram): The time is all too short, and I have many topics to cover. In considering the achievements of the government we should not leave out of account the great part that was played by the late Mr. Rafi Ahmed Kidwai, a great administrator, a great Minister, and above all a man. His keen perception of economic realities was far superior to that of many conventional economists who traduced him when he had the courage to cut himself away from the old movings. Mr. Rafi Ahmed Kidwai was probably the first Minister in our country to realise the significance of increasing productivity in our agriculture and that our policy could not afford to ignore this aspect.

There is no need to elaborate the point that agriculture is one of our main if not dominant interest. Seventy per cent. of our community, as Mr. A. P. Jain pointed out are employed in agriculture; 50 per cent. of our national income is attributable to those employed in agriculture. If there is a ten per cent increase in productivity in this field it ought to be clear that there would be a five per cent increase in our national income. Therefore, from the point of view of policy, we ought to pay dominant attention to agriculture, and find out what measures should be adopted to exploit increasing productivity in agriculture for the benefit of our economy.

That there is overcrowding in agriculture, that land is most thickly populated, and that it is difficult for us to think of any short term solution to relieve such pressure cannot be doubted.

In the immediate future, I believe it would be realistic to proceed on the assumption that we would have to retain in agriculture more or less the present number of people. But this does not mean that the Food and Agriculture Ministry can afford to sit back and suggest we should reconcile ourselves to a policy of draft. What I suggest is that it would be feasible to pursue a policy of reducing the proportion of acreage under cereals, without diminishing the supply of foodgrains available to our people; we can increase the acreage rendered free for growing commercial crops, the raw material of industry. Recent advances in the Japanese method of cultivation, increasing use of fertilisers, and other such improvements have tended to increase productivity, and therefore with a less amount of acreage, we might have more foodgrains, thus leaving a greater amount of acreage devoted to the purpose of growing commercial crops.

It has to be realised that an increase in commercial crops is of fundamental and basic importance, from the point of view of our economy. Fifty per cent of the costs of our manufactured articles are attributable to commercial crops, and if it is possible to have a greater amount devoted to these commercial crops, a good proportion of the costs of manufactured articles can be brought down; this achievement if possible would be both desirable and proper. We have therefore to explore incentives for achieving this end.

In fact as a result of the agricultural surpluses that we have achieved we are in a postion to promote the economic development of our country rapidly. The FAO in an informative document on farm surpluses serving development needs, has pointed out that wherever there is an increase in farm surpluses, it is possible to have a greater amount of deficit financing, and to increase the pace of economic development. If hon. Ministers are interested, I would refer them to *The Uses of Agricultural Surpluses To Finance Economic Development in Under-developed Countries,* (*Commodity Policy Studies, No.* 6), issued in June 1955 by the F.A.O.

I now proceed to examine the basic question which has been hinted at by my hon. friend Mr. Mohiuddin. This

[Dr. Krishnaswami]

increase in productivity as he has indicated raises first-class issues of statesmanship, which cannot be avoided. What is the basic policy that we ought to pursue? The basic policy in agriculture must be one of increasing productivity, and of increasing the income (slightly less than increased productivity) of our agricultural community. If we allow incomes to increase, and we allow these increases to be fully reflected then such increases would be dissipated in consumption; there would be no saving and it would be politically and administratively impossible to bring such groups within the net of taxation. A 20 per cent. increase in productivity may be matched by a 10 or 12 or 15 per cent. increase in incomes of the agricultural community. But if there is an attempt made to stabilise prices so as to have a 20 per cent. increase in productivity matched by a 20 per cent. increase in earnings, then the rest of the community would not gain. On this matter, the Ministry, has to do a great deal more of clear thinking than it has done in the recent past.

There has been a lot of loose talk about stabilisation of prices. May I point out that a rise in productivity followed by a fall in prices is not to be viewed with alarm, if incomes do not fall. In fact, an attempt to stabilise prices may mean that increases in productivity are not transmitted to the other sectors of the economy, that we do not intend to utilise such increases for the purpose of economic development. Of course some increase in icomes of the agricultural community is essential. Some increase in inccmes is necessary because the internal market can develop only as a result of agriculture being prosperous which employs as is well known 70 to 80 per cent of our population.

What is the policy that we should pursue? Some will suggest that we should have controls. But I do not think that we should have controls for a long while to come. By and large, prices will decline, but incomes increase, and there are excellent reasons why the incomes of farmers should increase. Hon. members pointed out that the moment a fall in prices occurs there would be a fall in incomes. I do not think that that is quite correct. It may happen, that when the prices-fall is sharp and precipitous due to speculation there is a fall in incomes, but that is a contingency against which we can safeguard ourselves. But I should like to point out that increases in productivity which are reflected in falls in prices will not necessarily lead to a fall in earnings of the agricultural population, particularly in the case of India, for this reason that a given increase in production would lead to a greater output being marketed. Before our very eyes, the subsistence economy of India is being broken, and more and more of production, leads to a greater amount of output being brought to the market, with the result that the farmer can get an increased amount of earnings. Provided this fall in prices is not so sharp as to diminish his income in spite of increased sale, we should not get panicky. But I agree that the State should watch the situation with care.

My hon. friend, Shri Mohiuddin, referred to the fact of price stabilisation policies being dangerous and of their not having worked properly even in the United States of America.

Where 50 per cent of the national income is contributed by agriculture, it would be next to impossible to pursue a policy of general price stabilisation. Even in the case of the United States of America, there have been grave misgivings on this matter. There is, however, scope for intervening to stabilise prices on a few occasions. Where there is a speculative fall in prices, the Government, by entering the market, can help to arrest such a fall and make it impossible for profiteers, to exploit farmers who are relatively weak. But what is the position that we have to take into

account? Supposing, for instance, there is a very sharp fall in real incomes, and this is very serious, what is the policy that the Government should pursue? Government should think of increasing the income of the agriculturist by having supplementary public works which are of great importance in creating social capital and which at the same time help to increase incomes of agriculturists.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur Distt.-South): He just stated that there may be some other way to compensate the agriculturist for the amount of price-fall. How does he do it?

Dr. Krishnaswami: Sir, the price-fall would not be serious if agricultural surpluses are not accumulated with either the farmer or the wholesalers. The general presumption is that when surpluses are not accumulated with the farmer, there is a greater amount of income which is accruing to the farmer, or at any rate his income is the same as before. Income, let us remember, is a function of output and the price and it is possible that, as the subsistence economy is being broken, there is a greater amount which is brought on to the market which leads to the same amount of income or a greater amount of income accruing to the farmer. In fact, the experience of most countries has been that in a period of change like that which is taking place Government should attempt to strengthen the market machanism and help to lower distribution costs so that it may be possible for the farmer to realise a better price without surrendering much more to the middleman. This stands on a different footing from a price support. What I do suggest is, where real incomes fall appreciably, as in the case of jowar and certain other commodities, there is a strong case for the Government having public works started on a very large scale, which will act as a supplement to the farmer's income and which will also tend to utilise the food surpluses which are going a begging.

Today the position is odd, and I am surprised that hon. Members who preceded me did not devote sufficient attention to this aspect of the matter. We have today the spectacle of wholesale prices having gone down appreciably, but of retail prices being sticky. The result is that the gain accruing from fall in prices has not been transmitted to the consumer; what has happened is that the margins of profit of wholesalers and retailers have increased. Here is a first-rate case for the Government entering the market and buying at wholesale prices and selling at prices which are less than the retail prices, thus benefiting the consumer. There is a great deal of exploitation in agriculture by the middlemen, and here is an instance where State trading can be persisted in for bringing down the retail prices. In the long run, however, strengthening of the position of the agriculturist can be brought about only by increasing warehousing facilities and thus stabilising his bargaining power.

Now, I shall refer briefly to some of the reforms advocated by my hon. friends. What are the reforms that we have in view? We have been talking of consolidation of economic holdings. Now, consolidation of economic holdings is an excellent idea, and it should be persisted in by authorities, both official and non-official. But a great stumbling block in the way of consolidation of holdings is this: consolidation of holdings cannot take place in an economy which is not expanding fast. Consolidation of holdings can only take place when there are alternative avenues of employment for the displaced agriculturist. What will the poor chap do if on being squeezed out of the land, he is not able to find alternative employment? Today, taking the situation as it is and adopting a realistic view, it looks as though, however well-intentioned we are, we cannot progress unless there are avenues of employment opened out on a large scale. I shall now refer

[Dr. Krishnaswami]

to the bhoodan movement only incidentally. The bhoodan movement has many virtues; no one denies it. But the bhoodan movement is not a panacea for the ills to which land is heir to, and for this excellent reason: the bhoodan movement is not likely to alter the sub-marginal and marginal holdings which abound in our agriculture. There are far too many people on land, *per capita* availability of land is low, and the the other difficulty is that the number of people that can be deflected to alternative occupations is limited in the short run and, therefore, it is difficult to think of marginal holdings being diminished in the near future. The same argument applies to the ceiling on land. We are not going to reduce the sub-marginal and marginal units and I cannot therefore determine the reason for our being so much exercised over this idea of ceiling on lands. Besides, we are pursuing two contradictory policies. In the first instance, as a result of the great irrigation development projects that we have initiated the rates of return on land have increased; therefore, it seems to me illogical to prevent the flow of capital and organisation which is what we would be doing by putting a ceiling on land. I can understand an agricultural income-tax; I can understand even a tax on capital gains, but I cannot understand how we can think of a ceiling on land, because a ceiling on land would definitely be contradictory and would not solve, at any rate, the main problem of the sub-marginal and marginal holdings which we have in view. Certainly, intermediaries ought to be abolished. Most of these intermediaries are function-less in our society, and it is best that by legislation we remove them. But the main and major problem of how we are going to attend to the sub-marginal and marginal holders of land cannot be solved unless we have more and much wider avenues of economic employment, and unless it is possible to relieve pressure on land—many major schemes of reform cannot be undertaken. At best, the State can to-day be an umpire to prevent the exploitation of the sub-marginal holders without being able to affect the constitution of land in the short run; but in the long run, as a result of accumulated progress, as a result of increased productivity, as a result of more avenues of employment being opened, it would be possible for us to have a rational solution of the land problem.

There is one point which I should like to emphasise. We are all interested in the possibility of our economic development being achieved as quickly as possible. Some have vaguely talked of the community bearing the burden. But what is the community in this case? When 75 per cent, are employed in agriculture, the community must have reference to the 75 per cent in our agriculture.

We have undertaken one of the greatest tasks in human history. In other countries, they had the industrial revolution before political democracy came into being. Today, we have a political democracy before industrial development has come into being. Therefore, it is necessary for us to think clearly on this issue of who is to bear the burden. As for industrial development in the United Kingdom we know that the burden was borne by the English worker, even as in Russia the burden was borne by the kulaks or the peasants. But, in India, when we have to think of these matters, we have necessarily to take into account political democracy and the various other factors which really help to have a stabilised economy. It is, therefore, I suggest, not wise to forget the fact that we have to think of how this question of bearing the burden should be distributed and we should realise that it would be based on considerations of political expediency and adult suffrage. The test of our statesmanship would lie in carrying the people with us and realising that there are burdens to be borne by a large section and that they cannot be

borne by a small selected group. There is no development without tears but, until now, we have not realised that tears must be widespread as well if we are to have quick progress. I therefore feel that on these matters we have to go to the country, to convince the people that burdens have to be borne by them and also to put before them how best they should bear the burdens of this great development. We have to accept the fact that if we want the burdens of our people to be reduced, we have to obtain as much foreign aid as possible, whether from countries of the right or of the left, provided such foreign aid is free from strings at best, all this aid, even if we get it on the most optimistic estimate, will be only marginal. But even marginal amounts make a great difference, as we realised in 1951 when the wheat loan played a tangible part in preventing our first Five Year Plan from being radically dislocated. I, therefore, suggest that on all these matters when we are thinking of how far we are going to really benefit our agriculture, we must pay primary consideration to productivity and only secondarily to considerations of social justice, though it is a hard and unpopular thing to state. It is inevitable, considering the peculiarity obstinate situation in which we are placed, and I pray that the Government may display greater courage, moral courage, in telling the country the truth instead of talking vaguely about the people bearing the burden, without defining who precisely the people are. If we do not have the courage to perform this task, if we seek to evade realities, we will have merited the rebuke of Bernard—Mandeville who describing the statesmen of the country of the bees remarked:

> "Unhappy is the people whose welfare must depend upon the virtues and consciences of Ministers, politicians and legislators."

Pandit S. C. Mishra (Monghyr North-East): Sir, I thank you for having given me this chance. I wish to draw the attention of the House to the fact that during this day's debate we can see clearly how the people at the top ease their conscience. When a Member draws the attention to the fact that certain amenities which are promised here from the top do not reach the people, the clear reply is, 'I have already sent it; I have despatched it'. They do not want to go further. They clearly ease their conscience readily, saying, 'Well, we have done it; we do not know whether it goes to the kisan or it does not'. I particularly request our Food Minister to see that this is the whole lag. On paper everything seems to be all right, but, when you go to the field you find that everything is topsy turvy. I am reminded of our ancient stories in which we know there were certain beautiful damsels in our country who had 5 husbands and yet they ever remained virgins. And, if there is any reality in transmigration of soul, I think, Sir, you must have been one of those people who gave them the little of having remained ever virgins. Similarly, this ever virgin Cabinet at the top has nothing to do with the failings of other people. Here everything is clear. They say, "we have legislated for you; we have done this and that for you and if anything goes amiss you go to the State Governments, you go to this and that."

I will just give one example to the Food Minister. He is very much hopeful that the co-operative movement may succeed. But, we know there have been very many big scandals in the co-operative movement, in my State—and I think in other States also. Unless the Food Minister can evolve some agency, some machinery through which these things can be checked, there will be no real benefit to the peasant and even these pious Five Year Plans will end in a fiasco.

Yesterday, we have heard that one of the aims of this planning is to have the much-needed foreign exchange. Even here there may be two views. Jute is one of the crops that gives us foreign exchange. Many friends have said that the man who grows jute gets very little in the form of price. It is

[Pandit S. C. Mishra]

less than even the marginal price sometimes. For Shri Jain and especially for the hon. Finance Minister it makes no difference and does no harm if some big people buy from the poor peasants at starvation prices and then sell to America or to other countries at high prices. National Income of course, as accrued. You have got that much-needed exchange, from your viewpoint, from the national viewpoint or, perhaps, from the viewpoint of the Finance Minister, this might have become even better. He may think that if this income had gone to the poor people he would not have been able to tax it. These poor people are being sucked by the big capitalists and in turn the Finance Ministry gets something more from them. The Ever Virgins have eased their conscience.

In this House, so many people say they are coming from the rural areas. I think they batter their heads against people who have already stuffed their views, stuffed their minds in other Houses not in this.

An Hon. Member: But not the mouth.

Pandit S. C. Mishra: Of course, that they have not. Therefore, I say both things should be looked into. Both these views are advocated here. The extreme view is go to the village, everything is there; just like a frog living in the well (*Interruption*). I say that there is a danger that people who have got their knowledge only from books might not be correct. At the same time, there is also the danger that we may not want to look ahead; there is also the danger of stagnating in our own villages and knowing nothing of the newer methods.

I say this Planning Commission and these Ministries can do something but, let them first be decisive. The worst misfortune of our country is that nobody knows which way exactly to proceed. Today this is the right path; two days later that may become a wrong path. For 4 or 5 years the talk about ceiling has been going on. Nobody knows what will happen. I request the agriculture Minstry, why not do one thing; why not persuade the Cabinet to declare that they have decided there shall be a ceiling on land holding. I think there are enterprising young men in this country who can go and reclaim marsh lands, who can reclaim waste lands and reclaim lands from river beds. For them preference should be given. If anybody goes and reclaims such land, it should not be taken away from him for 25 years. I think there is still scope where marginal agriculture can expand.

2 P.M.

But nothing is done from the top and everything is left to chance. The Ever Virgins seem to be wooing every party, they seem to be wooing every interest, they seem to be wooing every class, and in the end they do not want to accept that there are classes and clashes of interests. Therefore, my request to the Food Minister, especially, is this. Even on these subjects let there be some decision—it is the most important subject—and let there be not only a Five Year Plan, but also a Five Year Policy. But there is no such policy and, therefore, we fail.

श्री विभूति मिश्र : आप क्या डिसीशन चाहते हैं ?

पंडित एस० सी० मिश्र : डिसीशन यह होना चाहिये कि हमारे देश में कोई बेकार नहीं रहने दिया जायगा, सब को काम दिया जायगा और किसी किसान को भी बग़ैर ज़मीन के नहीं रक्खा जायगा, उसको खेती लायक ज़मीन दी जायगी जिससे वह उसके ज़रिये अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण कर सके । लोगों को ज्यादा से ज्यादा खेती के काम पर लगाया जायगा । सेंटर की तरफ़ से कोई एक पालिसी तय हो जानी चाहिये, कोई एक रास्ता तय हो जाना

चाहिये ताकि सब जगह वह ही रास्ता फौलो हो । ऐसा न हो कि एक स्टेट गवर्नमेंट एक पालिसी पर चले और दूसरी स्टेट में दूसरा रास्ता अख्तियार किया जाय । आपको सेंटर से देश भर के लिये एक पालिसी बना कर जारी कर देनी चाहिये और हर राज्य को कहना चाहिये कि वह उस पालिसी पर चले ।

आपका ध्यान एक खास बात की तरफ और दिलाना चाहता हूं कि आज हमारे पढ़े लिखे लोग बेकार फिरते हैं और उनको नौकरियां नहीं मिलतीं और इसलिये आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को खेती के पेशे की ओर खींचे और उनको खेती बाड़ी के काम पर लगायें क्योंकि यह सदैव स्मरण रखना चाहिये कि जितनी पूंजी से हम उद्योग पर बड़े उद्योगों पर, एक आदमी को काम पर लगा सकते हैं उतनी पूंजी से खेती में दस आदमी को लगा सकते हैं और हमारा देश कृषिप्रधान है ।

मैं अपने मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि दरअसल अगर आप अपनी योजनाओं की सफलता चाहते हैं तो दिल्ली तक ही उन्हें मत छोड़ दीजिये, बल्कि दिल्ली से बाहर भी उनका पीछा कीजिये और खेतों तक पीछा कीजिये । महात्मा गांधी को अपने काम में और योजनाओं में इसलिये सफलता मिलती थी कि वे किसी भी स्कीम के माइन्यूटेस्ट डिटेल्स तक जाते थे और मेरा अनुरोध है कि आपको भी वही नीति अख्तियार करनी चाहिये तभी आपको अपने काम में सफलता मिलेगी अन्यथा नहीं । अगर आप सिर्फ रास्ता तय करके ही छोड़ देते हैं और उसके आगे नहीं जाते और यह नहीं देखते कि उस पर कैसे काम चल रहा है तो आपके देश का कल्याण होने वाला नहीं है । सरकार को इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और थोड़ा परिश्रम करने की ज़रूरत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को और पढ़े लिखे लोगों को आप खेती के काम पर डालने की कोशिश कीजिये । यहां पर एक पालियामेंट का मेम्बर करीब ६ सौ गांवों का प्रतिनिधि है लेकिन अगर सच पूछिये तो एक सदस्य अगर खेती करवाये तो वह पांच, छै गांवों से ज्यादा को नहीं सम्हाल सकता । आज हम अपनी जन शक्ति का जो उपयोग हमें करना चाहिये वह नहीं कर रहे हैं जिसके कारण तमाम देश में हाहाकार मचा हुआ है और देश की शक्ति बर्बाद हो रही है । खेतिहरों के स्टैन्डर्ड को आप ऊंचा करें और उन को सुविधायें दें और अगर आप उनको केवल एक मजदूर की सतह पर छोड़ देंगे तो कोई पढ़ा लिखा आदमी खेती के काम पर नहीं जायगा । और जिस तरह की बगावत लखनऊ में, पटना में और इलाहाबाद में पिछले दिनों देखने में आयी है, ऐसी बगावत और जगहों पर भी होगी और इससे देश को गम्भीर क्षति पहुंचेगी । इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस समस्या की ओर ध्यान दे और पढ़े लिखे लोगों को कृषि की ओर लगाये और कृषि का काम करने वालों का स्टैन्डर्ड मजदूरों का सा न रक्खा जाय और इसके लिये सरकार जो योजनायें बनाये उनको सिर्फ यहां से पास करके ही छोड़ न दे बल्कि उनको आगे परसू करे और देखे कि नीचे तक उनके अनुसार काम भी होता है ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह (ज़िला गढ़वाल पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर उत्तर) : मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया । यह तो ठीक है कि मैं महलों में रही हूं और खेती के बारे में तजुर्बे की कोई बात नहीं कह सकती हूं लेकिन तो भी जो मैं ने दूसरे लोगों से सुना है और इधर पिछले दो, तीन साल में जो देखने में आया है उस के आधार पर मैं कुछ सुझाव इस सदन के सामने रखना चाहती हूं ।

[श्रीमती कमलेन्दुमति शाह]

सब से पहले तो मैं सरकार को यह बताना चाहती हूं कि इस सहकारी खेती यानी कलेक्टिव फार्मिंग में अभी सफलता मिलना कठिन है क्योंकि अभी तक हमारी उस ढंग पर खेती करने की आदत नहीं पड़ी है जैसी कि और स्थानों में जैसे रूस, चीन और अमरीका आदि देशों में होती है, और इस कारण हमें कलेक्टिव फार्मिंग में सफलता नहीं हो रही है। कलेक्टिव फार्मिंग से यह होगा कि कुछ आदमी तो खूब मेहनत करेंगे, और बाक़ी आदमी आलसी बन कर बैठे रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे और मैं समझती हूं कि कलेक्टिव फार्मिंग अभी कम से कम कुछ समय के लिये हमारे देश में सफलता नहीं प्राप्त कर सकती।

दूसरी मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि गरीब किसानों से जहां कहीं भूमि ली जाय, सड़क बनाने के वास्ते या और किसी काम के वास्ते तो उस भूमि का उस किसान को उचित और पूरा मुआविज़ा मिलना चाहिये, मुआविज़ा तो अभी भी मिलता है लेकिन एक तो वह बहुत देर बाद मिलता है और पूरा नहीं मिलता है और आधा ही मिलता है। मेरा यह सुझाव है कि जिस किसान से सरकार ज़मीन ले उसके बदले में दूसरे स्थान में उसके लिये ज़मीन लेने से पहले ही निर्धारित कर दे ताकि उस ज़मीन से बेदखल होते ही वह दूसरी ज़मीन पर चला जाय और इससे यह फायदा होगा कि वह दूसरी जमीन में जा सकेगा और जमीन पाने के लिये उसको वर्षों और महीनों इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा और उसको अपनी रोज़ी कमाने का साधन मिल जायगा।

तीसरा मेरा सरकार से यह निवेदन है कि गढ़वाल के बारे में मैं जानती हूं कि गढ़वाल में जो खेती बाड़ी का काम करते हैं उनके पास ज़मीन बहुत थोड़ी होती है और वे उससे केवल साल में ४, ५ महीने तक के लिये ही कमा पाते हैं और बाक़ी महीनों के लिये उन्हें दूसरे साधन ढूंढने पड़ते हैं। और उन्हें दूसरों के पास ज़मीन छोड़नी पड़ती है। इसलिये मेरी राय में यह ज़मीन भूमिधर नहीं होनी चाहिये बल्कि हिस्सेदार होनी चाहिये क्योंकि अगर भूमिधर कोई दूसरा बन गया तो जमीन का मालिक कहीं का नहीं रह जायगा। यदि नौकरी छूट जाय और घर की ज़मीन किसी दूसरे को मिल जाय तो वह बेचारा भूखा मर जायगा और कहीं का नहीं रहेगा।

सरकार को यह भी देखना चाहिये कि एक किसान के सारे परिवार के लिये जो ३० एकड़ की सीलिंग रक्खी है तो इस तीन एकड़ ज़मीन के बाबत यह भी निश्चित होना चाहिये कि ३० एकड़ जमीन खाली बालिगों को ही मिलेगी या कुछ नाबालिगों को भी मिलेगी। अब एक कुटुम्ब में यदि चार, पांच बच्चे हैं तो आखिर उनके पढ़ाने लिखाने और पालने पोसने पर भी तो कुछ खर्च आयेगा, इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस जमीन में नाबालिग को भी हिस्सा दिया जाना चाहिये।

पांचवां एक सुझाव मेरा यह है कि जो मेहनतकरने वाला किसान है उस पर कम से कम कर लगना चाहिये और जिसके पास रुपया है, उसको ज्यादा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन किसानों के पास कोई ज्यादा धन नहीं होता है और अपनी ज़रूरत भर का होता है जिस से वह अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर सकें, इसलिये सरकार को किसानों पर कम से कम कर लगाना चाहिये। किसान पर सिंचाई कर भी आरम्भ में नहीं लगाना चाहिये बल्कि एक साल बाद सिंचाई का लाभ उठाने के बाद उस पर कर लगाना चाहिये। अगर एक साल बाद सरकार

थोड़ा ज्यादा कर भी लेगी सिंचाई के लिये तो वह किसानों को कम बुरा लगेगा बनिस्बत इस के कि उन को पहले ही सुना दिया जाय कि अब तुम्हारे यहां नहर आने वाली है जिस से सिंचाई होगी, इसलिये तुम्हारे ऊपर यह कर लगाया जाता है। इस से किसान डरते हैं और वह इस सिंचाई का उपयोग नहीं कर सकेंगे और उन के मन में हमेशा चिन्ता बनी रहेगी। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि कम से कम छः महीने तक या एक साल तक उन्हें यह मौका दिया जाना चाहिये कि वे सिंचाई के लाभ को देख लें फिर जो सिंचाई कर देना है उस को वह खुशी खुशी सरकार को दे सकें।

मेरी एक और प्रार्थना है। खास कर हमारे पहाड़ी गांवों में यह हाल है कि जो सेठ साहूकार हैं वह हमारे किसानों को इतना ठगते हैं कि क्या बताऊं? जब साहूकारों के पास हमारे किसान कर्ज लेने जाते हैं तो साहूकार कहता है कि पहले तुम हमारे थैली की गांठ खोलने के लिये छः रुपया दो। थैली खुलने के बाद वह २५ फ़ीसदी रुपया और लेता है। यानी जब किसान कर्ज अदा करता है तो उस को २५) रुपये और सूद के देने पड़ते हैं। इस तरह से कम से कम ३१ रु० १०० रु० पर सूद पड़ जाता है। इसलिये स्टेट की सरकारों को गांवों में अपने बैंक खोलने चाहियें जिस से २½ या ३ प्रतिशत पर किसानों को कर्जे मिल सकें और वह लोग साहुकारों से बच सकें। इसी तरह से किसानों का रक्त चूसा जाना बन्द हो सकेगा। एक एक गांव में एक एक साहूकार ४०, ५० हजार रुपया सालाना कमाते हैं जबकि जो किसान हैं वह बेचारे ५० रु० सालाना भी नहीं कमा पाते हैं। अगर इस तरह से सरकार कदम उठाये तो वह गरीब किसान लोग भी दूसरे धनी लोगों के बराबर आ सकेंगे और अपना जीवन सुख से बिता सकेंगे।

Shri B. S. Murthy: I rise to support the motion moved by the Minister for Agriculture and Labour....

(*Interruptions.*)

An Hon. Member: Minister of Food and Agriculture.

Shri B. S Murthy: I was thinking of the agricultural labourer and therefore, I can make him also Minister in charge of agricultural labour.

In India we are thinking of planning. Unfortunately the agricultural plan has many loopholes. What is the purpose of any land reform in India? It may be firstly to have optimum production, secondly to see that the rigours of the landlords are reduced and so on. But unfortunately, as far as I know, the land reforms in India have not yet received the full attention of the Ministry concerned. There are three categories of people in the field of land reform. One is the land owner, sometimes euphemistically called as the landlord; the second category is the tenant, wrongly called kisan, and thirdly the neglected category—the agricultural labourer. The reforms have always been going on with the idea of having a ceiling and at the same time having economic units. But so far as the third category—agricultural labour—is concerned, I have not come across any real interest being shown by the land reform committees in their reports and also in the legislation made by some States. I ask the Government: why are they neglecting the agricultural labour? Are they justified in ignoring him? After all he is 20 crores strong. What are you going to tell him when you go and ask his vote? You are thinking of all the other walks of life and all the other fields of activities but when you come to the agricultural labour, you say that it is a huge problem, big problem etc, which requires crores of rupees, Whether so many crores are available or not, have you got the heart to

[Shri B. S. Murthy]

think about the difficulties of the agricultural labourers? Please let the world know if you are thinking of improving the miserable conditions of the agricultural labourers. They are 20 crores of people. Please do not forget that he is the majority and if he wants he can have a revolution....

An Hon. Member: What is the number?

Shri B. S. Murthy: 20 crores of people depending upon agriculture. In any case. I think the agricultural labour cannot be less than 15 crores.

Shri Kanavade Patil (Ahmednagar North): It is a wrong figure.

Shri B. S. Murthy: 15 crores is the definite figure; I can stand by it.

Shri Kanavade Patil: What is the good standing by it? What is the source of these figures?

Mr. Deputy-Speaker: Anyway it is a sizable figure; the hon. Member cannot say that they number cipher; all right, add '2' before that.

Shri B. S. Murthy: Thank you for the elucidation. I was trying to tell the hon. Members that the agricultural labour is the most neglected. I am not bothered about the number. I may be wrong in stating that it is 20 crores strong. But taking the figures as they are, I am sure, the agricultural labour numbers much more than the land owner or the tenant.

Shri Kanavade Patil: Not in the least.

Mr. Deputy-Speaker: Why does the hon. Member enter into comparisons; agricultural labour ought to be supported and he may press that point. If he quotes figures, it puts him into some difficulty.

Shri B. S. Murthy: Therefore, I have been trying to impress upon the minds of the hon. Members that the most neglected person is the agricultural labourer in the rural economy. Even today our economy is nothing but feudal economy. It must have a radical and revolutionary change. We should see that the rural population of the land is never denied its proper share in the produce. Gandhiji said that the tiller must be given the land. Have you done anything in that respect? After all the land-lord is there. Today we are removing the land-lord but the tenant comes in. Under him there is the under-dog —the agricultural labour. What are we going to do to improve the conditions of this under-dog—the agricultural labourer? That is my question. If I am wrong in my enthusiasm, I may be pardoned by the enthusiastic friends.

Indeed agriculture is not a paying proposition whether it be the tenant or the land owner. Unless the land owner in the village resorts to money lending, it is not so. Most of these rural land owners are those who have such a side business like money lending. Therefore, if agriculture is not a paying proposition to ordinary tenants, how can it be a paying proposition to the agricultural labour? I think, therefore, the time has come when the Government should think in terms of taking some steps to improve the lot of the agricultural labourers....

Shri Kanavade Patil: May I inerrupt, Sir? The agricultural labourers are 1,49,00,000 according to the report of the All India Rural Credit Survey.

Mr. Deputy-Speaker: Very good. It means 149 lakhs. It is a sufficiently big number. Hon. Member may say 149 lakhs instead of 20 crores.

Shri Kanavade Patil: The dependents are 4 crores and odd..

Mr. Deputy-Speaker: So, the hon. Member is one-furth correct. It comes to nearly five crores.

Shri B. S. Murthy: Figures always differ. Here is a handbook issued by the Ministry of Food and Agriculture and in this it is given that it num-

bers 4·5 crores. Therefore, Sir, I am not going to enter into any argument about these figures. I only want alternative employment to be provided to these tenants as well as agricultural labourers. According to the recent survey conducted by the Labour Ministry there is employment only for 181 days for an agricultural labourer in South India. Even in those 181 days he has got full employment for 100 days only and for 81 days he has under-employment. If this is the state of affairs obtaining in the case of agricultural labour, naturally, the whole agricultural economy is lopsided. Therefore, some measures must be devised to see that either full employment is provided for the agricultural labour or alternative employment is given to them.

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : कोई और बात कहने से पहले मेरे साथी ने अभी जो बातें आंकड़ों के सम्बन्ध में कही हैं उस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । जो किताब हमें भेजी गई है उस के मुताबिक जो लोग खुद मालिक हैं और खुद काश्त करते हैं उन की तादाद हिन्दुस्तान के अन्दर १६ करोड़ से कुछ ज्यादा है । उन को ओनर्ज कल्टीवेटर्स का नाम दिया गया है । इसी तरह से मुजायरों की तादाद, जिन को टेनेंट्स कहते हैं, कोई तीन करोड़ है । जो लेबरर्ज की तादाद है वह कोई साढ़े चार करोड़ के करीब है । जिस के बारे में काफी कुछ कहा गया है, जिन को शाजा बादा खाने वाले कहते हैं, जिन का जमीन से बटाई लेने के इलावा कोई वास्ता या रिश्ता नहीं होता है, उन की तादाद ५३ लाख है । हिन्दुस्तान की कुल आबादी में से जितनी आबादी खेती पर मुनहसर है उस की तादाद करीब करीब २५ करोड़ है । उपाध्यक्ष महोदय, इस से एक बात बिल्कुल साफ़ जाहिर होती है कि कुछ भाई हैं जिन के खयाल के मुताबिक किसानों के तमाम दुखों की एक दवा जो है वह सीलिंग ही है और इसी से उन के दुखों का उजाला हो सकता है । लेकिन आप अन्दाज़ा लगाइये कि आखिर इस सीलिंग के लगने से खेती की इकोनोमिक्स पर कितना असर पड़ सकता है । यही नहीं एक और सवाल है जिस का हमें फैसला करना होगा । हमें आज यह देखना है कि जो आदमी इस देश में खेती पर निर्भर करते हैं उन की तादाद कितनी है और आया हमें उन की तादाद को बढ़ाना है या घटाना है । आज हमारे देश के अन्दर उन लोगों की आबादी ७० फीसदी है जोकि ज़मीन पर ही निर्भर करते हैं । अब हमें देखना है कि देश की तरक्की इस तादाद को घटाने से हो सकती है या बढ़ाने से । अगर आप दूसरे देशों से कोई सबक लें और अपने देश के पुराने इतिहास से कोई सबक लें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमें इस तादाद को घटाना होगा, इस को बढ़ाना नहीं होगा । अमरीका के अन्दर जो लोग जमीन की आमदनी पर ही निर्भर करते हैं उन की तादाद केवल १२ फीसदी है । तो अगर हमें अपने देश को दूसरे देशों के मुकाबले में खड़ा करना है तो हमें अपने देश के अन्दर छोटी और बड़ी दोनों किस्म की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना होगा और ज्यादा से ज्यादा आबादी को उधर भेजना होगा और जमीन के ऊपर बोझ को कम करना होगा ।

मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो सीलिंग की कोई मुखालिफत करते हों । मैं उन आदमियों में से भी नहीं हूं जो यह समझते हैं कि ३० या ४० या ५० या १०० एकड़ ज़मीन खेती करने के लिये जरूरी है । लेकिन एक चीज जिसे मैं बेसिक चीज समझता हूं वह यह है कि आज जो यह खयाल किया जाता है और यह समझ लिया जाता है कि आज के हिन्दुस्तान के खेती के संसार के अन्दर सीलिंग का ही एक मसला है, वह गलत बात है। कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद

[चौधरी रणबीर सिंह]

से इंटरमिडियेरीज़ का जो मसला था वह तकरीबन खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है । यह एक पास्ट की बात होने वाली है, इतिहास की बात होने वाली है । सीलिंग के माने यह नहीं हैं जैसेकि बिहार के भाई समझते हैं । मुझे तो ताज्जुब होता है कि वे अपने ही नुक्तेनजर से तमाम देश को क्यों देखना चाहते हैं । हमें मालूम है कि बिहार के अन्दर कोई रेवेन्यू रिकार्ड नहीं है । सरकार के पास वहां कोई ऐसा हिसाब नहीं है जिस से यह पता लग सके कि इस जमीन को कौन काश्त करता है । उन्हें पता होना चाहिये कि पंजाब के अन्दर हर एक फसल का रिकार्ड होता है और ....

श्री विभूति मिश्र : बिहार में पार्मानेंट सेटलमेंट है और वह आज से नहीं है, सन् १८८५ से है ।

चौधरी रणबीर सिंह : यही तो में अर्ज में करता हूं कि वहां पर एक परमानेंट रिकार्ड है और उसी के लिहाज से आज भी वह देखना चाहते हैं, इस बात को वह भी जनतें हैं और मैं भी जानता हूं ।

मैं कह रहा था कि पंजाब के अन्दर हर छः महीने के अन्दर हालत बदल है पंजाब के रिकार्ड से यह पता लग सकता है कि आज से छः महीने पहले किस आदमी ने एक खेत को काश्त किया और दुसरा छः महीने में किस ने किया । यह हो सकता है कि जो खेत छः महीने पहले किसी ने काश्त किया हो वही खेत उस ने छः महीने के बाद काश्त न किया हो और किसी दूसरें ने किया हो । साथ ही साथ वह उस फसल के लिये इस्तेमाल न किया गया हो जिस के लिये कि वह पहले इस्तेमाल किया गया था इस तरह से पंजाब में हर छः महीने और हर साल का रिकार्ड है जिस से यह पता चलता है कि किस आदमी ने कौन सा खेत और क्या फसल काश्त की । यही चीज़ यू० पी० में भी है । इस के मुकाबले में बिहार के भाई आयें और बतायें कि उन के पास क्या रिकार्ड है । यह सही बात है कि उन के पास कोई ऐसा रिकार्ड नहीं है, इस बात से वह इन्कार नहीं कर सकते । वे जो इंटर-मिडियेरी को रिमूव करने की बात कहते हैं और जिस के ऊपर वह बड़ी बडी मांग करते हैं, मैं मानता हूं वह उचित ही है, और मैं भी चाहता हूं कि हमें आगे बढ़ना चाहिये । लेकिन वह अपने ही नुक्तेनजर से सारे देश को न देखें । आज तिवारी जी ने कहा कि ट्रैक्टर वाले जो हैं वह जो पैदावार करते हैं उन की पैदावार दूसरों के मुकाबले में, जोकि ट्रेक्टर्ज़ का इस्तेमाल नहीं करते, कम है । उन को मालूम होना चाहिये कि अगर ट्रैक्टर वाला दूसरे आदमी के मुकाबले मे ज्यादा पैदा नहीं करता है तो वह ज़िन्दा नही रह सकता है । ट्रैक्टर के ज़रिये से जो खेती करता है वह ऐसी खेती नहीं करता है जिस से कि उस को पता ही न चले कि क्या खर्चा पड़ता है । अगर ऐसा न हो तो वह छः महीने के बाद दिवालिया हो जाय । जो ट्रेक्टर्ज़ के तेल का खर्चा होता है और जो मैकेनाइज्ड तरीकों से जो कल्टीवेशन होता है वह सब एक तरह से ऐसी चीज़ है जैसे कि एक बिज़िनेस होता है । इसलिये ट्रेक्टर्ज़ इस्तेमाल करने वालों को अगर ज़िन्दा रहना है तो उन को पैदावार ज्यादा करनी ही होगी और औस्तन पैदावार बढ़ानी ही होगी अगर वह ऐसा कर सकते हैं तभी वह जिन्दा रह सकते हैं ।

मुझे एक बात याद आती है । पंजाब के देहातों के अन्दर एक मिसाल है जिस को मरासी लोग, जोकि पंजाब में एक क्लास है, वह कहती है, कि अगर काश्तकार न

होता तो इन्सानों को खेती करनी पड़ती । इसी तरह से जो लोग ट्रेक्टर्ज़ वगैरह के खिलाफ हैं क्या वे यह चाहते हैं कि जिस ड्रजरी में किसान इस वक्त हैं उसी में वह रहें । अगर हमें इस ड्रजरी में से निकलना है तो हमें मशीनें लानी ही होंगी और मैं कृषि मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह मशीनें लायें और जल्दी से लायें ताकि देश की पैदावार बढ़े और किसानों का जीवन एक सुखी जीवन बने ।

एक माननीय सदस्य : जो बेकारी होगी ?

चौधरी रणबीर सिंह : बेकारी का मसला मेरी समझ में नहीं आता है जो बेकारी की बात करते हैं वह शायद सिर्फ उन ट्रेक्टर्ज को ही देखते हैं जोकि ६० हार्स पावर के हैं । उन को शायद यह मालूम नही कि थोड़ी थोड़ी हार्स पावर के ट्रेक्टर भी होते हैं मैं और डाक्टर राम सुभग सिंह दोनों ही जापान गये और हम ने वहां पर पांच हार्स पावर और दो हार्स पावर के ट्रेक्टर देखे और मैं समझता हूं अगर ऐसे ट्रेक्टर इस्तेमाल किये जायें तो किसी भी तरह से हमारे देश में बेकारी नहीं फैल सकती है । मैं आप से यह नहीं कहता कि आप ऐसी मशीनें लाये जिन से हमारे देश में बेकारी फैले । आप ऐसी मशीनें लायें जोकि किसानों की ड्रजरी को कम करें और किसान ज्यादा भी पैदा कर सकें । मैं जानता हूं कि हमारे देश के अन्दर बहुत सारी जमीन ऐसी है जिस को काश्त करने में हल कारगर साबित नही होता है । वह जमीन सख्त होती है हल उस के अन्दर घुसता नहीं है । मुझे मालूम है कि तराई के एरिया की जो जमीन है वहां पर अगर कोई आदमी बरसात में हल नहीं चला सकता है तो उस की जमीन बंजर हो जाती है । हमें आज ऐसी मशीनों की जरूरत है जो सख्त जमीन की काश्त करने में हमारी मदद कर सकें और किसानों की ड्रजरी को कम कर सकें और वह ऐसी छोटी छोटी मशीनें होनी चाहियें जो बेकारी भी न लायें और किसानों की जिन्दगी को सुखी भी बना दें । ऐसी मशीनें आज देश की खेती के संसार में लाने की जरूरत है ।

इस के अलावा मैं अपने इधर वाले दोस्तों से कहना चाहता हूं कि वे एक बात समझ लें और वह यह है कि अब इंटरमीडियरी के नाम पर और सीलिंग के नाम पर अगर वह जिन्दा रहना चाहते हैं तो यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता । इस पर हम बहुत दिनों तक निर्भर नहीं रह सकते । आज अगर यू० पी० के किसान उठते हैं तो वे इसलिये नहीं कि वहां सीलिंग नहीं लगी है, बल्कि वे इसलिये उठते हैं कि उन के गन्ने की कीमत ठीक नहीं मिलती । अगर आज पंजाब के किसान शोर करते हैं तो इसलिये नहीं कि वहां पर सीलिंग नहीं है बल्कि इसलिये कि उन के गेहूं की और चंने की कीमत उनको ठीक नही मिलती इसी तरह से अगर साउथ के किसान उठते हैं तो इसलिये नहीं कि वहां पर सीलिंग नहीं है, बल्कि इसलिये कि उन की रबड़ की, चाय की, कहवे की, रूई की और ग्राउंड नट की कीमत उन को ठीक नहीं मिलती है । इसी तरह से जूट का हाल है । आज आप को किसान की लड़ाई या पुकार का सही कारण जानना जरूरी है । आप पिछले सालों के अखबार पढ़ें तो आप को मालूम होगा कि किसान किस चीज के लिये लड़ता है, किसान किस बात पर अपनी आवाज उठाता है ।

इस के अलावा मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं । लेकिन अपनी बात कहने से पहले मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उस ने बहुत बड़े बड़े काम किये हैं । सरकार ने प्राइस सपोर्ट दिया है, जिस के बारे म विशेषज्ञों का यह ख्याल था कि वह इस

[चौधरी रणबीर सिंह]

देश में नहीं दिया जा सकता। वे कहते थे कि यह देश बहुत बड़ा है और यहां पर बहुत बड़ी आबादी खेती का काम करती है। अगर किसी देश में १० या १२ फी सदी आबादी खेती करती हो तो व ां तो प्राइस सपोर्ट दिया जा सकता है या जहां खेती की इनकम १० या १२ फी सदी हो उस देश में प्राइस सपोर्ट दिया जा सकता है। उन लोगों का कहना था कि हिन्दुस्तान में तो ५० फी सदी आमदनी खेती से होती है और यहां पर ७० फीसदी आबादी खेती पर निर्भर करती है, यहां पर किस तरह से प्राइस सपोर्ट दिया जा सकता है और उसका बोझ कौन सहारे गा। ताज्जुब की बात है कि ऐसा कहा जाता है। प्राइस सपोर्ट का मसला बिल्कुल साफ है। जितना मार्केटेबल सरप्लस है उस को सपोर्ट देना है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जोकि अभी तक हमारे देश में कभी हुई न हो। आप खेती के पिछले आठ सालों का इतिहास देखें तो आप को उस से यह शहादत मिलेगी कि पिछले सालों में, कंट्रोल के जमान में सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये लगा कर खती की पैदावार को, मार्केटबिल सरप्लस को खरीदा, इसलिये कि हिन्दुस्तान में कंज्यूमर की सस्ती चीजें बेची जा सकें। आज भी उतना ही या उस से दस पांच फीसदी ज्यादा मार्केटेबिल सरप्लस होगा। उस को खरीदने का सवाल है, और वह भी कंज्यूमर के लिये खरीदा जायेगा। ऐसा करने से किसान को फायदा होता है तो सरकार को ऐसा करना चाहिये। पहले जब सरकार ने एक हजार करोड़ का मार्केटेबिल सरप्लस खरीदा था तो उस ने २०० करोड़ का घाटा बरदाश्त किया था। मैं अपने कृषि मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस काम के लिये वे वित्त मंत्री से मांग करें और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इधर के सदस्यों का बहुत बड़ा हिस्सा उन के साथ है। मैं चाहता हूं कि सरकार अगले पांच साल के लिये इस काम के वास्ते ४०० करोड़ रुपया रखे, ताकि प्राइस को स्टेबिलाइज किया जा सके। और यह डर गलत है कि अगर सरकार प्राइस सपोर्ट देने लगेगी तो इस से सरकार को बहुत बड़ा घाटा होगा। आज आप देखें कि हालत क्या है। वह गेहूं जोकि पंजाब में फस्ल पर ८ रुपये मन बिका था आज मद्रास और कलकत्ते में १८ रुपये मन बिकता है। वह चना जो पंजाब में ५ रुपये मन बिका था आज १४ और १५ रुपयें मन तक बिकता है। तो इस में सवाल तो प्लानिंग का है।

यहां बतलाया गया है कि वेअर हाउसेज बनाये जायेंगे। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जितना हाथ इस मिनिस्ट्री का देश की उन्नति करने में है उतना और किसी का नहीं है। मैं मिनिस्टर महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी पूरी सपोर्ट उन के लिये है। इसलिये जिस चीज को वे देश के लिये अच्छा समझें उस को पूरा करने के लिये हिम्मत से आगे बढ़ें। वे अपनी मांगें फाइनेंस मिनिस्ट्री से और दूसरी मिनिस्ट्रीज से पूरी करावें और पीछे न हटें।

मैं ठीक तरह से नहीं समझ सका कि जैन साहब ने वेअर हाउसेज के बारे में क्या कहा। मैं उन का मतलब ठीक से नहीं समझ सका। मैं ने तो यही समझा है कि शायद गवर्नमेंट आफ इंडिया १२ हजार वेअर हाउसेज बनवाना चाहती थी लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने सात या पांच हजार की ही राय दी है।

श्री ए० पी० जैन : मैं ने ऐसा नहीं कहा। मैं ने कहा था कि १२ हजार बनाने का प्रोग्राम था जब स्टेट गवर्नमेंट्स से बात-चीत हुई तो उन्हों ने बतलाया कि करीब सात हजार वेअर हाउसेज तो किराय पर लिये जा सकते हैं इसलिये पांच हजार बनाये जायें। कुल मिला कर १२ हजार हो जायेंगे।

चौ० रणबीर सिंह : मैं तो कहूंगा कि १२ हजार का ही टारजेट रखें। इस के साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कहा जाता है कि इन वेग्रर हाउसेज के बनाने में बड़ी मुश्किल होगी। कहा जाता है कि एक वेग्रर हाउस में इतना सीमेंट लगेगा जितना कि एक मकान में लगता है। अगर यही कठिनाई है तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप देहात में उस वक्त तक के लिये पक्के मकान बनवाना बन्द करवा दें जब तक कि सारे देश में उतने वेग्रर हाउसेज न बन जायें जितनों की कि जरूरत है। किसान की तरक्की के लिये वेग्रर हाउसेज का बनना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब तक ये वेग्रर हाउसेज नहीं बनेंगे तब तक किसान को सस्ती दर पर कर्जा नहीं मिल सकेगा। आज हालत यह है कि अनाज तो पैदा करता है किसान और उस के ऊपर व्यापारी सस्ती दर पर कर्जा लेता है, लेकिन किसान को उस के अनाज के बदले सस्ता कर्जा नहीं मिल सकता।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। वह है एग्रीकल्चरल टैक्सेशन के बारे में। एक जमाना था कि सन् १७९३-९४ में हमारे देश में सारे देश की कुल आमदनी का ६९ पर सेन्ट लैण्ड रेवेन्यू से आता था, लेकिन सन् १९५३-५४ में जो इनकम हुई, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, उस का ८.६ पर सेंट लैण्ड रेवेन्यू से आया। अगर सूबों को अलाहिदा लिया जाय तो सन् ५२ के अन्दर सूबों की कुल आमदनी का २०.३ पर सेंट लैंड रेवेन्यू से आया। एक जमाना था जबकि सन् १९२२ में यह आमदनी लैण्ड रेवेन्यू से सूबों की कुल आमदनी का ५४ पर सेंट थी हमारे कुछ दोस्त यह समझते हैं कि अगर लैण्ड रेवेन्यू को भी उसी तरीके से असेस किया गया जिस तरीके से कि इनकम टैक्स को असेस किया जाता है तो आसमान गिर जायगा। इस सिलसिले में मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। पंजाब सरकार ने प्लानिंग कमीशन को यह सिफारिश भेजी और अपने यहां इस आशय का प्रस्ताव भी पास किया कि हम हर उस किसान की लैण्ड रेवेन्यू को माफ करना चाहते हैं जोकि ५ रुपय से कम मालगुजारी देता है। लेकिन अफसोस है कि पंजाब गवर्नमेंट को ऐसा करने की इजाजत नहीं मिली हालांकि पंजाब गवर्नमेंट इस बात के लियें जिम्मेदारी लेने को तैयार थी कि ऐसा करने से उसे जो ३२ या ३४ लाख का खसारा होगा उस को वह किसी दूसरे तरीके से पूरा कर लेगी। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कब तक इस देश के अन्दर टैक्सेशन के दो तरीके चलते रहेंगे। एक आबादी इस देश में ऐसी है जिस की कई हजार की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। दूसरी तरफ एक आबादी ऐसी है, जोकि देश की कुल आबादी का ७० फी सदी है, जोकि चाहे कुछ पैदा कर सके या न कर सके, चाहे उसे घाटा ही क्यों न उठाना पड़ रहा हो, तो भी उसे टैक्स देना पड़ता है। आप इस लैंड रेवेन्यू को रेंट नहीं कह सकते। सरकार तो जनता की प्रतिनिधि है। वह लैंड रेवेन्यू को रेंट नहीं कह सकती, उसे इस को टैक्स कहना होगा, और अगर उस को टैक्स कहा जायगा तो टैक्स में डिफरेंसियेशन नहीं किया जा सकता। आप को इस डिफरेंसियेशन को खत्म करना होगा। कुछ दोस्त समझते हैं कि ऐसा करने से राज्य सरकारों का दिवाला निकल जायगा। लेकिन मैं पूछता हूं कि आखिर कुल लैंड रेवेन्यू देश की आमदनी का ८ पर सेंट ही तो है। और फिर यह सारी आमदनी खत्म नहीं हो जायगी। ज्यादा से ज्यादा ४ पर सेंट यानी कुल लैंड रेवेन्यू का ५० पर सेंट कम हो जायगा। अगर कोई सरकार इतनी कमी को भी किसी दूसरे तरीके से पूरा नहीं कर सकती तो मैं समझता हूं कि वह काम चलाने

[चौधरी रणबीर सिंह]

लायक नहीं है । अन्दाजा लगाया जाता है कि सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश की आमदनी २० पर सेंट बढ़ा देगी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या इस ४ पर सेंट आमदनी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता । आप जितनी लैंड रेवेन्यू है उस का ५० परसेंट माफ कर दें और इतनी कमी को दूसरे जरिये से पूरा कर लें । आप अगर ऐसा करेंगे तो लोगों को मालूम होगा कि अब हमारी अपनी सरकार है और जो अब तक हमारे साथ सौतेली मां का सा बरताव होता था वह बदलने वाला है और हमारे साथ वही सलूक होगा जोकि दूसरे बड़े बड़े साहूकारों और इनकम टैक्स देने वालों के साथ हो रहा है ।

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh): I am happy that whether the Planning Commission restores the agricultural department or the concern of agriculture to the first position or the second, this House has certainly conferred upon it a distinction by allocating as many as ten hours for debate in this House. When we discussed this last time, in the budget session, we hardly had three and a half hours with the result that very little information could be given and little comment available then from the members of this House. I therefore welcome this opportunity of having on the floor of the House the criticisms and suggestions of various Members.

It is quite clear that the hon. Members who have spoken so far were dominated more by land reforms and only secondarily by agricultural credit. There were very few points, not incidental to or arising out of these two important considerations, that were urged on the floor of this House with any emphasis. But I am sure that the House, and you. Sir, must have marked a remarkable difference between the debates that we used to have whenever the Food and Agriculture Ministry happened to be debated, and the present debate. We have had many occasions when we have debated in this House the situation regarding food. Fortunately we have in this debate at least, hardly anything which will suggest that we are having a food debate.

Shri Kamath (Hoshangabad): It was different when you were on this side of the House.

Dr. P. S. Deshmukh: I believe our friend is right, Sir. That is undoubtedly due to the happy food position which we have secured. I must say that some people are not giving the credit for this achievement to the peasants as well as the various departments of agriculture in the States. I am glad, however, that at least some Members have made a passing reference to the success we have achieved under the Japanese method. This method has not only added considerably to the rice production in the country but what is highly remarkable is that in spite of last year's unusual floods and droughts and other devastations, we are in a position to say that our food position is satisfactory since our production is ahead of the target of 1955-56 by no less than a figure than 4.2 million tons. This will show that production in the year 1953-54 was not an accidental one. In spite of more than the usual share of calamities last year and in spite of the fact that from the two States of West Bengal and Bihar we suffered a loss of 31 lakh tons of rice, the total production exceeds the target for 1955-56 by 42 lakh tons. Apart from the figures which have been given on the floor of the House more than once, by this practice of Japanese method alone, we have directly added not less than eight-lakh tons of rice valued at not less than Rs. 25 crores, and we did this with the Central Government spending hardly Rs. 2 lakhs. In the first year we spent only Rs. 3000|-

Shri Sinhasan Singh: What is the acreage of cultivation under the Japanese method?

Dr. P. S. Deshmukh: It was four-lakh acres in 1953-54 and 13.2 lakhs of acres in 1954-55. In 1953-54 we had an average of 38½ maunds per acre by way of yield as against hardly nine or ten maunds which we have had as the average for the whole of India. With even 13 lakhs of acres under the Japanese method of cultivation, the average had stood at 35½ maunds per acre. Apart from this, many other cultivators practised it partially in their fields such as talking to transplantation instead of just random planting, taking to line sowing instead of broadcast sowing, utilising some of the fertilisers, manures resorting to keener cultivation, and so on. This was not the only instance of a successful compaign, because we carried out a compaign in the case of sugarcane, and although I do not say that all the better averages that we had in 1954-55 are due to our campaigns, a substantial addition in that field also has been made so far as sugar production as well as gur production are concerned. The House know, how I had referred to this fact of import of sugar as a shameful affair. But it has been possible during the course of the last year to wipe out this shame of having to import sugar for our own consumption. We have reached the record figure of sugar production last year and I have no doubt that if our campaigns and the enthusiasm of the farmers are maintained, we will be able to produce sufficient food not only for the existing population but we will probably be ahead of the increasing population of which some people have an unnecessary dread. In passing, I would like to refer to this fact, namely, that many people have made an unnecessary bogey of this increase in population. I happened to see the proportion between the deaths and the births statistics, and I think it is apparent that during the last decade or so comparing deaths and births—the proportion of deaths has gone down and so also has the proportion of births. So, with this betterment of our condition, I feel things will improve, because I believe it as an axiomatic truth, that a faster increase in population is the result more of poverty, less nutritive food, beggary and so on, than any other features. No sooner the conditions of our people improve than you will find that the number of births will come down and the number of deaths also will decrease. I do not want to expound these things further.

Dr. Suresh Chandra (Aurangabad): What is the contribution of the rhythmic method?

Dr. P. S. Deshmukh: I am not concerned with it. I am not a doctor of medicine. Just as we have secured improvement and self-sufficiency in the production of rice and sugar, I have every hope that, apart from the calculations made by certain experts, that we will be self-sufficient in coconut and arecanut in the year 1961, we will be probably achieving self-sufficiency within not more than three years.

Shri Achuthan (Crangannur): What about the price support policy for arecanut?

Dr. P. S. Deshmukh: That is another question. First of all, I would like to point out that we have increased production in almost every kind of crop that we grow except that we are behind with regard to the total production of sugarcane and gur and jute.

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA *in the Chair.*]

My friend Dr. Krishnaswami, while he was speaking, said that we should take to other crops which will serve as raw material for our industries. I would have liked him to make a definite suggestion, because we are reaching self-sufficiency in almost every case. In respect of cotton also, we have come to the verge of self-sufficiency and probably next year we might be again faced with a larger production so that the price will probably go down and the cotton growers will complain. In respect of jute, we have, as a matter of fact, reached self-sufficiency a few years back.

Shri S. S. More (Sholapur): Are all the varieties of cotton that are required for our industry and trade produced in this country and is there no dependence on Egypt or any other country?

Dr. P. S. Deshmukh: Except a small proportion of long staple cotton above the staple length of 11/16th, we produce all the cotton that we require in this country itself. As a matter of fact, if we really try to minimise our imports, it should be possible to utilise much of the cotton that we produce today, that is, our long staple cotton of the length of 3/4th inch and above, which is quite suitable for the needs of our mills. So, there is not much room for taking up other crops as suggested by Dr. Krishnaswami. We will be maintaining the present increase in production and so there is not much scope for taking to many other commodities, as suggested by him. The reason is, in most of the commodities we are fast becoming self-sufficient—whether it is rice or sugar or wheat or cotton or coarse-grains or oilseeds. At any rate we have long past the targets which were set down by the Planning Commission. One of the questions asked was whether we are slow in the matter of soil erosion. I would like to give the figures, because this is one of the points in which the hon. Members think that Government has not been taking sufficient steps. I would like to point out that although I admit that the constitution of the Soil Conservation Board was unduly delayed, we established this Board on the 16th December, 1953 and from that time we have spent Rs. 69½ lakhs by way of loans which were given to the States and we have given a subsidy of Rs. 36.92 lakhs to 15 States. I do not think I need enumerate the names. There are also 6 States which have submitted schemes on which we will be spending Rs. 21·75 lakhs by way of loan and Rs. 16 lakhs by way of subsidy. Although I am prepared to admit that this was taken up for serious consideration a little late, we are making fairly fast progress and I am sure we will not be lagging behind any longer. Undoubtedly, this is a colossal problem, a problem which will not only require large sums of money to be spent, but a very high degree of co-operation and co-ordination between the States as well as the people.

Another point to which reference was made was with respect to State trading. My friend, Dr. Krishnaswami asked "Why not take to State trading". In our proposals to support the prices, we have done nothing else but State trading. It does amount to State trading. I am sure that we will try to expand the scope at least in regard to commodities in which we have already declared that we will make purchases. A friend from Hyderabad asked whether this was the opportune time for declaring our policy so far as rich purchases were concerned. Last time when we decided our policy about jawar, it was decided to purchase jawar rather late when some of it at least had already passed from the hands of the farmers to the traders and therefore relief available to the peasants was not adequate. We do not want to be caught napping in this respect and so far as rice was concerned, the present is the proper period when rice harvests are to begin; in about 15 days or a month most of the rice would be reaped from the fields. So, we do not want any time to go by, so that even if the prices do fall below Rs. 11 per maund in the case of coarse rice, the farmers should not suffer.

So far as agricultural credit is concerned, there were two points of view which were advanced. On the one hand it was urged that the rates of interest we were going to charge which should be reduced to 6¼ per cent. were not low enough. On the other hand, the speaking more on behalf of the co-operative societies, a friend from Hyderabad urged that probably this was too steep a descent. There is something to be said on both sides. As a matter of fact, we would always try to err on the side of the

farmer, making cheaper credit available, which in fact is the demand not only of the House, but everybody in the country.

Shri S. S. More: What is the rate fixed?

Dr. P. S. Deshmukh: 6½ per cent. We want to come down to 6¼ per cent.

Shri S. S. More: What is the rate at which the co-operative societies are given money?

Dr. P. S. Deshmukh: It would not be possible to indicate all these things; but if the hon. Member would like to have this information, we would be glad to give it to him.

Shri A. P. Jain: I hope that the hon. Member does not want that in respect of credit to co-operative societies the rate should be raised.

Dr. P. S. Deshmukh: My hon. friend, the leader of the Communist Party speaking on land reforms said that they had not produced results which we thought they would produce. I would leave it to my senior colleague to reply to that. But the other point which he referred to was indebtedness and money-lending. I am afraid that this is a matter entirely in the hands of the States and I do not think there is any State which will not give it adequate consideration. In fact it may be said that in our desire to protect the farmers we have killed all the incentive on the part of the moneylenders to make advances, with the result that ultimately the peasant himself has suffered, because he is not in a position to get advances from the moneylenders who are reluctant to do so. They insist upon pucca sales and absolute transfer of the property and they also want to receive in advance the interest that they would have been entitled to get after the sum was due. But in any case, I think the attention of everybody in the States has been drawn to this indebtedness wherever it exists and the money-lending business and most of the States have some legislation or the other already.

My friend Shri Asoka Mehta raised two points. He said that marketing surpluses must be increased and he also referred to the 'scissors crisis' which was observable in Russia and recently in China. Sir, I do not know how to characterise this kind of criticism, because so far as we are concerned, at least during the last year or so, we are suffering from excessive surpluses coming into the market. It that were not so, the prices would not have fallen. The prices came down suddenly so low and became so uneconomic that we forgot that only a short while ago we were so deficient in foodgrains. So far as this point of marketing surplus is concerned, I think we are not committing any error and in fact this price support is meant to mop up some of the marketing surpluses which is coming up for sale. The other point which he referred to was the so-called scissors crisis which means a crisis in production and non-availability of marketing surplus. If I may say so, this was the consequence of the policies pursued by those countries where the totalitarian system was brought into vogue and where the farmers' incentive was killed. But we are I believe much wiser so far as dealing with this matter is concerned in not trying to do anything of this sort, with the result that we are not likely to be faced with scissors crisis which has been experienced by the two great countries which I have mentioned. In fact, we have to take a precaution in the other direction.

My friend, Shri Lakshmayya, wanted us to have self-sufficiency and also to be in a position to export. In fact, I think that he is probably not keeping himself conversant with the present trends, namely, that we are not only self-sufficient, but we are also in a position to export a good deal of raw materials. We have been exporting on a large scale recently and it is so in the case of oilseeds, groundnut oil, short staple cotton as well as rice. So, I think that the happy position for

[Dr. P. S. Deshmukh]

which he was asking us to strive is already there.

Pandit Tiwary wanted the cultivator to have the power of retention. He also suggested warehouses being built quicker. In fact, all the suggestions about warehouses are nothing very new because we have already decided to give effect to all the recommendations of the Rural Credit Survey Committee. All the suggestions which have been made have already been decided upon to be given effect to. There may be some difference of opinion so far as the number is concerned. But, I am sure, if there is need for expansion of the number of warehouses, we will not be slow to undertake them.

3 P.M.

Shri G. H. Deshpande referred to the scarcity areas. He was concerned about his area and he suggested that the scarcity areas should receive priority and better consideration. I may tell him that the Central Government has viewed this question favourably. Already, since the last year or the year before, we have special funds allocated for being utilised in those areas which are chronically scarcity areas.

I am glad that Ch. Ranbir Singh has pointed out how merely the glamour for a ceiling being imposed is not going to solve the whole question. Undoubtedly, some social justice would be there. But, so far as our land problem is concerned, ceiling is not the main question or the sole issue. In fact, it is the other way round *viz.*, smaller and fragmented holdings. I do not wish to enter into this point further. My hon. friend Shri B. S. Murthy demolished his own case by exaggerating it. He threatened that the agricultural labourers were in a majority and unless we show that we have done something special for them, we will have no chance at the polls at the next elections. Since his 20 crores have diminished into 4½ crores, I think much of the force of the argument is lost. It is also not correct to say that we have neglected this important community in our country. In fact, although we are not very directly concerned with it, the House knows that there is the Agriculture wages Act in many places. Wages are being tried to be fixed. But, this is a very difficult problem. As was complained by my hon. friend Shri A. K. Gopalan whereas according to the Act, the wage fixed is Rs. 1-4-0, the labourer actually gets Rs. 2/-. This is likely to happen because the picture of agricultural economy changes so suddenly that it would be very difficult for anybody to keep pace with it. The better consideration would be not to judge it from quantum of money to be paid, but from the purchasing capacity of the wages that he gets. If we pay more attention to this, it would be better. I do not say that labourers are getting more than they deserve. In fact, there is no doubt that the agricultural labourers have got to be attended to much more than we have probably done in the past. All the same, if we wanted to rely upon any statistics or judge their correct position, we will have to look at it from the point of view of the actual wages that they get and the purchasing power that quantum of money has. That would give a more realistic idea. I may assure Shri B. S. Murthy that we have not neglected this question. In fact, whenever we start any rehabilitation of landless labourers they are necessarily agricultural labourers. We are carrying on experiments in Bhopal which we will be able to expand if there are chunks of suitable lands with irrigation available which the State Governments are prepared to offer to us. Then, it will be possible to enlarge this experiment.

With one argument which was supported by more than one hon. Member, I am glad, I am in perfect agreement, and that is, that the prosperity of this country, especially the farmers and agriculturists, is going to

vary inversely with the number of people on the land. There is not a shadow of doubt about it that the pressure on our land is so great that it would be impossible by any means at our command to give prosperity to everyone of them. How to do it is the question which this House has to consider. I do not think there is much time available to me here to deal with it. We will have to take steps to see that the great pressure on the land is diminished by some means or other. Every bit of our land is not so fertile as it may be in Bihar or the U.P. Everywhere the fertility of the soil is not so great where a family can probably maintain itself on 1½ or 2 crores of irrigated land. The quality of land differs from place to place. It is all the more necessary to tackle this problem from both ends. On the one hand, we should certainly resort to land reforms and reduce the land which is in the hands of a few people and give it to a larger number of people. I am all in favour of that. At the same time, we have also to see whether a small bit of land can really maintain a family, and if we desire that he should stick to that piece of land for ever, whether we are going to improve his standard of living. This is a question which we will have to deliberate and ponder over.

Mr. Chairman: What about inheritance? Suppose a ceiling is fixed. After the father dies, the sons succeed. What about ceiling in that contingency?

Dr. P. S. Deshmukh: Some people are not prepared to wait till the proprietor dies. They are in a hurry to get hold of the lands, and want social justice to be done at once or as quickly as possible.

Lastly, I would like to point out that we have hardly left any activity connected with agriculture of forestry or other untouched. The good position so far as food and other things are concerned is at least partially attributable to this. Of course, I am not answering any criticism in this; I am only trying to inform the House of some of the things that we have done and which we intend to do. Of all the things that we want to do, we want now to give the highest priority to the co-operative movement. I know the bad experience of my hon. friends from Bihar in regard to these co-operatives. We will try to take the advice of my hon. friend Shri Bibhuti Mishra and try wherever possible to write on a clean slate.

श्री पी० एन० राजभोज : (शीतापुर-रक्षित-अनुसूचित जातिया): यह जो १५ नं० की एमैंडमैंट है इसके बारे में भी बताइये कि क्या करना चाहते हैं, यह भी बहुत गरीब लोग हैं ।

Dr. P. S. Deshmukh: So far as that is concerned, I may inform my hon. friend that every State Government has given the highest possible priority to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I do not think that at least in the year 1955 any Member from the Scheduled Castes can complain of lack of sympathy or lack of action. In fact, it is the grouse of some other people who are more or less as backward as the Scheduled Castes that they happen to be neglected only because they have not been included among the Scheduled Castes.

Shri S. S. More: May I know whether the Government contemplate to expand the limits of persons who are called the Scheduled Castes people.

Ch. Ranbir Singh: Are you prepared to join?

Shri S. S. More: I am prepared to join.

An Hon. Member: There are many.

Mr. Chairman: Order, order.

Dr. P. S. Deshmukh: That does not rest with me. It is with the Ministry of Home Affairs. In any case, in most

[Dr. P. S. Deshmukh.]

places, the first preference is given to the Scheduled Castes people.

In taking up this campaign, we have, I think, improved upon most of the things. We have better publicity material. We are also producing more material. We are trying to establish Information Bureaus in more centres for the benefit of the farmers. The Indian Farming is starting to pay its way. Instead of being a deficit concern, it will soon make a sizeable profit. We are also issuing many more pamphlets through the I.C.A.R. than we ever did before. But I was speaking about the co-operative movement in favour of which we have to take a powerful drive, and unless we get the co-operation of the people and the State Governments and make adequate preparations, all the paraphernalia that we are trying to set up under the recommendations of the Credit Survey Committee's report will be probably fruitless. So, we want to give to this matter the utmost possible importance, and as has been pointed out by some Members, we do not want to limit co-operatives to merely credit. There are many aspects of co-operation which are far more important than credit. Of course, credit is important in a poor country like our where money is scarce, but nonetheless, if we want to build up a better society, a more democratic form of social organisation, it is only co-operatives which can give us a lead and on which we can depend.

I do not know how much time you are prepared to give me, Sir.

Apart from co-operation, I am sure we will be able to give to the people more eggs to eat as well as more fish.

Shri L. N. Mishra: What about vegetarians?

Dr. P. S. Deshmukh: Vegetarians have already got more than sufficient rice. I would invite them to eat more of it.

We are also making an intensive campaign in the case of cocoanuts, arecanuts and cashew nuts. We are trying to increase our dairies and trying to remove the cattle which are in the big cities. It is a big problem but that has also to be tackled. We have also planned to see that our bones are not exported from India and more and more bone digestors are brought into existence and function so that we utilise this valuable manure for betterment of our agriculture.

It will be noticed that we have doubled the consumption of fertilisers in the country in the course of a couple of years, a thing which was considered almost impossible some time ago. But this has happened only because we have coupled it with certain definite practices of better agriculture. It would not have been so had we merely relied on telling the people to use fertilisers, but because we coupled it wtih certain campaigns and gave certain concessions it succeeded. A concession in the price of about Rs. 75 in the year 1953 and provision of cheap credit of Rs. 10 crores which was given to the State Governments in order to finance this purchase of fertilisers—these two or three things have made the cultivator take to these things in an increasing degree so much so that we are at the present time short of the fertilisers that we want and we are finding it rather difficult to keep pace with the consumption.

We have also taken steps for the eradication of rinderpest, and I am glad to say that what we are doing in the South of India is proving extremely successful.

Although nobody has referred to it, probably if you were free to speak in this debate, I am sure you would have referred to cattle and what we are doing about it. I have one idea about it.

Mr. Charmani: I expected the hon. Minister would refer to this aspect. Without cattle, where is the agriculture?

Dr. P. S. Deshmukh: I agree Sir. Otherwise, people would go with the idea that agriculture has nothing to do with cattle.

Shri A. P. Jain: I am not the only sinner, but the rest of the Members also; none of them has mentioned it.

Dr. P. S. Deshmukh: Apart from the plan that we have for the establishment of dairies and *gosadans* and key village centres and so on, as it has been more than once pointed out, we do require in this the people's co-operation also. If all those who are keen that there should be no slaughter of cattle whatsoever co-operate with us and help us at least in two things, namely helping us in the castratic of scrub bulls and secondly taking the useless cattle to the *gosadans* which we have opened. I am sure the severity of the problem will be considerably diminished, and this really will show the real and genuine sympathy that these people have. I do not expect much sacrifice on their part, but if they would cooperate, I am sure the *gosadans* which we have opened and where there are no cattle now would be full, and the money we are spending on *gosadans* would not only be better utilised, but this cattle problem would be considerably solved. Ultimately I think if we want improved milk supply in the country, there is no other way except to reduce the number of cattle in the country. They need not be killed, but they should be allowed not to procreate, and they should be allowed to die a peaceful and quiet death in the *gosadans*. If we assist this programme, I am sure much of this propaganda would not be necessary and the enthusiasm of these people who are at the present time merely spending their time and energy on this would probably be used for a constructive purpose, and then alone we would be having a large yield per cow or buffalo, we will also be able to see that our cattle are duly fed. The amount of fodder in the country is limited as compared to the number of cattle that we have, and the only way to make our cattle stronger and yield more milk would be to reduce the number in this way by not allowing them to procreate more.

Mr. Chairman: Or increase the supply of fodder?

Dr. P. S. Deshmukh: Yes, Sir. We have a scheme for that. I have been wanting, in fact, that more barbed wire should be made available to the States—I do not know how far I will succeed—so as to divide the grazing land into plots. Whereas at the present moment there are extensive plots of land where nothing at all grows, it will be only by fening some of the area that some grass will grow and by this the fodder provision will increase. I do not wish....

Shri Lokenath Mishra (Puri): Are the cattle multiplying more than men?

Dr. P. S. Deshmukh: I have not compared the focundity of the two.

I do not wish to take away more time. I can assure those hon. Members who feel that they have made some important points with which I have not dealt, that they will be taken into due account and if any action is called for on the suggestions they have made or the criticism they have offered, we will be only too glad to do so.

Shri S. S. More: I was very careful to listen to the speech of the hon. Minister and I was thrilled when he gave certain statistics of the progress made, but unfortunately I am rather doubtful about the correctness of the statistics themselves, because it is a patent fact admitted by so many committees and commissions that the agricultural statistics that are prepared in this country are absolutely unreliable as unreliable as the promises that we give at the time of elections. Therefore, I question the very correctness of the figures. Naturally, I am disinclined to entertain the rosy picture that the hon. Minister has been pleased to paint of the progress that we have made.

We must take this question of agriculture into consideration as an integrated problem. Mere agriculture is not enough. You have to take into

[Shri S. S. More]

consideration the land problem, but there again certain deficiencies come in, and you have to take into consideration the co-operative question and the credit question. The main function and the business of this Government or of any Government of a welfare State is to see that the peasants who are about 70 per cent. of the Indian population should have a fair chance to live, should have a fair income. Everybody is talking about incentives to the capitalists, and when we were discussing the Companies Bill, the Finance Minister was very particular to say something about incentive to the managing agent.

Now, the only human being, ~~if he is to be called a human being~~, in this country of ours, who works without any incentive is the peasant. The Rural Credit Survey Committee have stated that agriculture is the greatest industry of this country. But unfortunately, it is an industry which is run by illiterate and ignorant people who do not know business methods, with the result that our greatest industry is carried on in the most primitive manner.

There is one point which I want to emphasise in this connection. If the peasant is illiterate, if the peasant is ignorant, and if the peasant is not in a position to look after his own interests, then the welfare State must be his guardian, and must look after the interests of this beneficiary, even as a good-hearted guardian would look after the interests of the minors or persons placed under his watch and ward. My question is: What are we doing to give to the peasant remunerative prices?

It is no use talking about credit. The bane from which our co-operative societies, and our whole co-operative movement failed was that there was too much of emphasis on credit. In fact so many committees, right from the Maclagan Committee of 1914, have stated that it is futile to emphasise the credit aspect, unless we make the peasant creditworthy. And no peasant can be creditworthy if his cost of production is higher than the return that he gets. There may be many reasons for that, such as the existence of intermediaries, or market fluctuations. But the basic fact that we shall have to safeguard is to see that the cost of production does not exceed the return that the peasant gets for his produce.

Unfortunately, in this country, the cost of production data are not available. I had the fortune, or misfortune, I would say, to go to the hon. Minister of Agriculture, with some peasants coming from Maharashtra, who had complained that paddy prices were collapsing and they were not getting sufficient return. The hon. Minister said, unfortunately, we have no cost of production data. Then, he compared the then ruling prices with those that ruled some two years ago, and came to the conclusion that the then prices were higher than the prices that were ruling two years back, and therefore they must be remunerative. But whether the prices are remunerative or not is not a matter of inference; it is not a matter of guess, even though the person who does the guessing may be a sympathetic person.

Even the prices enquiry sub-committee that was set up in 1947 with Mr. V. T. Krishnamachari as chairman, has pointed out that if we want to make the country really self-supporting not only regarding food but even regarding raw materials, we must assure the producer of proper prices. I am not one of those who plead that the producer should be allowed to exploit; but I am particular to emphasise that the producer should not be allowed to be exploited. Now, unfortunately the cost of production data are not there. And the V. T. Krishnamachari Committee have stated that in fixing prices, one has to take into consideration not only the cost of production but even the cost of living. Under the Constitution, we have been pledged to raise the standard of living of everybody possibly, excepting the

peasant. What is the peasant's standard of living?

Certain figures in regard to landless labour were challenged here. But landless labour is not the only problem. Take, for instance, the class of the small cultivators. These persons may be owners, but I can give you instances to show that the small cultivators are in a worse plight than the landless peasants are in. I can say from my own experience in Maharashtra, that the moment prices go up, the wages also go up, and the landless labour working on anybody's farm are in a position to demand the higher wages, because there is always a race between the prices and the wages. But the prices may collapse after some time, and yet the wages refuse to slide down. I would therefore suggest that the small producer, who works on his small farm of two acres or so for some time and then goes to work on somebody else's farm in order to supplement his income, must also be treated as a landless labourer. I would say that every person who has not got sufficient land to maintain his family, or to put it in other words, every man who has an uneconomic holding not sufficient to maintain his family in a decent standard must be classified not as a cultivator, because that gives a wrong picture to the whole country but, as a landless peasant, for he works for some time on his patch of land, but on other occasions he goes and works on the farms of others.

Shri Asoka Mehta said that we must increase the marketable surpluses. But I am very fearful of that suggestion. We must remember that the producer has certain minimum cash requirements. The V. T. Krishnamachari Committee have stated that if the prices are allowed to collapse, then in order to meet his cash demands or cash needs, the agriculturist is forced to consume less and send out a larger quantity to the market. So, if you try to produce a marketable surplus, it may well result in growing under-consumption by the peasant himself, who produces mostly for the consumption of his family, and markets only a very small surplus for meeting his needs of cloth, sugar etc.

Therefore, my very earnest request to the hon. Minister is that he should find out what are the cost of production data in different areas. You are having a survey of small holdings now. But that is not enough. You must have in your possession the cost of production data all over the country. You have got your demonstration farms; you have got the farms, your agricultural colleges, and you have many other farms run by the military and other departments; so, you can collect the necessary reliable data through them, because the peasant is not in a position to supply these data himself. When there are so many enquiries being conducted, you can have an enquiry regarding this matter also, and collect reliable data regarding the cost of production. You should also decide what should be the minimum standard that a peasant is entitled to; and in the light of that standard, and in the light of the cost of living and the cost of production, you must fix agricultural prices. There is no use merely saying, we are going to give support. What is the sort of price support that you are giving?

Many hon. Members have referred to the prices that were fixed by the Ministry for the purpose of giving price support. Once I had the occasion to ask the hon. Minister whether these prices were fixed after taking into consideration the cost of production and the cost of living; and the hon. Minister was very candid enough to say, "unfortunately we have not got either the cost of production data or the cost of living data, we are going only on some empirical and pragmatic basis." I say, that I do not question your motive. I am not prepared to challenge your *bona fides*. I do concede that you may have the greatest interests of the agriculturists at your heart. But the real point is this. With all your good intentions, are you in a position to say that his cost of

[Shri S. S. More]

production is something which is less than the return that you are giving?

Even the Rural Credit Survey Committee have pointed out that you have emphasised the credit aspect too much. Unless you make the economy of the peasant a creditworthy economy, i.e. an economy in which he will have some margin of profit over and above the cost, where is the source from which he is going to get money for returning the loan taken either from the co-operative societies or the land mortgage banks or any other organisations that you may be setting up? I have some experience in this connection. Once, I was a director of a land mortgage bank. That was in the days of the economic depression, when prices were ruling very low. The result was the arrears of the land mortgage bank went up like anything, and ultimately the bank with all its resources exhausted had to come to grief.

Only if a surplus economy prevails, and there is some margin of profit, will the agriculturist be left with any surplus with which to return the debt. Otherwise, whatever concessions of interest you may give, he will not be in a position to return the corpus, for he is also a human being who has certain minimum physical needs, and if he has to keep his body and soul together, he has to satisfy those physical needs.

Mr. Chairman: Especially, when the peasant gets five annas in Orissa and ten annas in Punjab.

Shri S. S. More: That is my submission. The real question is this. Have we any organisation which will look after the peasant's interests, and which will make him stand on his own legs? I feel like a fanatic on this point, that unless you develop the organisations of *panchayats* at the village level, *panchayats* competent to look after the interests of the whole village community, you cannot achieve anything. The Britishers did one great harm to our society, and that was that they introduced the economy of individuals in this country at the cost of the collective economy of the community. The old *panchayat* system may have its many faults, but many persons have confessed that it was such an institution as could survive even dynastic falls and revolutions. I would say therefore, let us devise a new *panchayat* system, let us free it from all the defects from which it had suffered in the past, such as the evil of being caste-ridden, and make it sufficiently democratic. I do not question the competence of Shri A. P. Jain or Dr. P. S. Deshmukh to look after the interests of the peasant. But I say that from the apex of Delhi or from the Pisa height of Delhi, it will be difficult for them to look after the interests of every small section of the peasantry that are living in the villages.

Therefore, I would suggest this: organise the villages on a community basis. Leave aside the individual; make the interests of the individual subordinate to the interests of the community. The rural credit survey has borne ample testimony to the fact that where individuals were allowed to dominate, where, for instance, traders, big cultivators and others enter into the co-operative societies, they manage to disrupt those co-operative societies from inside because the economic emancipation of the other sections whom they were exploiting was against their own interests. Therefore, I would make a very earnest appeal. It is not a question of pouring funds here and funds there, because the Rural Credit Survey Committee has made a demand of Rs. 5 crores plus Rs. 1 crore from the Government of India and from the Reserve Bank—I could not follow the figures which Shri A. P. Jain gave yesterday, because he was reading rather too fast. But I would say that even supposing that you allow tomorrow Rs. 200 crores, the peasant's economy, as it is, is a

bottomless pit; whatever you pour into it will go and there will not be a trace of what you have spent. Therefore, you will have to organise peasant economy on the basis of community. You will have to organise peasant economy in a manner which will not give any opportunity to the exploiter to disrupt the organisations which you will build up. You will have to organise the peasantry on a community basis so that they can stand on their own legs and look after themselves. And here I would again emphasise what Mahatma Gandhi used to say repeatedly that you cannot look after the interests of the lower most of the country by ruling from the capital city; you have to build up your democracy on a decentralised basis. Make the people masters in their own houses, and that will be the only way. I feel that we must plan with a longer vision, we must plan not only for the next elections, we must plan for a period which will be extending over one generation and if in one generation you could bring the whole community under a sort of co-operative community—in China they are doing it; in some East European countries they are doing it; you will have to go the same way—that will benefit them. It may not be a doctrinnaire approach, but let it be a pragmatic approach. Go to them and see what they have been doing. With your permission, I want to read out an extract with regard to the question of prices. I am reading from the *Five Year Plan* prepared by the German Democratic Republic. They have prepared a plan, and this is the size of the plan—showing the book—not even 1/10th or 1/20th of the big tome that we have created. And what do they say on page 34? They say:

"The plan gives the peasants a guarantee that they be able to sell their continually increasing production at fixed prices through the differentiated State purchasing programme. Under this programme, the quantities are laid down in such a way that the peasant, by increasing his production, can retain increasingly larger quantities for his own use and for sale in free market. In addition, the plan foresees that the nationally owned purchasing organisation shall take over the peasants' surplus production at special prices. By means of these measures, the peasants can be sure of a continuous increase in income and increasing economic stability for their own farms. The reduction in prices of consumer goods complements this development and guarantees the peasants better supplies of industrial consumer goods and agricultural machinery. The complete development of exchange of goods between the town and the countryside is the most obvious and concrete expression of the alliance between workers and peasants".

My submission is that the Ministry and the whole Government of India and the planning authority will have to think more in terms of permanent organisations, durable organisations if they are wedded to safeguarding the interests of the people. No well-wisher, howsoever eminent he may be, will serve the interests of the community, serve the interests of the peasantry, from his 'Qutub Minar'. He will have to go to people and there he will have to build up an organisation which will be looking after his interests permanently—perennially—helping each other on the basis of mutual aid and support. The joint family system is going down it is disintegrating. It is inconsistent with modern conceptions. In place of the joint family, you will have to create a joint village community which shall be behaving more like members of one and the same family than as an exploited large section and exploiting minority, do not tackle the problem in this way, I would say that, in spite of tons of plans that you make, the misery of the peasant will be a standing shame and menace to the country which it will be difficult to avert with all your good intentions.

श्री एम० एल० वर्मा (टोंक) : मैं ने इस हाउस में दुबारा आने के बाद पहली बार बोलने की इच्छा प्रकट की थी और उस के लिये मुझे आप ने मौका दिया। इस के लिये मैं आभार प्रकट करता हूं।

हमारे देश में जो समस्यायें हैं वह अधिकतर जमीन से ताल्लुक रखती हैं और वह कई हैं। पहली समस्या तो यह है कि मुट्ठी भर इन्सानों ने हजारों लाखों बीघा जमीन अपने कब्जे में कर रक्खी है। लाखों आदमियों को उन्हों ने गुलाम बना रक्खा है और बदकिस्मती यह है कि हमारे इस हाउस में किसानों के नाम पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने ही सीलिंग का विरोध किया है। वह लोग इस देश की हवा को, इस देश के रुख को जानते ही नहीं हैं। हमारी समस्या इस देश के भूमिहीन किसानों की समस्या है। मैं बताऊं कि आज भी इस देश में लाखों आदमी ऐसे हैं जो इस हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं हैं। हिन्दुस्तान की मर्दुमशुमारी में जिन को शामिल नहीं किया गया है, जिन के घर नहीं है, जमीन नहीं है, धंधा नहीं है। मैं यह भी बताऊं कि सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो स्वयं अपनी जानकारी में अपनी महिलाओं के सतीत्व भंग के द्वारा अपना पेट भर रहे हैं। ऐसी कौमें आज भी हैं। कौमें की कौमें ऐसी हैं जो इस देश में मुसीबत और बेइज्जती से अपनी जिन्दगी बिता रही हैं। कई कौमें ऐसी हैं जिन का ठिकाना आज यहां है और कल वहां। इस हिन्दुस्तान की वोटर्स लिस्ट में उन का नाम नहीं है। यह ठीक है कि जो एम० एल० ए० हैं, एम० पी० हैं वह उन के पास जायगे जिन के पास वोट हैं, उन के पास कोई नहीं जायेगा जिन के पास वोट नहीं हैं। ऐसे गरीब लोगों की सम्भाल करने वाला कोई नहीं है। मैं आप को नाम बताऊं। बंजारे, और काल बेलिया जोकि सांप आदि लिये फिरते हैं, तीसरे गाड़िया लोहार, चौथे साठिया। इस प्रकार की कौमें हैं। जहां तक बंजारों और गाड़िया लोहारों का ताल्लुक है, वह लोग सारे हिन्दुस्तान में फैले हुए हैं। मैं अभी अभी महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा कर के आया हूं, उन को मैं ने देखा है कि जिन के पास कोई जमीन नहीं है, घर की जमीन नहीं है, धंधा नहीं है, हिन्दुस्तान की वोटर्स लिस्ट में उन का नाम नहीं है, मर्दुमशुमारी में भी उन का नाम दर्ज नहीं है। मैं हाउस का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं और खास कर अपने खाद्य मंत्री जी का कि जमीन की समस्या जो हमारी बड़ी समस्या है उस को हल करने के सम्बन्ध में वह उन लोगों की ओर भी ध्यान दें जिन को इस भारत माता की गोद में आज भी स्थान नहीं है। हिन्दुस्तान को आजाद हुए ८ साल हुए, यह ठीक है कि यहां पर हमारे राजभोज साहब और शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के प्रतिनिधि हैं, लेकिन उन लोगों का कोई प्रतिनिधि नहीं जो घुमक्कड़ जातियों के हैं, जो हिन्दुस्तान में मारे मारे फिरते हैं। चूंकि उन के पास वोट नहीं है इसलिये उन के पास कौन जाये ?

मैं पहला सुझाव जो कृषि मंत्री जी को देना चाहता हूं वह यह है कि हिन्दुस्तान में उन कौमों को बसाने के लिये वह जमीन दें, उन को घरबार बनाने के लिये मदद दें उन को खाद दें, उन को बीज दें, उन को तकावी दें और जो और जो-जो सहूलियतें हैं वह उन को दें।

हमारे यहां एक फ़ॉरेस्ट्स, जंगलात की समस्या भी है। हर साल हजारों और लाखों पेड़ लगाये जाते हैं, कितने ही नये पौधे लगाये जाते हैं। इन में से कितने जिन्दा रहते हैं इस का कोई ठिकाना ही नहीं है। उन को पानी मिलता है या नहीं, उन को

सम्हाल होती है या नहीं इस का कुछ पता नहीं है। लेकिन आज जो जंगलात हैं उन का बुरी तरह से विनाश हो रहा है, उन की कोई देखभाल नहीं हो रही है। आज जंगलों के ठेके दिये जा रहे हैं, बेरहमी से जंगल काटे जा रहे हैं और उन जंगलात का विनाश हो रहा है जोकि सदियों से खड़े हैं। हमारे यहां जंगलों के बारे में कानून बना कि किसान अमुक-अमुक तरह के पेड़ काट नहीं सकता है। आज किसान अपने जलाने के लिये लकड़ी और हल बनाने के लिये जो लकड़ी चाहता है वह वे कहां से लायें ? मैं कह सकता हूं कि अगर आज किसान जंगलात की हिफ़ाजत न करता और उन को बचाय न रखता तो आज यह जंगल खत्म हो गय होते। यह उसी की मेहरबानी है कि जंगल बच हुए हैं, आप की सरकार द्वारा यह जंगल बच नहीं सकते थे। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि हमारे हिन्दुस्तान में वह किसान जो जंगलों के बीच में रहता है उस को अपनी जरूरत के मुताबिक अर्थात् मकान बनाने, जलाने की और काश्त के औजार हल इत्यादि बनाने की खातिर मुफ्त लकड़ी जंगलों में से लेने की इजाजत होनी चाहिये। अगर हमारे किसान को जोकि जंगलों में रहते हैं, इतनी भी सुविधा न हो तो आप की फारेस्ट पालिसी सफल नहीं हो सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब फारेस्ट में आग लगती है अगर उस को कोई बुझा सकता है तो वह किसान है और वह बुझाता भी है और इस काम के लिये वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है और कोई मजदूरी भी नहीं लेता। इसलिये अगर उसी को वहां से लकड़ी लेने की इजाजत न हो तो कितन दुख की बात है। इसलिये मेरा सुझाव है उन को लकड़ी मुफ्त मिलनी चाहिये।

जहां तक किसानों के कर्ज़े का ताल्लुक है उस के बारे में अभी राजमाता जी ने इस सदन का ध्यान दिलाया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज ऐसे भी हजारों किसान हैं जोकि ३५ या ४० या ५० रुपये में गिरवी हैं। मैं जानता हूं कि १३ साल तक एक बार गिरवी रहा और मर गया। उस का बेटा आज करीब करीब २२ साल का है वह भी तीन साल से गुलाम है केवल ५० रुपये में। यह कर्ज़े की हालत है। एक रुपये के दो-दो और दस-दस ले लिये जाते हैं लेकिन फिर भी उन का छुटकारा नहीं होता, उन को कर्ज़े से मुक्ति नहीं मिलती। मैं खास तौर पर अपने कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह इस के बारे में कुछ करेंगे और किसानों को, कोई कानून बना कर, कर्ज़े से मुक्त करायेंगे।

अब मैं आप के खाद के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस के बारे में अभी हमारे मिश्रा साहब ने कहा कि फर्टिलाइज़र फैक्टरी की खाद बहुत महंगी है। मैं कहता हूं कि खाद महंगी क्यों न हो जबकि जिप्सम तो मिले बीकानेर में और फर्टिलाइज़र फैक्टरी बने बिहार में। । इसीलिये खाद के महंगे होने की जो बात कही जाती है वह तो समझ में आनी चाहिये। वहीं पर खाद का कारखाना बनाया जाय जहां पर कि कच्चा माल पैदा होता है तो खाद सस्ता हो सकता है। साथ ही साथ मेरा विचार है कि फर्टिलाइज़र फैक्टरी से पैदा होने वाले खाद से हमारे देश की समस्या पूरे तौर से हल नहीं हो सकती है। हमारे देश में सिंचाई की जमीन कम है। अगर आप के खाद का इस्तेमाल किया जाय तो यह जरूरी बात है कि २४ घंटे के अन्दर अन्दर खेत पानी चाहेगा और अगर उसे पानी नहीं दिया गया तो फसल खत्म हो जायगी। इसलिये अगर हमारे देश को उत्पादन में प्रगतिशील होना है और तरक्की करनी है और सफलता

[श्री एम० एल० वर्मा]

प्राप्त करनी है तो केवल गोबर का खाद ही हमें इस्तेमाल करना होगा ।

हमें पशुओं के लिये चिरागाह के लिये भी जमीन रखनी होगी । अभी-अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने उपाध्यक्ष महोदय की तरफ से पूछे गये सवाल का जवाब दिया कि फाडर की जरूरत कैसे पूरी की जा सकती है । मैं आप को बताऊं कि वास्तव में जंगलों के संरक्षण के बारे में हमारी नीति साफ होनी चाहिये । हमारी जो नीति काबिले-काश्त जमीनों तथा पहाड़ों और फारेस्ट्स के बारे में है वह बिल्कुल साफ नहीं है । हजारों और लाखों एकड़ जमीन फारेस्ट के लिय पहाड़ों की है वह बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ी हुई है, उस की कोई देखभाल नहीं हो रही हैं । उन्हें सुरक्षित करना चाहिये । जिन जंगलों के हम ठेके देते हैं और जिन पेड़ों को काटने की इजाजत देते हैं उन के अलावा दूसरे पेड़ काट लिये जाते हैं और इस तरह से जंगलों का विनाश हो रहा है । मैं यह जानता हूं कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जैसे बांस सागवान, जिन को अगर काट दिया जाय तो, वह फिर दुबारा उग आते हैं । मगर कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो एक बार काट दिये जायें तो वह फिर दुबारा नहीं उगते हैं । इस वास्ते उन पेड़ों को काटने के बारे में हमारी नीति साफ होनी चाहिये । खाद के बारे में मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान में गोबर की खाद ही सफल होगी और अगर गोबर की खाद ही हमारे लिये ठीक है तो हमें मवेशियों की तरफ ध्यान देना होगा, और उन के लिये चिरागाह की जमीन छोड़नी होगी इसलिये इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

अब मैं सिंचाई के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं । यह ठीक बात है कि आप सिंचाई के लिये बड़े-बड़ बांध बना रहे हैं साथ ही साथ आप नहरें भी निकाल रहे हैं । लेकिन मैं आप को बताऊं कि आप की नहरों के चौकीदार किसानों से आज भी रिश्वत खा रहे हैं । जिस किसान ने पैसा दे दिया उस को तो पानी मिल गया और जिस ने पैसा नहीं दिया वह रोता रह गया और उस की फसल सूख गई । इस के बारे में हमने कोई नीति तय नहीं की है । फिर जहां आप की नहरें चलती हैं उन में पानी तो खूब होता है, मगर कच्ची नहरें होने की वजह से भूमि ऊसर हो जाती है । आप जमीन की तरफ कोई खयाल नहीं देते हैं । जरा सा पानी ज्यादा गया नहीं, जरा सी कच्ची नहर हुई नहीं कि हजारों बीघा जमीन ऊसर हो गई । इसलिये जमीन को ऊसर होन से बचाने के बारे में भी हमारी पालिसी साफ होनी चाहिये ।

अब मैं सीलिंग के मामले पर आता हूं । हमारे पंजाब के कुछ भाई इस का विरोध करते हैं, उन में से सरदार लाल सिंह साहब भी एक हैं । मुझे आज चौधरी साहब का भाषण सुन कर ताज्जुब हुआ है कि वह भी सीलिंग के विरोधी हैं । उन्होंन आज देश की हवा को पहचाना नहीं है, उन्होंने यह देखने की कोशिश नहीं की कि देश आज क्या चाहता है । मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि अगर आज सीलिंग नहीं की गई तो हमारे देश में एक जबर्दस्त क्रान्ति हो जायगी । आज एक गरीब किसान यह सहन नहीं कर सकता कि उस के पास इतनी कम जमीन हो जिस से कि वह अपना गुजारा भी न कर सके और दूसरे आदमी के पास हजारों और लाखों एकड़ जमीन पड़ी रहे । जमीन का मसला हमारे देश के लिये एक बेसिक मसला है और इस पर ७० या ८० फीसदी लोगों का दारोमदार है । हमारे देश में जो कुछ भी है वह इस जमीन के ऊपर ही है और

इस देश की तरक्की तभी हो सकती है जबकि जमीन का बटवारा ठीक ढंग से हो जाय । कितनी जमीन किस के पास रहनी चाहिये, इस का फैसला होना जरूरी है । मैं यह भी साफ कहना चाहता हूं कि किसान इंतिजारी नहीं करेगा वह अपने भाग्य का निर्णय जल्दी चाहता है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह बड़े महत्व की है और, जो लगान व्यवस्था के बारे में है । हमारे देश में अंग्रेज़ों क जमाने में जिस प्रकार सेटलमेंट हुआ, जिस प्रकार लगान व्यवस्था तय की गई, वह बहुत ही गलत तरीके से तय की गई । उस की तरफ अब हमारा ध्यान जाना चाहिये । आज एक किसान को जोकि रेल से २०० मील दूर रहता है एक एकड़ पर उस को वही लगान छः रुपया अदा करना पड़ता है जोकि एक शुगर फैक्टरी के पास रहने वाले और प्रति एकड़ एक हजार रुपया कमाने वाले को अदा करना पड़ता है । इस वास्ते इस लगान के बारे में बिल्कुल नई नीति अपनाई जानी चाहिये और यह मान कर न चला जाय कि यदि एक किसान के पास साल भर खाने लायक दाने न हों उस से वही लगान वसूल किया जाय और जो एक जमींदार है और जो लाखों रुपया कमाता है उस से भी वही लगान वसूल किया जाय ।

हम पूंजीपतियों से ४२०० तक की आमदनी पर टैक्स नहीं लेते लेकिन एक गरीब किसान को, जिस के पास अपने परिवार का पेट भरने क लिये पर्याप्त मात्रा में मक्की, ज्वार और बाजरा भी नहीं है, लगान से माफी नहीं दी जाती । मेरा सुझाव है कि जिस किसान की २५० रुपये माहवारी या ३००० रुपये साल की आमदनी है उस पर लगान नहीं लिया जाना चाहिये । सरकार को यह समझ लेना चाहिये कि जमीन सरकार की नहीं है, वह किसान की है । हमारे देश में धर्मशास्त्रों ने भी यह माना है । सरकार किसान से देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा आदि के लिये पैसा ले सकती है, लेकिन उस को यह नहीं समझना चाहिये कि जमीन उस की है । जमीन का मालिक तो किसान को ही समझा जाना चाहियें ।

यही मेरे दो चार सुझाव हैं । आशा है कृषि मंत्री जी इन पर ध्यान देंगे ।

श्री पी० एन० राजभोज : आज सदन में जमीन के बारे में चर्चा हो रही है । मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि हरिजनों और शिड्यल्ड ट्राइब्स के लिये बहुत काम हो रहा है । लेकिन मेरा ख्याल है कि इन लोगों की जमीन के मामले में हालत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । देखिये अभी तक जमींदारी कहां खत्म हुई है ? जब तक जमींदारी खत्म नहीं होती और किसान खेती का मालिक नहीं बनता तब तक मेरे ख्याल में इस देश की हालत ठीक नहीं होगी । आप राजस्थान जाइये, विन्ध्य और मध्य प्रदेश जाइये, बम्बई जाइये, आप देखेंगे कि जमींदार जगह-जगह बने हुए हैं और जमींन नहीं छोड़ रहे हैं । उन्हों ने अपनी जमीन को अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिया है । उन्हों ने उस को अपने मां, बाप, बहिन, भाई, चाचा आदि के नाम से बांट दिया है । जो जमीन पर काम करने वाले हैं उन को जमीन कहां मिल रही है ? आप कहते हैं कि हरिजनों का उद्धार हो रहा है पर उन को जमीन तक नहीं मिल रही है । तो मैं कहता हूं कि केवल यह कहने से उन का उद्धार नहीं होगा । उन को जमीन मिलनी चाहिये, मकान मिलने चाहिये । मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने उन के लिये बहुत कुछ किया है लेकिन हमारा कहना है कि और ज्यादा होना चाहिये । ज्यादा नहीं होता

[श्री पी० एन० राजभोज]

इसीलिये हम को यहां पर झगड़ा करना पड़ता है । हमारे देश में अछूत भाइयों की आर्थिक दशा बहुत गिरी हुई है । उन को आर्थिक दृष्टि से आगे बंढ़ाने के लिये कोशिश होनी चाहिये । जब तक यह नहीं होता तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता । हमारे देश में श्रम करने वाले मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है । उन को रोटी और मकान मिलना चाहिये । तभी उन की हालत सुधर सकती है । अभी उन की हालत सुधरी नहीं है । उन के बारे में बड़ी बड़ी रिपोर्टें निकलती हैं लेकिन उन को अंग्रेजी में छापा जाता है, उन को हिन्दी में नहीं छापा जाता । मैं पूछता हूं कि खाद्य-मंत्री यह क्या कर रहे हैं । आप हिन्दी बढ़ाना चाहते हैं तो हिन्दी में रिपोर्ट छापिये । यहां पर कृषि मजदूरों की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं पूछता हूं कि आप ने इन कृषि मजदूरों की दशा सुधारने के लिये क्या स्कीम बनाई है । अभी तक इन की हालत नहीं सुधरी है । आप इन के बारे में बातें तो बहुत करते हैं । लेकिन हम को तो कुछ तब मालूम हो जब इन लोगों का कुछ भला हो, उन को सस्ता क्रेडिट मिले । आप ने ऐसे नियम बना रखे हैं कि गरीबों को तो कर्ज मिलता ही नहीं । मैं चाहता हूं कि ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि गरीबों को भी कर्ज मिल सके ।

हमारे देहातों में जो पटवारी हैं वे इन जमीनों पर काम करने वालों का नाम जमीन पर नहीं चढ़ाते । जमींदार रुपया दे कर जिस का नाम चाहते हैं चढ़वा देते हैं । मैं चाहता हूं कि जो मजदूर या किसान जमीन पर काम करते हैं उन का नाम उस जमीन पर लिखा जाना चाहिये । उन को जमीन मिलनी चाहिये, मकान मिलने चाहियें और कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा उन को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये । मैं जापान गया था । मैं ने वहां देखा कि को-आपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा वहां किसानों को बहुत लाभ पहुंच रहा है । हम ने जापानी तरीके से चावल पैदा करने में मेहनत की है । यह ठीक है । हमारे देश में इन सब बातों पर अमल होना चाहिये । मेरी प्रार्थना है कि मैं जो दो तीन सुझाव देता हूं उन पर सरकार ध्यान दे । मेरा पहला सुझाव यह है :

(i) that the Government should introduce the policy with regard to land reform so that Scheduled Castes and Scheduled Tribes can get lands for their livelihood and help the co-operative farming organisations of their own to improve the economic condition of these down-trodden population of the country;

श्री ए० पी० जैन : आप अंग्रेजी में क्यों बोलने लगे, हिन्दी में बोलिये ।

श्री पी० एन० राजभोज : यहां सारा काम तो अंग्रेजी में हो रहा है । आप मेरे सुझाव अंग्रेजी में ही सुन लीजिये ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है :

(ii) that the Government should provide credit facilities on an extensive scale to the rural people in general and particularly the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the development of their occupation; and

और मेरा तीसरा सुझाव यह है :

(iii) that a Committee should be appointed to recommend to the Government with regard to the solution of problem of the landless labourers, particularly of the Scheduled Castes."

मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वे एक कमेटी बना दें जिस में सोशल वर्कर

और दूसरे लोग मिल कर जमीन के मामले पर विचार करें ।

डा० पी० एस० देशमुख : आप कोआपरेटिव तरीके से काम कराना चाहते हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज : हम कोआपरेटिव सोसाइटीज़ चाहते हैं । लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब बात करने में बहुत होशियार हैं । लेकिन जो वह कहते हैं वह हम को अधिकारी-वर्ग मिलने नहीं देता । उन के कहने पर अमल नहीं होता । मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न होना चाहिये। हमारे जो अफसर लोग बैठे हैं उन से भी मेरी सूचना है कि वे गरीबों की सहायता करें । वे ऐसा प्रयत्न करें कि गरीब लोगों को जमीन मिले । उन के हाथ में कानून की बहुत बड़ी शक्ति है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देहातों में जमीन के बारे में गरीबों पर जो जुल्म होता है, जो उन पर मारपीट आदि होती है उस का हाल हमारे अखबारों में नहीं छपता । बड़े-बड़े लोगों के स्टेटमेंट तो हाल छप जाते हैं पर गरीबों के कष्ट की कहानी को अखबार भी नहीं छापते ।

इस के अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत सी जगहों पर चार हजार दो हजार हरिजन शरणार्थी पड़े हैं, उन को भी जमीन मिलनी चाहिये । हम लोग भी शरणार्थी से अधिक शरणार्थी हैं । हमारे लिये भी जल्दी से जल्दी जमीन, रोटी और मकान का और सब प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिये और हमारी समस्या हल होनी चाहिये । हम आप के साथ हैं । हम आप से अलग होने वाले नहीं हैं । हमारा और आप का तो घनिष्ट सम्बन्ध है । इसलिये आप को हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज़ की आर्थिक हालत को सुधारने का जल्द से जल्द प्रयत्न करना चाहिये ।

मेरी हाउस से और सरकार से यही प्रार्थना है ।

4 P.M.

Shri Thanu Pillai (Tirunelveli): Speaking of land reforms it has become a fashion to say that the tiller of the soil is the owner of the land.

An Hon. Member: What is wrong with it? (*Interruptions*).

Shri Thanu Pillai: Hear me before you come to any conclusion. When the propagator says that the tiller of the soil should be the owner of the land, the tiller thinks that he is going to be the owner of the half acre land for possessing which the land-holder is called the landlord. I can understand this when we think of big zamindaries and big landed properties. If you implement it, it is all right; I have no grievance; I have no land to give. By going about telling this slogan, it has created such a commotion and such a feeling in the minds of the people that the ordinary labourer, the peasant, the cultivator thinks that he is going to be the owner of a mighty big one acre land—the only possession of that land-owner.

What I say is that we must have a sense of proportion and we have to put in the best possible way to the people. If you want to go to the agriculturists and land owners who are having one or two acres or ten or fifteen acres, why should you leave the industries at large and control land only? I cannot understand this. Industry can be expanded but not land. Land has got a natural limitation and it would be of some help if we put a ceiling on land. But instead of bringing a ceiling on land, to go to the people and say this creates confusion already existing in the zamindary and inamdari areas. In the ryotwari areas, there are people who own lands and in every district in every part of the country there is a problem. Usually the land-lord and the tiller were having a smooth way

[Shri Thanu Pillai]

and were working smoothly till this slogan was preached in season and out of season.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

What is happening today? In every village a few labourers and small *pattadars* who have purchased their lands by paying their hard-earned money are being put to a lot of trouble; they are faced with these problems. But the big land-lords have got a big machinery whereby they could completely suppress all agitations by the tillers. Therefore, we should draw a line. We should pass a legislation quickly so as to bring a ceiling on the land—about a certain maximum—and try to solve the real agrarian problem in a different way with a different approach.

When I happened to speak to some agriculturists as to whether they preferred the tenancy right over 10 acres or the ownership of one acre. they said that ownership of one acre was preferable to a tenancy right with whatever regulations on a ten acre plot. Their mind is working in the way of becoming a proprietor of even a small plot then being tiller of a bigger plot and enjoying a bigger income. In some places we have tried by compromise and through courts to control eviction of tenants. There a land-lord who was assisting the tiller with some money to buy the manure or seeds or pay some expenses towards cultivation is now refusing to give any money and says: "You people intervene: the Court intervenes: I have given the land; I am not evicting the tenant but why should I give the money?" Where is the money? He goes to the money-lender who takes much more than what the land-owner would have taken the tiller—there is no ceiling on the lender.

A land-lord gets fifty per cent of the yield as land rent. In no other industry, we have got to pay this 50 per cent of the yield as rent. The tiller is actually put to a lot of hardships in between the slogans and the actual practices followed in this country. It is time that some land labour legislations are passed; they could be passed only by the Central Government. We are passing the Minimum Wages Act and other Acts. If you apply the Minimum Wages Act to the labourers in the agricultural sector, it will not give them any benefit because even if you fix up a wage of Rs. 2 per day they will have work for a few days and they will be having nothing after those few days. Therefore, I submit that we must take appropriate authority to pass legislation so that the land rent may not be more than 25 to 33 per cent according to the different varieties of land and the tiller may not be evicted unless there are certain violations by way of non-payment or rent or some such thing. But without bringing any such legislation, any amount of our legislating for the bigger circle will not solve the problem of the real tiller. If you say that small lands may also go to the tiller, the small owner is as much a citizen of this country who needs the protection as others. There are so many persons—widows, etc.—who have got 2-3 acres and these are their only source of living.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri Thanu Pillai: There was a suggestion about co-operative societies. Co-operatives are now almost controlled by the interested few big businessmen. It is no use saying that Government is giving aid to the co-operatives: co-operative movement is supported only by the interested people. Actually the people having taken to co-operation ought to have a co-operative purpose. But the elections to the co-operative societies are much worse than elections in other fields—canvassing or buying over votes and such like things. People who get the benefit of the co-operative movement do not know what it is and they go about selling votes and electing wrong people.

Mr. Deputy-Speaker: Your time is up.

Shri Thanu Pillai: I will take a couple of mintes.

Mr. Deputy-Speaker: There are no minutes; I am trying to adjust.

Shri Thanu Pillai: The co-operative system should be rectified.

An Hon. Member: Your eyes are not catching Members on this side.

Mr. Deputy-Speaker: My eyes are catching all sides. (*Interruptions*)

Shri Thanu Pillai: There are lands belonging to temples; lands belonging to charities which are controlled by the Government. There also the intermediary comes and takes vast areas of 200 or 300 acres and then exploit small tillers by parcelling out those lands. These things should be controlled by the Government by passing legislation and there should be no intermediaries between the land and the tiller.

People say that the intermediaries between the land and the tiller are removed. I do not know whether they have removed it anywhere except that zamindaris have been abolished Even there the old tenant has become the big land-lord; previously he was taking lands on lease. Still he continues to be the present owner and not the actual tiller. Therefore, the temple lands and the inam lands should be taken over. There are lands belonging to the absentee land-lords. Somebody in the village takes a lease of these lands and he pays 50 per cent of the yield as rent. He collects 75 per cent. of the produce as his rent. In the case of absentee land-lords, and lands belonging to public institutions, at least there, a law could be passed that there should be no intermediary between the tiller and the land-owners.

I have a few words to say about the prices. There is a talk of fixation of prices of commodities as price protection and at the same time there is a question of controlling the prices. One day the question is how to give price protection to the agriculturists and another day you find that the prices are soaring high and there is talk of control. There is something wrong somewhere. The prices of foodgrains are uneconomic because of the huge land rent which the tiller has to pay today. No amount of price protection can give an economic price to the tiller unless there is a ceiling imposed on the land If the prices are to be fixed at a particular level, we must bear in mind that we must compare this with what we pay in other sectors. What about the people who are in service. What about the small petty clerks who get Rs. 50 or Rs. 60 a month? And, you say price protection. The prices have not come down below control prices in our parts. Even there people shout of price protection. If price protection is to be given up to, say, the control rates at which we were procuring food grains, then the wages and salaries of employees will have to be considerably increased in keeping with the prices of commodities up to which protection is being given. Otherwise, there is no co-ordination between the wages paid and the prices. One time the tiller is benefited, at another time the wage-earner is benefited and at some time or other somebody will be the first class material for all sorts of upheavels in the country. Therefore, Sir, in dealing with such a problem we should have the perspective of all sides of the picture and not always look to one side and to cheap slogans.

Shri U. M Trivedi (Chittor): Sir, the representatives of all parties have got a chance—the Communist Party, the PSP Party and so on—whereas my Party has not been given a chance.

Mr. Deputy-Speaker: And, may not be able to get also. He got an opportunity to speak on other matters. What can I do? I am dividing 10x60—that is 600 minutes—the 500 and that comes to 1-1/5 for each hon. Member. How many Members are there in the hon Member's Party?

Shri U. M. Trivedi: I represent the fourth party in India; in the whole of India.

Mr. Deputy-Speaker: But, how can I allow all Members to speak? Hon. Members are seeing for themselves the difficulty. Any one of them can take this seat and allot time.

Shri U. M. Trivedi: I do not grudge it; I was just reminding you that is all.

Mr. Deputy-Speaker: But hon. Members must sometimes appreciate my difficulty also. I myself am not speaking at all.

Shri K. L. More (Kolhapur *cum* Satara—Reserved—Sch. Castes): Sir, in view of the large number of speakers let us sit for some more time.

Mr. Deputy-Speaker: We are sitting till seven o'clock today. But, then I must call the hon. Minister at about six o'clock. There are only about two hours more. We started at eleven o'clock and we are closing up at seven. Does the hon. Member suggest that we should sit till eight o'clock?

Shri K. L. More: Yes.

Mr. Deputy-Speaker: Yes, yes; but, there would not be any quorum. Let us proceed now.

Shri S. C. Samanta (Tamluk): Today we are discussing about the economic policy of the Government with special reference to agriculture, land and rural credit. This economic policy is inter-linked with the whole economic policy of the country and the agricultural economic policy is the main thing which will take us up.

We are glad that our Government put a target that within 5 years we must be self-sufficient in food. We can be proud that before the end of the Five Year Plan we are self-sufficient as regards food.

The Government is trying its best to help the agriculturists and the agricultural operations in the country. Though it is a State subject the Government of India has to give contributions in the form of help and advice and they are doing so. We are glad they have laid down a future policy in the Second Five Year Plan.

It is a very difficult thing to bring the economic level of the agriculturists to the point we wish. If we discuss the history of the agriculturists in the past, in the foreign regime, what we find is that they were the worst sufferers in the country. They worked day and night but they themselves were rendered helpless, poor, destitute and what not. That position should be revised and in a day it cannot be done. Most of the agriculturists were indebted. Because they are indebted with anything that they earn they cannot maintain themselves. An agriculturist cannot spend what he earns on the maitenance of his family. Therefore, when he gets the agricultural product during the season he is bound to sell it at the then prevailing price which is generally low. He is bound to sell the product at that low price and at the time of his own need for that product he buys the very thing at a high price to meet the necessaries of life.

Sir, we have not as yet fixed the minimum prices for agricultural products. Why? The prices of other necessaries of life which are required by the agriculturists are determined by the production cost. In respect of other things which are needed for every day use the price is calculated on the basis of cost of production; then, I ask, why the agricultural products should not be priced according to the cost of production? This should be the first thing which the Government must do and that is to fix a minimum price for agricultural production. The Government must move in that way so that these agriculturists who are giving food and life to the country may be saved. Shri V. T. Krishnamachari of the Planning Commission has said:

> "The people of India are building up a new life for themselves. They are seeking to create a new pattern of society. The National

Extension Movement is the agency for bringing about the social change in rural India. The aim is that there should be owner cultivators making the best use of the land, water and other resources of scientific agriculture and finding supplementary occupation in cottage and small scale industries so that there may be diversified rural economy and a richer and fuller life."

Sir, we have abolished zamindari system and for that reason the middle-class men, the agriculturists' money-lenders, are not coming forward to help the agriculturists with money. Though the Government have come forward to give rural credit to the agriculturists it has not as yet reached the villages. That should be done in such a way as to render real help to the agriculturists in the villages. The Government is going to establish co-operative societies through which agricultural production will be bought and kept in warehouses. But, at the same time, we must be careful to give some rural credit where the credit will not be available from any other source. Even if there are other sources, they are lacking interest privately, in a way, and, therefore, if rural credit is not given, the efforts we are making to raise the standard of life of the agriculturists would rather deteriorate and not meet with success. So, in that respect, Government should come forward to arrange for cheap and regular credit.

Government must not try to bring under cultivation the pasture and fallow lands only. On the other hand, they should try to increase production by using the cultivable land already available, or, rather they should resort to intensive cultivation. Owing to lack of forests and also due to soil erosion, floods occur, and if floods come, everything that we are going to do will be destroyed and we will meet with devastation only.

As regards agricultural debt, as I was mentioning earlier, Government should be very careful to arrange that agricultural credit societies are started very soon so that they may help the villages. Shri Barman and myself have moved a substitute motion and I hope it will be accepted by the House.

Shri Tulsidas (Mehsana West): I thank you for giving me an opportunity to say a few words on this important subject under discussion. I am sorry that I was not present when the hon. Minister of Food and Agriculture spoke yesterday. But I took a little trouble to read the whole speech of his and I must say that I am very glad to find that there is a great deal of optimism in his speech. The agricultural problem in this country has been one of the very difficult and complicated problems and, at the outset, I must say that the Government has tried its level best to see that agricultural production goes up in this country. The targets which the Government has fixed in the first Five Year Plan have been practically reached as regards the production, both of foodgrains as well as the other commodities. The efforts which have been put in by the Government have borne fruit, but let us not be complacent. After all, to a certain extent, and if I may say so, to a great extent it is by the grace of God that we had very good rains during the last two or three years and that has given us encouragement and the crops have come up so well, and the problems which had to be faced during the past years are not now to be faced.

The problem now before us is one of income of the agriculturists. You know very well that in this country, more than 70 per cent of the population lives on agriculture or depends on agriculture. As the hon. Minister said, 50 per cent of our total national income comes from agriculture. Therefore, agriculture is one of our very important problems. My main point on this particular aspect is that though efforts have been made by the Government to stabilise the prices so that the agricultural income does not go down, and the prices are maintained,

[Shri Tulsidas]

the efforts that have been put in have not been able to keep the income of the agriculturists at the level or in the manner in which it ought to have been kept. I would like to point out that agricultural prices, as compared with the manufactured goods' prices are very much lower. I know the crops have been good and therefore the real income of the agriculturists has not been much lower, but the efforts by which these prices have been maintained have not, to a certain extent, been beneficial, to my mind, to the agriculturists.

The hon. Minister of Food and Agriculture mentioned in his speech that he had to resort to a certain amount of export quotas whenever the prices went down. I would like to remind him that those quotas which were given and which had stabilised the prices came in much later. The timing was not for the benefit of the farmer but to the benefit of the mercantile community. I know I belong to the mercantile community, and therefore, I feel that if the timing of the quotas was properly assessed or adhered to, the benefit would have been derived by the farmers and not by the mercantile community. Therefore I feel that this policy of giving quotas to the different agricultural commodities should have been timed in a much better way so that the agriculturists would have benefited to the maximum extent.

I know that in most of the countries, there has been a policy of price support and storing a certain amount of agricultural commodities for stabilising agricultural prices. But in this country we do not have the need to do so, because our agricultural production is not so much as to be stored and be given the price support. Even if the Food and Agriculture Minister has to face that problem, I would request him not to feel shy or feel hesitant in the matter of piling up or giving loans to the agriculturists as in other countries, because even if the commodities become a surplus in a year or two, the surplus will be so small that one bad year will finish off the surplus and there will again be a scarcity in those commodities. But the problem that countries like the United States are facing today is not the problem in this country, and even if the Government have to face that problem, it is not difficult to carry out the measures to be taken against it.

I shall now refer to foodgrains. The other day, there was a debate in this House with regard to the transport difficulties and I initiated the debate. To a certain extent transport difficulties have created a problem. The prices of foodgrains as well as other commodities in the producing areas were much lower than what they were in the consuming areas. In fact, in the consuming areas the prices were much higher. I hope that the Minister of Food and Agriculture would certainly see that the maximum benefit would be derived by the agriculturists through the movement of goods in as quick a manner as possible, and to see that, in this respect, the co-operation and co-ordination of the Transport Ministry are secured.

We have yet to go a long way with regard to the production of agricultural commodities. We are doing all that is best, but there is still a considerable progress to be made. For example, we have now taken up the Japanese method of cultivation of rice. We have yet to give a lot of education to our agriculturists to see that newer and newer methods are adopted and seeing thereby that the problem is eased to a considerable extent and the income of the agriculturists is maintained and also improved.

I would now like to mention about the rural credit. We have had the report of the Rural Credit Survey Committee and we have also got the recommendations of that committee. Some of those recommendations have been implemented by the Government.

The aims and objects particularly are laudable, and I only hope that Government will be able to implement the remaining recommendations in as quick a time as possible so that the agriculturists can derive the benefits soon. But I would like to ask the hon. Minister of Food and Agriculture how he is going to give this benefit in as short a time as possible when the machinery is not there. We know we are going to have warehouses and several co-operative societies opened in different places in the country. But during that transition period, what is going to be the position? The agriculturists are getting, or at least were getting to a certain extent credit from the normal trade channel. But today a situation has been created in which, the credit which the agriculturists were obtaining, is not available to them, because of a certain amount of legislation that we have now enacted both in the States as well as at the Centre. It is not possible for these indigenous bankers to give this credit to the agriculturists. The agriculturists will get this credit after the machinery recommended on the basis of the Rural Credit Survey is made available. But during the transition period, the agriculturists will have to suffer considerably. I may tell you that it is in the marketing period that agriculturists cannot have any sustaining power to keep the commodities and to see that they are being marketed at not very low prices. Therefore, unless and until these facilities are made available to them, the agriculturists will always be forced to sell their commodities at low prices which they usually get. I only hope that the recommendations of the Rural Credit Survey Committee will be implemented very soon, and the credit will be available to the agriculturists of the country.

I would like to make some remarks about one agricultural commodity, namely, sugar. It is within the ambit of this Ministry. U.P. and Bihar have been responsible to the extent of 70 or 75 per cent of production of sugar. We have been told—and it is the fact—that the production of sugar last year has been a record one in this country. It has been nearly 16 lakhs tons. We heard only the other day from the Transport Minister that it was not possible for him to transport all the sugar which was produced because the production was so huge. It was not possible for him to transport the sugar from the factories. We also know that the Government had committed to import 8 lakhs tons of sugar from the different countries of the world. We know that this sugar had to be imported, stored and sold in this country. Together with this import of sugar, we had also to market the 16 lakhs tons of sugar produced in this country. But I would like to inform the House that in order to market the sugar which was imported by the Government, the indigenous factories had to suffer. Sugar produced in the factories could not be removed and the Railway Minister told us that he could not move both the imported sugar as well as the indigenous production at the same time and because the Food and Agriculture Ministry wanted that the imported sugar should be moved first, the wagons which were supplied to the factories were much less.

Shri A. P. Jain: Imported sugar, if at all it moves, it moves from the ports, whereas indigenous sugar moves from the inland area to the port towns. How can one compete with the other?

Shri Tulsidas: It is not a question of competition. I would like to remind that we were told by the Railway Minister here that he could not supply enough wagons to the factories, because he had to move imported sugar and particularly in the metre gauge section the wagons supplied were about 20 per cent less than last year. I would like to give certain figures. In U.P. and Bihar, the factories produced about 9 lakhs and 2·24 lakhs tons respectively. The total tonnage moved up to 1st September is about 5 lakhs and 1·28 lakhs tons respectively. You know very well that sugar factories start producing about

[Shri Tulsidas.]

the first week of November. That means in about two months, the stocks left uncleared in the factories would become still large. We had also a similar situation in 1951. We had about 5 lakhs tons of increased supply of sugar on account of very large production in this country. At that time also, the Government was keen that the factories should remove this sugar as early as possible, so that the next year's crop would not suffer. The situation is exactly similar now. Unless the sugar is removed from the factory, the factory will not be able to purchase the sugarcane from the agriculturists and the agriculturists will suffer. They will have to sell the cane at extremely low prices, because the prices of gur and other things are going down. It is not even possible to crush all the sugarcane. Therefore, I request the hon. Minister to see that the sugar which is now left in the factories is removed as early as possible, because otherwise there is no storing space and it would not be possible for the factories to start production in the next season.

श्री विभूति मिश्र : क्या आप बतला सकतें हैं कि इंडीजिनस फैकटरी में कितनी शुगर पड़ी हुई है ?

श्री तुलशीदास : मैं ने बतलाया है कि चार लाख टन यू० पी० में पड़ी हुई है ग्रौर एक लाख टन बिहार में पड़ी हुई है ; उनक पास उसे रखने को ज्यादा जगह नहीं है ।

There is no storing space, no godown accommdoation. Unless the sugar is removed, it is not possible to start production again. I am mentioning this because the Railway Minister told us that he could not supply wagons, because he had first to move the imported sugar. The hon. Minister of Food and Agriculture said that there is no question of competition. I am not saying that there is competition; I am only telling him what the Railway Minister told us here in this House, namely, that he could not supply the wagons to the factories to despatch the sugar, because he had to move the imported sugar. The result is that the indigenous production suffers. That is the point which I am bringing to his notice. I am only saying that unless the manufacturer moves the goods from the factories, the agriculturists in the normal course will not be able to market their produce. At present the agriculturists are not getting the facilities which would otherwise be available to them on the recommendations of the Rural Credit Survey Committee. It is in this transition period that the Food and Agriculture Ministry should see that whenever the marketing of the crops takes place, the agriculturists do not suffer. I would also request the Minister to see that the movements of the commodities do not suffer for want of wagons. Therefore, the import of sugar should be timed in such a way that the agriculturists do not suffer.

ठाकुर युगल किशोर सिंह (मुजफ्फ़रपुर—उत्तर पश्चिम) : मैं कुछ ग्रौर कहने के पहले एक बात का स्पष्टीकरण ग्रपने खाद्य तथा कृषि मंत्री से चाहता था ग्रौर मैं फिर दुहरा देना चाहता हूं । उन्हों ने यह कहा था कि ग्राल इंडिया कोग्रापरेटिव कांग्रेस से जो प्रस्ताव पास हुग्रा था उस को सरकार ने मान लिया है, माना है या नहीं, उस के बारे में मैं साफ़ साफ़ जानना चाहूंगा क्योंकि जिस बिहार प्रान्त से मैं ग्राता हूं वहां उसके विपरीत ही काम हो रहा है । सर्वप्रथम ग्राल इंडिया कोग्रापरेटिव कांग्रेस ने यह मांग की थी कि स्टेट्स कोग्रापरेटिव बैंक में तीन ग्रादमियों से ग्रधिक सरकार के नौमिनीज न रहें लेकिन कल या परसों बिहार कोग्रापरेटिव बैंक की एक बैठक हुई जिसमें बिहार सरकार की ग्रोर से एक गजट पढ़ा गया था जिस में कहा गया है कि बिहार

सरकार की तरफ़ से संचालक मंडल के ६ आदमी रहेंगे, दुगने आदमी रखने की बात कही गई है । अगर भारत सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तो क्या कारण है कि आज बिहार की सरकार उस को नहीं मान रही है ?

दूसरा सवाल यह था कि इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि जितने नौमिनीज़ सरकार की तरफ से रक्खे जायेंगे, उन्हें इंटरनल ऐडमिनिस्ट्रेशन में, एलेक्शन के मामले में और मैनेजर लोगों के बहाल करने में दस्त-अन्दाज़ी करने का कोई हक़ नहीं होगा लेकिन जो विज्ञप्ति बिहार सरकार की ओर से इस के बारे में निकली है, उस से यह पता नहीं चलता है कि उन को इन कामों में दस्तअन्दाज़ी करने का हक़ नहीं रहेगा बल्कि और मेम्बरों को जो हक़ हैं उतने पूरे हक़ उन लोगों को दिये गये हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसे सरकार ने मान लिया है और यदि हां तो फिर इस को कार्यान्वित करने के लिये क्या रास्ता अख्तियार किया है ? और जो स्टेट्स इसे नहीं मान रही हैं उन स्टेटों के साथ क्या बर्ताव करेगी ? फ़ाइव ईयर प्लान में जो रुपया उन को देने वाले हैं उन से क्या यह शर्त मनवायेंगे या मनवाने की कोशिश करेंगे या कोई दूसरी कोआपरेटिव एजेंसीज़ उन जगहों पर क़ायम करेंगे ? कहा सेन्ट्रल बैंक्स में स्टेट बैंक की तरफ़ से नामिनीज़ न रक्खे जायें, इस के लिये जो प्रस्ताव पास किया गया था, क्या इस प्रस्ताव को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है और अगर मान लिया है तो इस के मुताल्लिक़ राज्यों के पास कोई इन्स्ट्रक्शन्स भी गये हैं कि नहीं ? आल इंडिया कोआपरेटिव यूनियन का एक और बड़ा मुख्य प्रस्ताव था जिस में उन्हों ने मांग की थी कि आल इंडिया कोआपरेटिव यूनियन को एक मात्र अधिकारी एजूकेशन और ट्रेनिंग के बारे में मान लिया जाय और रिजर्व बैंक उस को इस वास्ते अनकन्डीशनल सपोर्ट दे जिस तरह से गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने दिया है । फ़ाइव ईयर प्लान बनाने और कोआपरेटिव के दूसरे मामलों में मान्यता देने के सम्बन्ध में सरकार का क्या फ़ैसला हुआ, यह मैं नहीं जानता हूं उस के बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिये । उन्हों ने बताया कि वेअर हाउसेज़ दो के बदले चार रक्खे जायेंगे लेकिन उस के बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिये कि कोआपरेटिव्स को कैसे नौमिनेट करेंगे ? क्या आल इंडिया कोआप-रेटिव यूनियन का प्रतिनिधि रक्खेंगे और उन से अपना प्रतिनिधि भेजने के लिये कहेंगे या कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे और जिस किसी को रखना मुमकिन होगा उस को रख लेंगे और उसे कोआपरेटर का नाम दे देंगे ? इस में कनफ्यूजन हुआ और बहुत सी स्टेटों में मैं ने देखा कि वहां ऐसे लोगों को कोआपरेटर्स बनाया गया है जो कभी कोआपरेटर नहीं थे और कोआप-रेटिव के नाम पर कौंसिल में नामजद हुए । इन सब चीज़ों का स्पष्टीकरण मैं उन से चाहता हूं ।

रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की जो रिपोर्ट निकली है, उस में बहुत सी बातों की मैं कमी देखता हूं और मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि कोआपरेटिव मूवमेन्ट का फ़ेल्योर उन्हीं कारणों से हुआ है जिन कारणों को रूरल क्रेडिट सर्वे ने बतलाया है । मैं तो उस के फ़ेल्योर का एक मात्र कारण यह समझता हूं कि अभी तक जो कोआपरेटिव के कानून बने हुए हैं उन में अफ़सरों का कंट्रोल ज़रूरत से ज्यादा है और उन पावर्स के होने के कारण अफ़सरान ने आज तक उस मूवमेंट के साथ खिलवाड़ किया है और ठीक से अपने कर्तव्य को नहीं निभाया है

[ठाकुर युगल किशोर सिंह]

और लोगों में उस का प्रचार नहीं किया है और उस के सम्बन्ध में जितनी भी कार्यवाही होनी चाहिये थी, नहीं की गई है ।

मैं मिसाल के तौर पर दो तीन उदाहरण यहां पर देना चाहता हूं जिस से पता चल जायगा कि किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है और किस तरह से कोग्रापरेटिव का मूवमेंट बर्बाद हो रहा है । आप को मालूम है कि बिहार स्टेट कोग्रापरेटिव बैंक के जो चेयरमैन हैं, वह हमारे इस सदन के सदस्य भी हैं और आल इंडिया कोग्रापरेटिव यूनियन के प्रेसीडेंट हैं और एक युनिवरसिटी के वाइस चांसलर भी हैं । मतलब यह कि इतने प्रतिष्ठित आदमी वहां के चेयरमैन थे, लेकिन एक दिन उन का एक छोटे अफसर से कुछ मतभेद हो गया और दूसरे दिन खबर आई कि जो मैनेजिंग डाइरेक्टर थे उन को हटा कर के सरकार की तरफ़ से जो एडीशनल रजिस्ट्रार थे उन को मैनेजिंग डाइरेक्टर बना दिया गया और उस ने चार्ज ले लिया । उन्हों ने क्रेडिट एग्रीकलचर कमेटी और बोर्ड से बिना सलाह किये लाख रुपये के फ़र्टिलाइज़र उस वक्त खरीदे जबकि उन के दाम लगातार गिरते जा रहे थे और जिस के बारे में आफ़िस का नोट था कि बिना बोर्ड की राय से फ़र्टिलाइजर्स के वास्ते आर्डर नहीं देना चाहिये, लेकिन आर्डर दिया गया और जैसा कि आडिट रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि उस में क़रीब ५, ६ लाख का घाटा आया है सरकार को हम ने लिखा भी कि यह तो सर्चार्जेबुल आइटम है और सरकार को इस मैनेजिंग डाइरेक्टर के खिलाफ़ कोई कार्यवाही करनी चाहिये लेकिन हम लोगों की बदक़िस्मती से वे ही रजिस्ट्रार बने हुए हैं और कोग्रापरेटिव सोसाइटी ऐक्ट के अन्दर रजिस्ट्रार ही ऐसे सर्चार्ज वाले आइटम को इनिशिएट कर सकते हैं । इसलिये उस मामले में कुछ नहीं हो सका ।

पांच साल के आडिट रिपोर्ट में हम ने देखा कि स्टेट कोग्रापरेटिव बैंक के अन्दर उन्हीं के कार्यकाल में घाटा हुआ है, और इस का बहुत बड़ा कारण सरकारी अफसर की अपने काम में ढिलाई और ग़ैर ज़िम्मेदारी है क्योंकि वहां पर जो मैनेजिंग डाइरेक्टर बदल कर रक्खे गये उन के ठीक से अपने कर्तव्य को न निवाहने के कारण ही ऐसा घाटा हुआ । हालांकि सरकार को इस के बारे में लिखा जाता है लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि उस में बड़े अफ़सरान शामिल हैं । लेकिन दूसरी तरफ़ ऐसे अधिकारी जो आनरेरी काम करने वाले हैं और जिन्हों ने कोग्रापरेटिव के लिये अपना सारा समय और सारी जिन्दगी दी है उन के साथ ऐसी कार्यवाही की जा रही है कि जिस का कोई ठिकाना नहीं है । एक सेंट्रल कोग्रापरेटिव बैंक के बारे में मुझे मालूम हुआ कि ऐसिस्टेंट रजिस्ट्रार ने एक चपड़ासी से पैर दबाने को कहा और जब उस ने पैर नहीं दबाया तो उस बैंक के सेक्रेटरी पर सर्चार्ज की नोटिस गई । इस तरह की बहुत सी शिकायतें दिन रात सुनने में आती रहती हैं । अगर आप चाहते हैं कि यह मूवमेंट सक्सेसफ़ुल हो तो आप को उन अफ़सरान पर जो इस में काम कर रहे हैं, ज़रा अच्छा सुपरविज़न रखना होगा और यह इन्श्योर करना होगा कि वे ठीक तरह और दिलचस्पी के साथ अपना काम कर रहे हैं या नहीं । आप ने एक सवाल के जवाब में बताया कि हम लोगों के इनिशियेटिव को जारी रखना चाहते हैं लेकिन उस के लिये आप ने जरूरी क़दम नहीं उठाया है और कोई अपनी तरफ़ से किसी भी स्टेट

गवर्नमेंट को कोई डाइरेक्टिव नहीं दिया कि इस कोआपरेटिव मूवमेंट में लोगों की दिलचस्पी कैसे बढ़ सकती है और कैसे इस को देश में बढ़ाया जा सकता है । चूंकि इस कोआपरेटिव मूवमेंट में जो अफ़सर लोग हैं वे ठीक से और दिलचस्पी के साथ अपना काम नहीं कर रहे हैं इसलिये यह मूवमेंट कामयाब नहीं हो रहा है और उस को नाकामयाबी का बहुत बड़ा सबब यह आपके अफ़सरान ही हैं । मैं चाहता हूं कि यह मूवमेंट सक्सेसफ़ुल हो और इसके लिये आपके सेंटर और स्टेट्स के बीचमें कम्पलीट कोआरडिनेशन होना चाहिये ताकि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के काम को देश भर में अच्छी तरह से चलाया जा सके । जब हम इस के बारे में केन्द्रीय सरकार से आवश्यक कार्यवाही करने को कहते हैं तो कह दिया जाता है कि भाई यह तो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह कह कर चुप हो जाना ठीक न होगा और यह देखना होगा कि आप स्टेट्स की इन स्कीमों के लिये पार्लियामेंट से जो लाखों और करोड़ों रुपया मंजूर कराते हैं, वह रुपया वहां पर ठीक तरह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, पानी में तो नहीं बहाया जा रहा है । जब तक इस तरह का कोई रास्ता आप नहीं निकालेंगे और कोई उस के देखने के लिये मशीनरी नहीं स्थापित करेंगे जोकि इस कोआपरेटिव के काम को देश भर में ठीक तरह से सुपरवाइज़ कर सकें, तब तक आप को इस काम में पूर्ण सफलता मिलना असंभव है ।

Mr. Deputy-Speaker: Shri Eswara Reddi.

Shri Bogawat (Ahmednagar South): May I request you to look this side also, Sir?

Mr. Deputy-Speaker: I have seen all sides. What can I do? I cannot extend the time.

Shri Eswara Reddi Cuddapah: The Government must undertake a review of the land reforms introduced by the Government in the different States so that we can launch on a bolder policy of reform to benefit the agricultural masses. Shri G. H. Deshpande has just now spoken eloquently on the abolition of land lords and intermediaries. But, he refused to see the other side of the picture. At what cost have these intermediaries been abolished? At what cost to the peasantry and the exchequer also were they carried out? It is about Rs. 500 crores in all the States. This burden is very heavy to the peasantry and the exchequer also. In most cases the compensation is about 15 to 20 times the net income or the rental value. I do not know why the Government is showing such a soft corner to these landlords.

*These landlords have no claim for compensation from every point of view, either politically, socially or economically. They were the most reactionary class. In the days of British imperialism, they played a sordid role against the country and the people. Socially, they are the champions of all out-moded practices, the defenders of casteism, untouchability and all sorts of things, and economically they did not contribute either to the development of agriculture or banking or industry or trade. When such is the position, why should we pay compensation to them?

We know also how they acquired these lands. If we study the growth of the land system, we know that they were never the owners of these lands in India. They were only collectors of revenue. They acquired land by force, deceit, cheating and imposing heavy rents. Therefore, from all points of view, they have no claim for compensation.

Of course, the Government may say that they are already committed to it, and so how can they evade it now. If you think you cannot abolish the payment of compensation completely and

[Shri Eswara Reddi]

outright, I suggest at least postponment of payment of compensation for twenty years, that is until our economy is developed and till the peasantry could afford to stand on its own legs. If you really want the development of our economy and the prosperity of the peasantry, and if you believe in the professed aim of a socialistic pattern, certainly you will take my suggestion. It does not come in the way of the Constitution also. You can pay compensation after 20 years. In the meanwhile the zamindars are not going to suffer also because they have got their private lands, bungalows and riches. So, in the interests of the peasantry, I request the Ministry to accept my suggestion.

In regard to security of tenure, some States have worked out some laws, but in all land reforms we find that evictions are going on side by side. For instance, in the Punjab the eviction offensive of landlords was in full swing in 1953-54. According to Government figures, about 60,353 tenants were given eviction notices up to May 1954 and about 13,700 were evicted. Cases against 12,177 were pending in courts; 2,228 families of evicted tenants were rendered totally landless; 29,538 tenants became victims of a Government policy of compromise, who were afterwards partially or totally evicted. Illegal evictions by force are besides them.

Sardar Iqbal Singh (Fazilka-Sirsa): I may tell for the information of the hon. Member that all these tenants have been restored by the new Act passed by the Punjab legislature.

Shri Eswara Reddi: It is not so. Still there are cases. Due to great agitation, of course, the Punjab Government came down, and I know definitely well that they have not been benefited completely.

I will give another instance, in West Bengal about organised fraud. Backed by force and with the approval of the Government, the Jotedars in West Bengal practised a very sordid deal against the tenants. They got the signatures of the tenants, and especially the share-croppers on a declaration in order to evade the Burgadar Act and the Acquisition Act, and filled the contents according to their sweet will and pleasure in order to see that the share-croppers did not get the land. When this was brought to the notice of the West Bengal Government, they pleaded that under the existing laws they could not do anything against this fraud of the Jogidars. When it was pressed that they should at least introduce new laws to stop this fraud, they said that the Constitution did not allow it. Why not we change some articles in the Constitution which obstructs in this way? Such is the position of the tenants under this land reform.

There is another method also by which these landlords can easily eject the tenants, the abhorent method of ejecting the tenants for non-payment of rent. In the Punjab any landlord can easily evict a tenant by simply sending an application to the Assistant Collect saying that such and such a person is in arrears, and he could, after a summary trial, eject him in a few days.

Pandit Thakur Das Bhargava (Gurgaon): They would go into the question whether there are arrears or not.

Shri Eswara Reddi: After a summary trial.

Pandit Thakur Das Bhargava: It is not a summary trial.

Shri Eswara Reddi: In the Faizpur resolution of the Congress it was said that arrears of rent should be recoverable in the same manner as civil debts and not by ejectment. I hope this promise at least would be fulfilled by the Government.

The policy of the Government from 1947 to 1952 as regards ceiling has

been halting and wavering. Only in 1952, especially as a result of the spectacular gains of democratic forces in the general elections, Government were forced to decide on land distribution and fix a ceiling. The Planning Commission also gave its official seal of approval. Even though this principle was accepted, it was not at all implemented, and where implemented, it was not beneficial to the masses. The Central Government and especially the Agricultural Ministry was notorious in this respect. When the Delhi and Himachal Pradesh Governments wanted to incorporate in their tenancy Bills ceiling on holdings, the Central Agricultural Ministry intervened and stopped. In this connection, I want to quote Shri H. D. Malaviya from his book "Land Reforms in India" which is an AICC publication:

> "The question of fixing a ceiling on existing holdings has been ignored in most of the States. The Part C States of Delhi and Himachal Pradesh, who wanted to do it, had difficulties in getting their drafts accepted by the Centre. Delhi was asked to drop the idea; so also Himachal Pradesh!"

Then, he goes on to say:

> "We have described the provisions regarding ceiling......

Dr. P. S. Deshmukh: I think the hon. Member is making all sorts of statements. His information is antiquated. I would like to know what he exactly said. He said the Central Ministry has stopped the ceiling.

Shri Eswara Reddi: I will show you the statement of Sri Agarwal, General Secretary of A.I.C.C. also in this connection.

5 P.M.

Dr. P. S. Deshmukh: That proves nothing.

Mr. Deputy-Speaker: There can be difference of opinion.

Shri Eswara Reddi: I want to know whether at least now the hon. Minister of Food and Agriculture has changed his attitude towards the fixation of ceiling.

Dr. P. S. Deshmukh: There was never any anti-ceiling attitude.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's time is up. So, he shall conclude now.

Shri M. R. Krishna (Krimnagar—Reserved—Sch. Castes): When we speak about the agricultural policy, the development of agriculture or anything connected with agriculture, we cannot forget one thing, and that is that the development and prosperity of agriculture do not depend on the land or on the type of the soil, but largely depend on the labour that till the land. In our country, the number of agricultural labourers was very limited, before the Britishers came. But it has increased considerably since then, due to two factors. The first of these factors is that the rural industries have completely died, and the second is that the indebtedness of the agriculturists has increased considerably.

Many hon. Members have already pointed out the difficulties that the landless agricultural labourers are facing in the various States. I do not want therefore to deal with them at any great length. But I shall give only two instances in this regard. In the Telengana in Hyderabad State, if an entire family works for a landlord, it will hardly get Rs. 30 or Rs. 40; and in the Marathwada area, where the soil is supposed to be a little bit hard, and where only male members can work, the income of the landless agriculturists is still lower.

The Congress Party, before it came to power, had passed many resolutions, and it considered the resolution on abolition of the zamindari to be the most important of the resolutions. And soon after the Congress Government came to power, they took a bold step to abolish the zamindaries. This was done purely in order to help those landless agricultural labourers. The intention of Government was very

[Shri M. R. Krishna]

good, but the people who had to implement it were in favour of the zamindars; and the zamindars particularly were not good enough to hand over their lands to Government. Even before Government could lay their hands on the lands the zamindars distributed the fertile land to their own relatives, and most of them have sold their land to the various people roundabout. When the zamindars could conveniently decide even a renowned *sadhu* like Acharya Vinobha Bhave, I do not think they would hesitate to do anything to deceive our innocent Government.

I come from the Hyderabad State, and I know that nearly three-fourths of the lands belonged to the *nawabs* or the zamindars, in that State. But when the zamindaris were abolished, the poor people did not get any land. On the other hand, the entire land is still being enjoyed by the big zamindars. If Government were to take steps to find out the actual acreage of land that each zamindar possessed six or seven years before, and check it with the acreage that is possessed by his relatives, Government will definitely come to know that the lands have been distributed by the zamindar only among his own relatives. I cannot understand why a person who has got various other interests, a person who is doing some business, and who does not depend only on the land should possess any land. Why should he or his family possess any land?

If Government were to make an enquiry into the matter, they will find that the persons to whom the lands have been distributed by the zamindars have no faith in land, and do not depend upon land at all, and yet those persons are possessing large acreages.

For instance, the Nizam of Hyderabad is even now possessing nearly 8,000 sq. miles of land. He has been enjoying the revenues from the land all these years. I do not think he needs to depend upon his land at all either for his maintenance or for the maintenance of the members of his family. I would therefore suggest that the land in his possession should be taken over by Government and distributed to the people who actually depend on agriculture.

Even though orders have been passed in various States with a view to help the deserving agriculturists to get land, yet in practice it is very difficult for anybody to obtain even a small piece of land, for these illiterate persons are required to find out the survey numbers, and whether the land is a *poramboke*, *patta*, or *kharijaskatha*, etc. Only after they find out all these particulars, they can apply for possession. But an illiterate person can never get these particulars from the *patel* or the *patwari* who is in most cases corrupt.

In this connection, I would like to make the following suggestion to Government. When the lands are going to be distributed from the surplus that remains after the fixation of ceilings on land holdings, in every *tehsil* and every *taluk*, the collectors should be asked to display the survey numbers of the lands available in that area so that the people who want to get those lands can get them easily..It is no good expecting these poor people to depend upon the *patel* or the *patwari* for getting the necessary particulars.

In the Hyderabad State, the Tenancy Act was passed in order to help the tenants, who had been cultivating the lands of the jagirdars for years together to have some security of tenure, and to spend some money on the land with a view to cultivating the land in a better manner. But from the many reports that we have from the States we find that nearly 50 to 60 per cent of these tenants have been thrown out of the land. The reason was that Government wanted these tenants to apply for tenancy certificates within a prescribed time. But the village officials never informed these tenants, with the result that the prescribed period was over, and these tenants who had been cultivating the land for years together were simply thrown out of the land.

There is one other point I would like to mention in this connection. Government have come forward to help the agriculturists with *teccavi* loans, and they have stated that persons who own more than 6208 acreas of land are not entitled to get any *taccavi* loans. But what actually happens is this. People who own more than ten to twenty acres, who have their own money to spend on the land, who have servants, bullocks, and implements etc. of their own, and who are in a position to do everything by themselves to improve their land, store their own money when they find that Government are giving *taccavi* loans, and take advantage of the Government money which is loaned to them at a low rate of interest. But the poor people who own much less, and who are really in need of help, do not get any help at all. This is what has happended. Therefore, my appeal to Government is to see that the persons who own smaller holdings are given *taccavi* loans so that they may improve their lands.

Dr. Gangadhara Siva (Chittoor—Reserved—Sch. Castes): My substitute motion is:

That for the original motion, the following be substituted:

"This House having considered the economic policy of the Government of India with special reference to agriculture, land and rural credit, while appreciating the progress so far made, recommends that the Government should forthwith formulate a land reform programme and take suitable steps for the rapid implementation of land reform with special emphasis on distribution of land to the members of Scheduled Castes who form the main bulk of agricultural labourers."

My object is to emphasise a socialistic pattern of society which can be achieved only by a peaceful and immediate implementation of agrarian. What is agrarian reform? According to me, it is a step to fix the maximum holding of individuals, to take away the surplus from the capitalists which will benefit the downtrodden and in particular, the Harijans, who form the backbone of the agriculture population, and are the actual tillers of the land.

I said in my last speech that the Harijans were the real land-owners of this country. The Britishers committed the fault of selling the land to the caste Hindus some hundreds of years back. It was on account of my people staying at a very respectable distance from the caste Hindus. When the Britishers went there for the sake of collecting revenue, they surveyed the land and asked the caste Hindus, who were in front of them, and sold the lands to them. Thereby, the whole land had been assigned and made over to the caste Hindus. As a result, we had been ousted and thrown away as landless people.

As envisaged by Mahatma Gandhi, agrarian reform alone will give birth to a new order of things for a social and economic reform resulting in an agrarian revolution. The time which is allotted to me is very short. I would like to conclude very early. In conclusion, I request the Government to issue orders that no Harijan, who is in possession of the land for the last five years, cultivating the land, should be evicted, and the land should be immediately assigned to him. During the British regime, when I was a member of the Legislative Council of Madras, when Dr. Subbarayan was the Chief Minister the depressed classes represented to the Government that all the waste land which is available with the Government should be immediately assigned to the depressed classes. Then the Government made a survey of all the waste land and, to some extent, cultivable lands also. This was notified in the Gazette; it was given due publicity among Harijans. A copy was sent to every village officer to be fixed in every village office, and thereby every depressed classes man was able to get his quota or piece of land. In

[Dr. Gangadhara Siva]

the present benign Government, it is the duty of the Ministers to go a step forward—more than what the Britisher had done— by allotting lands liberally to my community.

In conclusion, Government must immediately start special co-operative societies and patronise the Harijans, particularly agricultural labourers. On no condition should a Harijan be harassed by the landlords for his individual liabilities. The co-operative societies must be instructed to advance loans bearing no interest for the first year as is being done in the Industrial Finance Corporation.

Instead of repeating the slogan 'land to the tiller', I may be permitted to say that land to the starving tiller alone can bring about a revolutionary change in the present social order. What is the use of saying 'tiller' who earns money, a lot of money? Whearas what can the starving tiller get? Nothing.

Another request that I make is that a special branch must be instituted for supply of agricultural implements, bullocks etc., by the special co-operative societies for Harijans. In every rural unit, there must be a Harijans Committee formulated to give constructive and comprehensive suggestions for operating the abovementioned schemes.

Sir....

Mr. Deputy-Speaker. The hon Member 'concluded' twice.

Dr. Gangadhara Siva: Government should give their own lands to Harijans on long leases and on easy terms. Banjar lands should be allowed to Harijans and landless tenants, if the owners fail to cultivate them under the Utilisation of Land Act. The existing disparity between big and small, high and low, rich and poor would vanish only by this social revolution.

If Government are not prepared to bring out these salient proposals into operation, we will be only aggravating the land problem now facing us like an eagle's eye.

Mr. Deputy-Speaker: Pandit Thakur Das Bhargava. There are a number of other hon. Members also who want to speak.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं आप का बहुत मशकूर हूं कि आप ने मुझे इस मसले पर बोलने का मौका दिया ।

Shri Kanavade Patil: Kindly call a Member from the Bombay side.

Mr. Deputy-Speaker: Has nobody from Bombay been called?

Shri Kanavade Patil: Only Shri G. H. Deshpande.

Shri Velayudhan: Nobody from Travancore-Cochin has been called.

Shri Boovaraghasamy (Perambalur): I have moved an amendment, No. 18. I may be called.

Shri Kasliwal (Kotah-Jhalawar): I also want five minutes.

Shri Kanavade Patil: I shall only put my points; I will not go exhaustively into them.

Mr. Deputy-Speaker: Let the hon. Member conclude.

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं सब से पहले इस बहस में जनाब की तवज्जह इस अम्र की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब एग्रीकल्चर की बहस हो तो मेरे ख्याल में इन्सानों को छोड़ कर सब से अव्वल जो जिक्र होना चाहिये वह मवेशियों का होना चाहिये । डा० पंजाब राव देशमुख साहब ने मुझे एंटीसिपेट कर के चन्द बातें हाउस के सामने फरमाईं । मैं इस के लिये उन का बड़ा मशकूर हूं क्योंकि इस से लोगों की

किसी कदर तसल्ली हुई होगी कि गवर्नमेंट इस तरफ से बिल्कुल गाफिल नहीं है । लेकिन मैं अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं कि अभी करीब महीना डेढ़ महीना हुआ, जिस दिन सेठ गोविंद दास जी का बिल पेश था, उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इरशाद फरमाया था जिस की तरफ मैं खास तौर से हाउस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं । उन्होंने फरमाया था कि जिस देश में बैलों की शक्ति पहले के मुकाबले में कम हो जाती है उस में अनाज के उत्पादन में लोगों को बहुत तकलीफ हो सकती है । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं, और मैं ने इस से पेश्तर भी यह अर्ज़ किया था, कि मेरे इलाके में बल्कि मैं तो समझता हूं कि सारे देश में गायों की पहले के मुकाबले में दूध देने की शक्ति कम हो गई है । बैलों का यह हाल है कि जो बैल पहले ३० या ३५ मन की गाड़ी को ले जाते थे वे अब उतना बोझ नहीं ढो सकते और न उतनी गहरी जुताई ही कर सकते हैं । इसी तरह से जब प्रोटेक्टिव फूड का जिक्र आता है तो कौन ऐसा शख्स है जो इस बात की ताईद नहीं करेगा कि गायों की दूध देने की शक्ति कम हो गई है । यह बात गवर्नमेंट की एक नहीं, कई रिपोर्टों में बतलाई गई है । मेरे पास वक्त नहीं है नहीं तो मैं उन रिपोर्टों को पढ़ कर सुनाता । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट भी यह मंजूर करती है कि गायों की दूध देने की शक्ति कम हो गई है । गायें अब उतने बच्चे नहीं देतीं जितने कि पहले दिया करती थीं । उतने अर्से तक दूध नहीं देतीं जितने अर्से तक पहले देती थीं । इस का यह मतलब है कि हमारे पशुओं का बराबर डिटेरिओरेशन हो रहा है ।

मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां मैं और दिशाओं में उन्नति देखता हूं, अनाज की समस्या हमारे मंत्री महोदय ने हल कर दी और जहां और बहुत सी बातें उन्हों ने कीं, और जिन को देख कर तसल्ली होती है, वहां मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि इन पिछले आठ वर्षों में जैसा मैं ने पेश्तर भी अर्ज़ किया था जानवरों की तरफ़ गवर्नमेंट की तवज्जह नहीं गई है और इस बारे में गवर्नमेंट की तरफ़ से क्रिमिनल नेगलेक्ट बर्ता गया है । गवर्नमेंट ने ३ करोड़ रुपया गौ सदनों के वास्ते दिये जिस में से केवल ३ लाख रुपया खर्च किया गया और गवर्नमेंट ने खुद फ़ाइव ईयर प्लान की रिपोर्ट में इस बात को लिखा है कि हम इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं कर सके हैं और मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हालांकि हाउस ने उन को हुक्म दिया कि वे कुछ इस बारे में करें, अभी तक कुछ नहीं हो पाया और मुझे सुनना बाक़ी है कि हमारे मिनिस्टर महोदय ने हाउस के इस डाइरेक्टिव के बारे में क्या किया है ? मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस की तरफ़ काफ़ी तवज्जह होनी चाहिये ।

हम यहां पर लैंडलेस लेबरर्स की बात सुनते हैं और और भी बातें सुनते हैं और उन के नुमायन्दे यहां पर मौजूद हैं लेकिन कैटिल का कोई नुमायन्दा यहां पर नहीं है ......

एक माननीय सदस्य : आप तो हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कोई मुजायक़ा नहीं अगर आप मुझे कैटिल समझें, मैं तो म्यूट आदमी हूं, लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ यह कहना पड़ता है कि कैटिल्स की तरफ़ सरकार की तवज्जह नहीं है और मैं चाहूंगा कि इस अहम मसले की तरफ़ सरकार ध्यान दे । आप ने कैटिल स्लाटर को बन्द करने के लिये अभी तक क्या क़दम उठाये हैं ? कैसट्रेशन ठीक है और खास हालतों में किया जाना चाहिये और मैं उस से इन्कार नहीं करता ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मैं आप से पूछना चाहता हूं कि गोसदनों को ठीक करने के वास्ते गवर्नमेंट ने आज तक क्या किया है ? हम इस के लिये रोज़ाना आप की बनाई हुई गो संवर्धन कौंसिल में झगड़ते हैं कि गवर्नमेंट गोसदनों में सुधार लाने के लिये जरूरी क़दम उठाये, लेकिन अफ़सोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने इस बारे में अभी तक कोई क़दम नहीं उठाया ।

जब कभी मैं स्वर्गीय श्री रफ़ी अहमद क़िदवई का नाम सुनता हूं तो मुझे एक इंसपिरेशन सा मिलता है और दिल में एक खुशी का अहसास होता है और सारा देश उन का शुक्रगुज़ार है जो उन्होंने ने देश के खुराक के मसले का कामयाबी के साथ हल किया और देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया । अब उन की जगह पर श्री ए० पी० जैन रौनक़ अफ़रोज़ हैं और इस नाते आप पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उन्हों ने जो श्री रफ़ी अहमद की इनहैरिटेंस पाई है उस को जस्टि-फ़ाई करें । मरहूम क़िदवई साहब ने फ़रमाया था कि हर एक जानवर की देखभाल करना इस देश की गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है और गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि उन का पालन पोषण करे और आज तो इस की और भी ज़रूरत है कि कैटिल प्रीज़रवेशन हो क्योंकि जब तक बैलों ी काफ़ी तादाद नहीं होगी तब तक ग़ैर मुमकिन है कि आप खेती बाड़ी का काम कर सकें और देश में खेती की उन्नति कर सकें और ठीक तौर पर खेती कर सकें । असल बात यह है कि इस देश में खेती की पैदावार पूरे तौर पर आप बढ़ा नहीं सके हैं, थोड़ी बहुत ज़रूर बढ़ाई गई है लेकिन वह काफ़ी नहीं है । मैं डा० देशमुख साहब का बड़ा मशकूर हूं जिन्होंने अपनी स्पीच के दौरान फ़रमाया कि हमारी फ़र्टिलिटी बढ़ गई है । मैं उन से अदब से पूछना चाहता हूं कि किन किन चीजों में आप की फ़र्टिलिटी बढ़ गई है ? यह ठीक बात है कि जब तक फ़र्टि-लिटी नहीं बढ़ती तब तक हमारी प्राब्लम सौल्व नहीं हो पायेगी । राइस कल्टीवेशन में जो बढ़होत्री हुई है मैं उस के लिये आप को धन्यवाद देता हूं इसी तरह शुगरकेन कल्टी-वेशन में भी जो तरक्क़ी हुई है वह भी क़ाबिले तारीफ़ है और मैं उस के लिये आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं । तो हमारी ज़रूरत अपने देश में फ़र्टिलिटी को बढ़ाने की है । दूसरे मुल्क जहां पर कि हमारे से ज्यादा फ़ेवरेबुल कंडिशन्स नहीं हैं वहां पर हमारे देश के मुकाबले कई गुना अधिक पैदावार होती है और हमें वहां के खेती के तरीक़ों का अध्ययन करना चाहिये कि किस तरह वहां पर ज़मीन से इतनी पैदावार करते हैं और हमें ऐसे तरीक़े अपनाने होंगे जिस से हम अपने देश में अधिक पैदावार कर सकें । हमें अपने लैंड का प्राब्लम सौल्व करनी होगी ।

गांवों के अन्दर जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, टेनेंट्स हैं या आप के ओनर कल्टीवेटर्स हैं, मैं उन के बारे में एक एक लफ्ज़ अर्ज़ करना चाहता हूं । लैंडलेस लेबरर्स की प्राब्लम आप के सामने जिस तरह से मौजूद है, वह ज़मीन के देने से हरगिज़ हल नहीं हो सकेगी । आप सारी ज़मीन को काबिले काश्त बना ली-जिये और उसको सब लोगों में बांट दीजिये । इस सीलिंग से आप की एकोनामिक होल्डिंग भी पूरी नहीं हो सकेगी, आप पहले अपनी एकोनामिक होल्डिंग्स को पूरा कीजिये, इफ़ यू रिऐली मीन बिज़नेस । इस सवाल पर आप को और प्लानिंग कमिशन को सोच विचार करना है और साथ ही आप को यह भी देखना है कि हमारे जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उन की एकोनामिक कंडिशन दुरुस्त

और ऐसा होना चाहिये कि एक मामूली काश्तकार की आमदनी और जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लेबरर्स हैं, उन की दोनों की आमदनी यकसां हो और इंटरचेंजेबुल हों और जब तक यह नहीं होगा तब तक आप की प्राब्लम सौल्व नहीं होगी ।

जहां तक उन को लोन देने की बात है गवर्नमेंट २२५ करोड़ रुपया हर साल बतौर क्रेडिट के देना चाहती है। और यह क्रेडिट ऐसे क्लास के लोगों को वह देना चाहती है जिन की कि आमदनी आप की रिपोर्ट में पांच आने या दस आने रोज़की लिखी हुई है, उन को आप क्रेडिट पर रुपया दे कर सवा छै परसेंट सूद वसूल करना चाहते हैं जोकि वसूल करना मैं समझता हूं नामुमकिन है । अ   आप के पास कारूं का खज़ाना भी हो   ो भी वह आप को सवा छै परसेंट सूद नहीं दे सकते । आप तो जो उन को रुपया दें वह यह सोच कर दें कि अगर मूल रक़म ही वसूल हो जाय तो बहुत है, आप किसी ब्याज की उन से उम्मीद मत रखिये आप को यह नहीं भूलना चाहिये कि जो सदियों से दयनीय स्थिति में रह रहे हैं और दो हज़ार वर्ष की गुलामी में रह चुके हैं, वे पांच, छै वर्ष में इस लायक़ नहीं हो गय हैं कि आप को सूद दे सकें । आज भी उन की आर्थिक अवस्था बहुत खराब है । उद ी हालत सुधारने के लिये आप ने जो क़दम उठाया ा है वह सही क़दम है और ठीक रास्ते पर आप चले हैं लेकिन अभी बहुत काम किया जाना बाक़ी है , उन की जो रोज़ाना की दिक्कतें और शिकायतें हैं उन को आप को सुनना है और रफ़ा करना है और जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक यह मामला हल होने वाला नहीं है । यह बड़ी मुसीबत का मामला है और इतना बड़ा सवाल है कि मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट चली तो ठीक रास्ते पर है पर यह इतना मुश्किल काम है कि इस का हल होना मुश्किल है ।

यह आप ने बहुत अच्छा किया कि जो टेनेंट्स को फ़िक्सिटी आफ़ टेन्योर आप देना चाहते हैं और जिस से कि उन का इजेक्टमेंट न हो सके । पंजाब में भी इस तरह का क़ानून पास हो चुका है कि ऐसे टेनेंट्स बेदखल नहीं हो सकते जोकि चार वर्ष के मज़ारे हों ।

जहां तक यह सीलिंग का मामला है उस के बारे में मेरा कहना यह है कि पंजाब में तीस स्टैन्डर्ड एकड़ की सीलिंग रखने में मतलब यह होगा कि एक आदमी की सिर्फ़ १०० या ज्यादा से ज्यादा १५० रुपये माहवार आमदनी होगी जोकि मेरी राय में काफ़ी नहीं होगी। पंजाब में तीस एकड़ की सीलिंग फ़िक्स कर के पंजाब की सारी टेनेंटरी को रूरल पापुलेशन की आमदनी १०० रुपये से ज्यादा अगर हम नहीं होने देना चाहते तो क्या आप यह चाहते हैं कि आप के शहर हमारे सारे गांवों पर रूल करें और सारे आपके एलेक्टेड मम्बर्स जो आयें वह सारे के सारे अरबन एरियाज़ से आयें ? और इस का नतीजा यह होगा कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जायगी कि जिस में कोई भी गांव का रहने वाला आदमी फ़ाइनेंनशिएली इंडिपेंडेंट नहीं रह पायेगा । आप बेचारे गांव वालों की आमदनी की तो सीलिंग फ़िक्स कर देते हैं कि इस से ज्यादा उन की आमदनी न हो सके लेकिन यह जो ऊंची ऊंची तनख्वाहें अफ़सरान पा रहे हैं उन की तनख्वाहों में कमी करने और उन की आमदनी पर सीलिंग फ़िक्स करने की ओर आप का ध्यान नहीं जाता । मैं ने स्टेट बैंक के जो सब से बड़े अफ़सर हैं उन की तनख्वाह के बारे में मैं ने मुनासिब मौके पर एक अमेंडमेंट पेश किया था कि उन को तनख्वाह फ़ाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा नहीं होनी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

चाहिये लेकिन मेरा अमेंडमेंट रिजैक्ट हो गया। मैं तो यह सजैस्ट करूंगा कि ऐसे बड़े आदमी जिन के पास काफ़ी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं उन से ले कर आप नानए कोनामिक होल्डिंग वालों को जमीन दीजिये और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप की लैंड को प्राब्लम सौल्व नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिन की कि एकोनामिक होल्डिंग्स नहीं हैं ।

[SHRI BARMAN *in the Chair*]

आप सीलिंग आमदनी को रखिये लेकिन इतनी रखिये कि वे अपने परिवार को भली प्रकार खिला पिला सकें और एकोनामिकली इंडिपेंडेंट हों। अब मैं आप से अर्ज़ करूंगा कि इस को सोच विचार कर आप उस को फ़िक्सिटी आफ़ टेन्योर दें, आप सब कुछ करें। जितना रुपया आप के पास है आप सब शहरों के लोगों के आराम पर न लगायें जिन को पहले ही अमेनिटीज़ हासिल हैं। उन के मुकाबले अशऱ अशीर भी उन लोगों को हासिल नहीं हैं जो गांवों में रहते हैं। उन के साथ गवर्नमेंट ने इन्साफ नहीं किया हमें उम्मीद थी कि गवर्नमेंट जरूर उन लोगों के साथ इन्साफ करेगी और मैं देखता हूं कि कर भी रही है, उन का रुझान है, लेकिन वह रुझान तेजी से हो, तरक्की से हो ताकि लोग यह महसूस कर सकें कि हमारी वेलफ़ेअर स्टेट अमीर आदमियों की नहीं है, गरीब आदमियों की वेलफ़ेअर स्टेट है। कोई आदमी हिन्दुस्तान में ऐसा न रहे जिस के पास अपना साफ सुथरा मकान न हो और थोड़ी बहुत जमीन न हो । आज हम देश में शिकायतें सुनते हैं कि गवर्नमेंट की जमीनों से बेदखली होती है। अगर यह दुरुस्त है कि गवर्नमेंट अपने टेनेंट्स के लिये कुछ नहीं करती जैसा श्री गोपालन ने कहा अगर गवर्नमेंट का, रवैया वही है कि गवर्नमेंट लोगों को जमीन नहीं देती, या उन को फिक्सिटी आफ टेन्योर नहीं देती तो मैं उम्मीद करूंगा कि आगे ऐसा नहीं करेंगे और एक मिसाल कायम करेंगे जिस के ऊपर हम चलेंगे।

मैं ने शायद जरूरत से ज्यादा वक्त ले लिया। मैं नहीं चाहता कि कोई मेम्बर साहब बोलने से महरूम रहें, इसलिये मैं खत्म करता हूं ।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद—पश्चिम) : जो बातें अपने भाषण में मंत्री जी ने बताईं उन का मैं बहुत स्वागत करता हूं। उन्हों ने हमें संख्याओं द्वारा यह बताया कि हमारे देश में अन्न पहले से बहुत अधिक हो रहा है और अन्न की समस्या जो पहले हमें डराती थी वह अब लगभग नहीं है तथा इस वर्ष बहुत ही थोड़ा सा अन्न बाहर से मंगाना है। साथ ही यह कि हमारे पास इतना भी अन्न होता है कि हम उस में से एक हिस्सा बाहर भी भेज सकते हैं। यह एक अच्छी तथा गुलाबी तस्वीर है, देखने में सुहावनी मालम होती है । इसी प्रकार, चीनी की पैदावार, उन्हों ने कहा, इस वर्ष १९५४-५५ में १६ लाख टन हुई है। इस से पहले कभी इतनी पैदावार नहीं हुई । चार पांच वर्ष पहले, ८ लाख टन, ९ लाख टन या १० लाख टन होती थी । एक साल १२ लाख टन हुई, तो बधाई दी गई थी । अब १६ लाख टन होती है। चीनी की पैदावार बहुत बढ़ी। अन्न भी बढ़ा और चीनी भी बढ़ी। गवर्नमेंट ने यह भी प्रबन्ध किया, जिस की मंत्री जी ने बहुत ब्योरे के साथ चर्चा की कि किसानों को उधार देने की सुविधा का बहुत सुन्दर प्रबन्ध हो रहा है। यह सब अच्छी बातें हैं। परन्तु, मेरे हृदय में एक कसक और एक पुकार उठती है । जब यह हो रहा तो उस का प्रतिबिम्ब, उस का अक्स

देहात के जीवन पर क्या पड़ा है ? जब हम देहातों में जाते हैं, ग्रामों को देखते हैं तो वहां हमें ग्रांख से यह नहीं दिखाई पड़ता कि वहां के लोगों की दरिद्रता में कुछ बहुत ग्रन्तर हुग्रा हो । वह वैसे ही दरिद्र बने हुए हैं, कपड़े-लत्ते नहीं, खाने के विषय में बुरी दशा, किसी भी बात में तो परिवर्तन नहीं हुग्रा है । हमारे प्रदेश में, चीनी बनाने का सब से बड़ा सामान गोरखपुर ग्रौर देवरिया में है हमारे देश के यह दो जिले चीनी बनाने के लिये प्रसिद्ध हैं । जब चीनी की पैदावार बढ़ी तो स्वभावतः हम यह समझते कि वहां के चीनी के कारखानों में वृद्धि हुई । परन्तु, वहां की जनता की क्या दशा है ? हमारे राज्य भर में, उत्तर प्रदेश भर में, सब से दरिद्र यही दो ज़िले हैं, गोरख-पुर ग्रौर देवरिया, जहां पर सब से ग्रधिक चीनी बनती है । हमारे राज्य में, यह दो जिले सब से ग्रधिक चीनी बनाने वाले हैं, तो ग्रनुमान किया जा सकता है कि इन दोनों जिलों की हालत कुछ ग्रच्छी होगी, लेकिन बात उल्टी है । जहां सब से ग्रधिक चीनी बन रही है, वही जिले सब से ग्रधिक दरिद्र हैं । हम को याद है कि गोरखपुर ग्रौर देवरिया के मान्य नेता बाबा राघव दास जी, जिन को हमारे मंत्री जी भी बहुत ग्रच्छी तरह जानते हैं, कई बार मेरे सामने कथा कही है ; ग्रपने भाषणों में उन्हों ने बताया है कि वहां की दरिद्रता का क्या हाल है । मैं ने इतनी दरिद्रता का ग्रनुमान भी नहीं किया था । वहां के देहात के हरिजन कई महीने तक वहां के गाय-बैलों की जो गोबरी होती है उस में से ग्रनाज निकालते हैं ग्रौर धो धो कर उस से ग्रपना गुजारा करते हैं । उन को लगभग दो ढाई महीने तक ऐसा करना पड़ता है । बहुत से गांवों का यह हाल है । इस खाने को गोबरी ही कहते हैं कितनी दर्दनाक ग्रौर बुरी दशा उन देहातों की है ! ऐसी दशा में यह सन्देह होता है कि जो संख्यायें हमें बताई गई हैं क्या वह सब सही हैं ? मेरे लिये कहना कठिन है । हमारे मंत्री जी तो जानते होंगे, हमारे पुराने दोस्त श्री रफी ग्रहमद किदवई इन संख्याग्रों की क्या इज्ज़त करते थे । कई बार उन्हों ने कहा था, शायद यहां भी कहा था, कि इन सरकारी संख्याग्रों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता । विशेष कर उन्हों ने उस समय यह कहा था जब राशन लगा हुग्रा था ग्रौर बराबर यह बात सामने ग्राती थी कि यहां कितना ग्रनाज हो रहा है । वह राशन के विरुद्ध थे । वह कहते थे कि यह संख्यायें गलत हैं ।

सवाल उठता है कि यह संख्यायें सही हैं या गलत । जिस तरह की भी हों, मैं नहीं कह सकता । लेकिन, इतना मैं जानता हूं कि जो गांवों की हालत है वह मुझे कहीं पर भी सुधरती हुई नहीं दिखाई देती । जहां भी मैं गांवों में जाता हूं, दरिद्रता छाई हुई दिखाई देती है । ग्रभी बाढ़ ग्राई । उस बाढ़ ने तो ग्रौर मुसीबत कर दी, लेकिन बाढ़ के पहले भी इतनी बुरी हालत थी कि थोड़ी सी बाढ़ ग्राई ग्रौर उस बाढ़ के ग्राते ही किसी के पास कोई सरो-सामान नहीं रहा कि उस में थोड़ा बहुत भी ठहर सके । सभी कुछ बहता चला जाता है ।

सभापति महोदय : ग्राप का समय समाप्त हो गया ।

श्री टंडन : मैं ने समझा था कि ग्राप मुझे १५ मिनट देंगे । मेरा ऐसा ग्रनुमान था ।

मेरा कहना है कि इस में कहीं न कहीं कोई गहरा ग्रन्तर है, भीतर से यह स्थिति है, बुरी हालत है ग्रौर बाहर पैदावार की बढ़ी हुई संख्यायें हैं ।

[श्री टंडन]

मैं अनुमान करता हूं कि आप ने इन बातों की ओर ध्यान दिया होगा ।

मुझे लगता है कि दो एक प्रश्न बहुत बड़े हैं जिन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं उन को मौलिक प्रश्न मानता हूं । एक तो यह है कि देहातों में जो लोग रहते हैं वे कैसे रहते हैं, उन का रहन-सहन क्या है और कैसे हम उन के रहन-सहन को सुधार सकते हैं । आप अरबों रुपया बड़ी बड़ी योजनाओं में खर्च करते हैं । मैं निवेदन करता हूं कि इन योजनाओं को चाहे हम उस हद तक, जिस हद तक हम चाहते हैं, पूरा करें या न करें, परन्तु हमारा रुपया मुख्य कर के आज इस में लगना चाहिये कि हम देहातों की सूरत बनावें । आप पांच-दस देहातों को तो बना कर दिखावें । आज तक मेरी यह शिकायत रही है लेकिन इसे दूर नहीं किया गया है । आप ने बहुत सी कम्युनिटी प्रोजैक्टस चला रखी हैं लेकिन जब मैं ने इन को देखा तो इन का मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा । मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि इन का देहाती जनता पर कोई मौलिक तौर पर बहुत अच्छा असर पड़ा होगा । आप बहुत ऊपरी चीजें बना रहे हैं । आप उन केरहन सहन की तरफ देखें, उन के घरों को तरफ देखें, उन की दरिद्रता की तरफ देखें । मैं ने कई बार निवेदन किया है कि नये ढ़ंग से आप ग्राम बसावें लेकिन अभी तक आप ने कुछ भी तो नहीं किया है । मुझे मालूम है कि हमारे भाई मोहनलाल सक्सेना जो ने भी यह बात सामने रखी थी, एक निर्माण पत्र भी उन्होंने निकाला है, उस में भी चर्चा आई । लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया । मेरा सुझाव है कि दो चार गांव हर जिले में आप नमूने क तौर पर बना कर सामने लावें, जिस में हर घर दूसरे घर से अलग हो, हर घर के साथ कुछ भूमि अलग हो जिस में बाटिका बन सके ताकि रहने का कुछ सुन्दर ढ़ंग हो । आज गंदगी से भरे हुए गांव हैं, और यही हालत घरों की भी है । मैं ने आध आध एकड़ जमीन की बात की थी, लेकिन अगर आप आध एकड़ भूमि एक घर के साथ अलग नहीं रख सकते तो, चौथाई एकड़ ही रखें । मैं जानता हूं कि यह एक दिन की बात नहीं है , लेकिन कुछ नमूने तो आप बना ही सकते हैं, यह बात तो आप के लिये मुश्किल नहीं है । ग्रामोद्योगों के लिये आप ने एक बोर्ड बनाया, मैं गवर्नमेंट को उस के लिये बधाई देता हूं । मैं यह मानता हूं कि गवर्नमेंट ने आज तक जितने अच्छे काम किये हैं उन में लगभग सब से अच्छा काम यह है कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड बनाया है । इस को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और देना भी चाहिये था । मैं मंत्री महोदय को सुझाव देता हूं कि जिस तरह से आप ने यह बोर्ड बनाया है उसी तरह से आप एक और बोड बनाव, जिस को आप कुछ रुपया दें, जिस को आप अधिकार दें कि वह नये ढ़ंग के गांव आप को बनवा कर दे, हर जगह नमूने बनवा कर दें । आप इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, तो क्या आप दो चार गांव भी बनवा कर नहीं दिखा सकते । चाहे आप छोटा सा कच्चा घर ही बनवा दें, लेकिन उस घर के साथ थोड़ी सी जमीन आध एकड़ या चौथाई एकड़ होनी चाहिये जिस में बाटिका हो । इस तरह जो यह जमीन हर मकान के साथ रखेंगे, उस में वह लोग खती कर सकेंगे और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकेंगे । साथ ही साथ मुल्क की पैदावार भी बढ़ेगी और पैदावार बढ़ाने का यह कितना सुन्दर रास्ता है । अगर आप इस तरह घर बनावेंगे तो मेरा निवेदन है जो आप का रुपया खर्च होगा वह एक उपयोगी चोज पर खर्च होगा । वह व्यर्थ नहीं जायगा । इसके लिये यह आव-

श्यक है कि ग्राप एक बोर्ड बनावें जो यह सब काम करे ।

चूंकि समय बहुत कम है, संक्षेप में मेरी प्रार्थना यही है कि इस तरह से ग्राप गांवों की जनता को उठाने की बात सोचें । इस प्रकार से पशु धन की भी, जिस की चर्चा भार्गव जी ने की, उन्नति होगी । ग्राज गांवों में जो लोग रहते हैं उन के पास जगह नहीं होती है, पशुग्रों को रखने की । ग्रगर ग्राप ग्राध एकड़ भूमि दगे तो उस म से ग्रामवासी कुछ तो वाटिका के लिये रख लेंगे, ग्रौर थोड़ी सी पशुग्रों के लिये रख लगे । तब उन को एक उत्तेजना होगी, एक सहारा होगा, ग्रौर वह गाय को पाल सकेंगे । हम गौरक्षा की बात करते हैं, लेकिन, गौ रखने के स्थान की एक कठिन समस्या है । इस तरह से ग्रगर ग्राप मकान बनावें तो पंशुधन की भी उन्नति हो सकती है ग्रौर हमारा ग्रामीण जीवन भी ऊंचा उठ सकता है । इस से गांवों में सफाई ग्रच्छी होगी, स्वास्थ्य ग्रच्छा होगा ग्रौर हर तरह से उस मकान में रहने वाले को सुविधायें होंगी । उन को ग्रपने जोवन में ग्रधिक सुन्दरता दिखाई पड़ेगी ।

Mr. Chairman: I should say in the beginning that hon. Members who will finish within five minutes will be allowed to speak. I shall call hon. Members who will not take more than that. How much time will the hon. Minister require?

Shri A. P. Jain: I will need 45 minutes to reply.

Mr. Chairman: Upto 6-15 I will call.

श्री बी० डी० शास्त्री (शाहडोल-सीधी) : मैं चाहता हूं कि टाइम बढ़ा दिया जाये, ताकि जो लोग ग्रभी तक बोल नहीं पाये हैं वह भी बोल सकें ।

Mr. Chairman: If the House wants to sit longer I have no objection.

Several hon Members: No.

Shri Bogawat (Ahmednagar South): Everybody will be able to speak if we sit till half past seven.

श्री बी० डी० शास्त्री : ८ बजे तक बैठा जाये ।

Mr. Chairman: Are hon. Members willing to sit upto 7-30?

Shri Jangde -(Bilaspur-Reserved-Sch. Castes): We shall sit upto 8 o'clock.

Shri Raghavachari (Penukonda): May I submit one thing? The Business Advisory Committee gave 10 hours. (*Interruptions*).

Mr. Chairman: Let there be one voice at a time. There are other Members who say that they will sit upto 7 P.M. only.

Shri A. P. Jain: We may sit till 7-30.

Shri S. L. Saksena (Gorakhpur Distt.-North): The hon. Minister will take half an hour.

Mr. Chairman: Shri Vidyalankar will finish within five minutes.

श्री बी० डी० शास्त्री : कम से कम ग्राठ बजे तक वक्त बढ़ा दिया जाय ताकि सब को पांच पांच मिनट बोलने के लिये मिल सकें । इस से मिनिस्टर साहब को भी बोलने का वक्त मिल जायेगा । चूंकि यह बहुत ही महत्व-पूर्ण प्रश्न है ग्रौर जो सब बोलना चाहते हैं, यह उचित ही होगा ग्रगर समय ग्राठ बजे तक बढ़ाया जायेगा ।

Mr. Chairman: We will sit upto 7-30.

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालन्धर) : सभापति जी, कहने के लिये तो बहुत बातें थीं लेकिन समय ग्राप ने बहुत कम दिया है, इसलिये बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं थोड़ी सी ही बातें कहूंगा ।

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

जो बहस इस सभा में हो रही है इस का मतलब यह है कि हम एक ओवर-आल पिक्चर लें और यह देखें कि हमारी जो नीति इस समय चल रही है वह ठीक तरीके से चल रही है या नहीं। मैं समझता हूं अगर हम बुनियादी तौर पर देखें और तफसील के अन्दर न जायें, तो हमें इस बात का संतोष होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने काफी तरक्की की है। जहां तक लैंड रिफार्म्ज का ताल्लुक है, जो आंकड़े हमें दिये गये हैं उन से मालूम होता है कि ५३ लाख में से २२ लाख इंटर मिडियेरी या जो बीच के लोग होते हैं, उन को हम ने खत्म कर दिया है। २६ करोड़ एकड़ कल्टिवेटिड एरिया में से १६ करोड़ एकड़ आज ऐसी जमीन है जो खेती करने वाले किसानों के अपने हाथ में आ चुकी है। इसी तरह से जो कुछ कर्जे के सम्बन्ध में करीब साढ़े सात सौ करोड़ रुपये की देहात वालों को कर्जे की आवश्यकता होती है मन्त्री महोदय ने बताया कि उस में से २२५ करोड़ रुपया कर्जा देने की व्यवस्था हो जायेगी, जो सरकार प्रबन्ध करना चाहती है। आज तक जितने कर्जे की देहात वालों को जरूरत होती थी, उस में से केवल ६ या ७ फीसदी ही सरकार तथा कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से या किसी और सरकारी जरिये से लोगों को मिल पाता था। लेकिन अब जितने कर्जे की देहात वालों को आवश्यकता होगी उस का ३० फीसदी सरकार देगी, औरमैं मझता हूं कि यह एक बहुत अच्छी चीज है और एक बहुत बड़ी जम्प है।

मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की जो नीति है उस में तेजी आये। यह जो यहां पर नुक्ताचीनी की जाती है, उस का मतलब यह नहीं कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि गवर्नमेंट की नीति के अन्दर काफी तेजी आनी चाहिये।

प्रान्तों में जो भूमि सुधार हुए हैं और जो टिनैन्सी लैजिस्लेशन बने हैं उन में यूनिफार्मिटी नहीं है। चूंकि केन्द्र की तरफ से जोर दिया गया था, इसलिये कुछ प्रान्तों ने ये कानून बना लिये हैं, लेकिन उन्हों ने कुछ रिजर्वेशन से काम लिया है और इतनी तेजी से कदम नहीं उठाया जितनी तेजी से उठाना चाहिये था। मिसाल के तौर पर जैसे अभी पंडित ठाकुर दास जी ने पंजाब का जिक्र किया। पंजाब के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर सरकार ने ३० एकड़ की मियाद मुकर्रर की। वह मामूली ३० एकड़ नहीं है। बल्के स्टैण्डर्ड एकड़ हैं, जिस के मानी हुए कि उन्हों ने ६० एकड़ की मियाद मुकर्रर की है। मैं समझता हूं कि यह सीलिंग बहुत ज्यादा है। इसी तरह से और प्रान्तों में भी हुआ है। रेंट को कम करने का भी सवाल था। प्लानिंग कमीशन ने यह रिकमेंडेशन की थी कि पैदावार का चौथाई या पांचवां हिस्सा रेंट के तौर पर लिया जाय, लेकिन कई प्रान्तों ने उस पर अमल ही नहीं किया, और कुछ प्रान्तों ने मिकदार ज्यादा रखी है। मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ किया जाय कि इस में यूनिफार्मिटी आ जाय और जो चीज हम करना चाहते हैं उस को जोर के साथ कर सकें। यह नहीं कि हम उस में रिजर्वेशन से काम लें।

पशुओं के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है मैं उस का समर्थन करता हूं। हमारे यहां ट्रैक्टर नहीं चल सकेंगे। क्योंकि हमारे यहां तेल की कमी है। ऐसी हालत में, अगर हम ट्रैक्टरों को बढ़ावें और पशुओं की उन्नति न करें तो इस से हमारी इकानामी कमजोर हो जायेगी। मैं समझता हूं कि इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि पशुओं के,

साथ दूध और घी का सवाल भी जुड़ा हुआ है। ठाकुर दास जी ने यह ठीक ही कहा है कि पशुओं की शक्ति में कमी हो रही है, लेकिन इस कें साथ साथ उन्होंनें यह बात छोड़ दी कि पशुओं के साथ साथ मनुष्यों की शक्ति में भी कमो हो रही है। इस का कारण यह है कि अब पशुओं से दूध घी कम मिलता है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिये और पशुओं की उन्नति के लिये विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिये।

यहां पर कहा गया है कि हम ने सरप्लस गल्ला बाहर भी भेजा है। लेकिन, मुझे यह सुन कर खुशी नहीं हुई। अगर हमारे देश में गल्ले की वृद्धि हुई है, तो पहले हमारे देश के लोगों को ज्यादा गल्ला खानें के लिये मिलना चाहिये था। हम लोग इस गल्ले को इसलिये नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास क्रयशक्ति की कमी है। इसी तरह से, हमने ज्यादा चीनी पैदा की है, ज्यादा कपास पैदा किया है, उस को भी बाहर भेजना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हम बाहर अपने सामान के लिये बाजार बनावें। लेकिन, मैं चाहता हूं कि हम पहले अपनी जरूरत पूरी करने के बाद ही गल्ला बाहर भेजें। हम चाहते हैं कि पहले हमारे यहां के आदमियों का औसत कंजम्पशन बढ़े। ऐसा करने से, पहले अगर गल्ला एक्सपोर्ट किया जायगा तो उस से हम खुश नहीं हो सकते। इसलिये जब तक हमारे लोगों का कंजम्पशन नहीं बढ़ता है हम एक्सपोर्ट की कोशिश न करें यह ठीक है कि हम को अपनी पैदावार का एक्स-पोर्ट करना है, मैं एक्सपोर्ट का विरोधी नहीं। लेकिन अगर हमारी इंटरनल मार्केट कमजोर है और हम एक्सपोर्ट मार्केट की तलाश करते फिरें तो ऐसा करने से हमारो इकानामो कमजोर हो जायगी। और यह हमारा दुर्भाग्य होगा कि जब हम अपने लोगों को काफी खाना नहीं दे सकते, तो भी हम अपनी खुराक को बाहर भेजें।

मिनिमम वेजेज ऐक्ट के बारे में भी मैं सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं। यद्यपि यह कानून काफी समय से पास हो गया है, पर हमारे लैंडलेंस लेबर को अभी भी मिनिमम वेज नहीं मिल रही है। इस ऐक्ट पर अमल नहीं हो रहा है। इस के सम्बन्ध में ज्यादा प्रयत्न होना चाहिये।

Shri Raghavachari: I wish to know whether the time fixed for this discussion—10 hours—has been further extended?

Mr. Chairman: The House has decided that we will sit up to 7-30 P.M.

Shri Raghavachari: 10 hours' time has been fixed for this discussion. I want to know whether that time has been further extended?

Mr. Chairman: It does not matter. If the House agrees, it can sit for more time. The House has decided that we will sit up to 7-30 P.M.

Shri Raghavachari: The point I want to know is whether the total time allotted for this discussion has been extended.

Pandit Thakur Das Bhargava: If only we sit up to 7-30 P.M. the total time will be 10 hours.

Shri Raghavachari: I have only raised this point to find out what is the procedure that we are adopting here because the Business Advisory Committee has recommended 10 hours and if you are extending that time you must put it like that and say that the time has been extended. It is no good saying that those who want to speak for five minutes may speak. Even if one minute is given Members will get up and it will go on like that. I want to know whether the 10 hours' time has been extended to 10½ or 11 hours.

Mr. Chairman: I do not find any point. Supposing we have extended the time, what is the hon. Member's point?

Shri Raghavachari: I only want that it must be definitely told that the time allotted has been extended.

Mr. Chairman: It is a matter of calculation and I will have to consult the records here. I am told that if we sit up to 7-30 P.M. then the total time for this discussion will be 10 hours and 41 minutes.

Shri B. P. Sinha (Monghyr Sadr *cum* Jamui): I want to know whether you have got a list of Members according to which you allot 5 minutes to each Member?

Mr. Chairman: That is the Chair's look-out. Let us proceed now.

Shri Kasliwal: The time at my disposal is very short and I will make only two or three points.

Before I go on to other matters I will take up one point which relates to my State, Rajasthan. In the course of the next 10 or 15 years, in Rajasthan, by two canals—Rajasthan canal and the Bhakra Nangal canal—we are going to have a total irrigated land of 5 million acres. From the Rajasthan canal we expect that 4 million acres of new land will be irrigated and from Bhakra Nangal canal about 1 million acres. Now, you know, Sir, that so far as Rajasthan is concerned, compared to the other States, it is a very under-populated State. The total population of Rajasthan is only about 1 crore and 65 lakhs.

Shri A. M. Thomas (Ernakulam): We will give you some population.

Shri Kasliwal: I am coming; don't be eager. Rajasthan is probably bigger than Uttar Pradesh. It is almost the biggest State. For this area we need population and it is my proposal that in consultation and collaboration with the Government of Rajasthan the Central Government should formulate a proper scheme of colonisation. We know very well that there are States like my friend's State of Travancore-Cochin which are highly over-populated. I want people from Travancore-Cochin to come and stay in Rajasthan. Some Members from Bihar have been telling me about their population. I want people from Bihar to come and stay in that area...

Pandit Thakur Das Bhargava: And starve in Rajasthan.

Shri Kasliwal:... and not starve. I invite people from Bengal also. I invite people from all the highly populated areas to come and stay. I assure you that in that 5 million acres of land which will come under irrigation at least 1 million families can easily and comfortably stay. I will give you an instance of Ganganagar. It was a completely denuded area. After the coming of the canal Ganganagar has become a very fine area and today it is populated not so much by Rajasthan people but by people from the Punjab. So, also Rajasthan is a State which does not stand on such niceties as linguistic question, this and that. We are a kind of free thinking people and we want that from all these congested areas people should come and stay. I am making this suggestion to the hon. Minister and he should keep this in mind. I do not want that all the water which would come from the Rajasthan Canal and Bhakra Nangal Canal should go waste. I hope the Minister will kindly keep this in mind and make it a point to go from now in consultation with the Government of Rajasthan because the Government of Rajasthan itself cannot do anything. It is such a stupendous task and, therefore, I am quite sure that the hon. Minister will do everything possible for this colonisation scheme.

6 P.M.

I do not want to go into other points. There are only two points more to which I shall refer. The hon. Minister expressed his disappointment at the failure of agricultural co-operatives or co-operative farming. I am afraid that the Government have not moved in the proper direction so far as this matter is concerned. Before

going into the question of co-operative farming, they should have first gone into the question of organising mutual aid teams. I am quite sure that these mutual aid teams have never been organised in any State. What is the meaning of this mutual aid team? The meaning is this: all the people of one village combine together for one particular purpose; for example, they may combine together for harvesting or for tilling the soil and so on. If this particular proposition had been taken into account, the gradual development of co-operative farming would automatically come in. So, I want the hon. Minister to keep this point of view—the question of organisation of mutual aid teams.

Now that you have rung the bell, I would refer only to one more point. It is this. No hon. Member has spoken about the *Bhoodan* lands. I do not what that these *Bhoodan* lands should be given to individual farmers. *Bhoodan* lands, as far as possible, should be given only for the purpose of co-operative farming. I am told that today not only *Bhoodan* lands but *Gramdan* lands—whole villages—are being given and are going to be given to individual farmers. All these big villages, large areas of lands, should be given only for co-operative farming and not to individual farmers. That is all I have got to say.

श्री एस० एल० सक्सेना : मेरे पास समय बहुत कम है, तो भी मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री महोदय को उन के सुधार के कामों के लिये धन्यवाद दूंगा । इस अवसर पर मुझे स्वर्गीय श्री किदवई साहब की याद बरबस आ जाती है, जिन्हों ने कि इस देश की खाद्य सस्मया को सफलतापूर्वक हल किया और देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया । किदवई साहब ने फूड प्राब्लम को सौल्व कर के देश को अभय बना दिया । हमारे नये मंत्री महोदय ने भी एक बड़ी समस्या हल की, कि जब कीमतें बहुत गिर रही थीं तो उन को और ज्यादा गिरने से रोक कर एक बहुत बड़ी कलेमिटी से इस देश को बचाया, और उसके लिये मैं उन को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

साथ ही उन्हों ने जो अपनी योजना पेश की है वह भी प्रशंसनीय है और मुझे विश्वास है कि अगर उस के अनुसार कार्य किया गया तो हमारा देश काफी उन्नति कर जायेगा ।

इस मौके पर मैं बहुत संक्षेप में हमारे पड़ौसी देश चीन, जिस की कि आबादी हमारे देश से डेढ़ गुनी है उस ने अल्प काल में लैंड रिफोर्म्स कर के जो अपने देश की खेती और पैदावार की उन्नति की है, उस की ओर मैं मंत्री महोदय और सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं और मेरी राय तो यह है कि अगर हिन्दुस्तान जल्दी तरक्की करना चाहता है तो उसे चीन के भूमि सुधार तरीकों को अपने यहां शुरू करना होगा ।

आज हमें यह बात याद रखनी है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और उस के साथ चलने के लिये हमें अपनी रफ्तार काफी तेज करनी होगी ।हमारे पड़ोसी देश चीन में इन पिछले पांच वर्षों में बहुत अधिक उन्नति हुई है । आंकड़ों से हमें मालूम होता है कि इन पांच सालों में हमने अपने देश में सन १९५० में ५० लाख टन से सन् ५५ में ६५ लाख टन गल्ला पैदा किया है जब कि चीन देश में पांच सालों में ११० लाख टन गल्ला सन् ४९ में पैदा किया गया था । और सन् ५४ में यानी पांच साल बाद उसने अपने यहां १६९ लाख टन पैदा किया, जिसका मतलब यह हुआ कि पांच साल में उनका प्रोडक्शन करीब ४७ परसेंट बढ़ा जब कि हमारा केवल ३० परसेंट ही बढ़ा । वे अपने फाईव ईयर प्लान के टार्गेट के हिसाब से १९२ लाख टन गल्ला १९५७ में पैदा करेंगे, यानी अगले ३ सालों में २३ लाख टन और अधिक टार्गेट तक पहुंचने के लिये पैदा करेंगे, जब कि हम अपने यहां अगले ६ सालों में टार्गेट तक पहुंचने के लिए केवल १० लाख टन गल्ला पैदा करेंगे । हमारा टार्गेट चीन की अपेक्षा चौथाई से भी कम है और अगर हमें दुनिया में सिर उठा कर रहना है तो हमको अपनी प्रगति की रफतार को और तेज करना होगा ।

इसी तरह रूई के अन्दर सन १९४८ में हमारी पैदावार साढ़े चार लाख टन रही,

[श्री एस० एल० सकसेना]

चीनकी भी रूई की पैदावार साढ़े चार लाख टन थी, इंडिया की रूई की पैदावार अब साढ़े सात लाख टन है, जब कि चीन की सन् ५४ में रूई की पैदावार साढ़े चार लाख से बढ़ कर साढ़े तेरह लाख टन हो गई है और सन् ५७ में उन के टार्गेट के हिसाब से वह बढ़ कर साढ़े सोलह लाख टन हो जायेगी । इस में भी उन का टार्गेट हम से कहीं ज्यादा है ।

चीन ने पिछले पांच सालों में एग्रीकल्चरल लोन्स देने में ६०० करोड़ रुपया खर्च किया है, जब कि हमारे देश में उस से बहुत कम रूपया खच किया गया है, और मैं समझता हूं कि अगर हम को प्रगति की दौड़ में अन्य देशों से पिछड़ना नहीं है तो हमें इस दिशा में चीन का अनुकरण करना चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि हम ने भी अपने एग्रीकल्चरिस्ट्स में २२५ करोड़ रुपये डिस्ट्रिब्यूशन के लिये अगली पंचवर्षी योजना में प्रोवाइड किये हैं । चीन ने अपने यहां कोआपरेटिव फार्मिंग के तरीके अपना कर बहुत तेजी से तरक्की की है उन्होंने अपने यहां कोआपरेटिव मूवमेंट को बहुत फैलाया है और आप देखेंगे कि वहां पर १९ लाख १० हजार पेजेंट हाउसहोल्ड्स कोआपरेटिव्स में शामिल हो चुके हैं । गवर्नमेंट लोन्स वहां पर काफी तादाद में किसानों को दिये जा रहे हैं ।

इस के अलावा, उन्होंने अपने वहां टैक्स पालिसी ऐसी रक्खी कि जो शख्स पैदावार में जितनी तरक्की करेगा तो उस तरक्की की प्रोड्यूस पर उस से कोई टैक्स नहीं लिया जायगा । और, इस से वहां पर किसानों को अधिक पैदावार करने के लिये प्रोत्साहन मिलता है और उन्हों ने यह भी पालिसी रखी है कि अगर कोई अपने लैंड को बेकार रक्खेगा तो उस पर टैक्स लिया जायगा । वहां पर इम्यूलेशन कम्पैन होते हैं जिस में, सरकार की ओर से एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट शो करने वालों को इनामात दिये जाते हैं । बैस्ट प्रोड्यूसर्स को मौडेल प्रेजेंट्स दिये जाते हैं, जिस से कि वहां के लोगों में अधिक पैदा करने के लिये होड़ सी लगी रहती है और मैं समझता हूं कि हमें भी अपने यहां इसी तरह का कोई इन्तजाम करना चाहिये । हमें अपने यहां किसानों को कर्जे की और अधिक सुविधायें देनी चाहियें और आज जो बाढ़ से यू० पी० में करीब दस लाख घर गिर गये हैं और जो लोग बेघरबार हो गये हैं और उन के पास जमीन नहीं है, उनके वास्ते आप घरों का इन्तजाम करें और लैंडलैस जो कि यहां पर ५ करोड़ के करीब हैं, उन को कर्ज देने के लिये कोई माकूल प्रबन्ध होना चाहिय । और उन्हें जमीनें भी मिलनी चाहियें ।

इस के अलावा एक दूसरी बात, जिस की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह उन पंचायतों के बारे में है जो कि आप ने लैंड देने के वास्ते बनाई हैं । पंचायतों को अधिकार है कि वह लैंड बांटें और लैंडलैस लोगों को एक्सेस लैंड दें, लेकिन अनुभव न यह बतलाया है कि उन के द्वारा ठीक तौर पर यह काम नहीं किया जा रहा है और वह लैंड अपने रिश्तेदारों में बांट देते ह और जिन को कि वाकई मिलना चाहियें उन को लैंड नहीं मिल पाती है । इन पंचायतों में काफी करप्शन चल रहा है और अफसर लोग रिश्वतें खा रहे हैं । गन्ना कोआपरेटिव सोसाइटियों का काम बड़ा गड़बड़ तरीके से चल रहा है और वहां की गड़बड़ को ले कर सुप्रीम कोर्ट में तीन, चार मामले भी चल रहे हैं और हमारे पास उन की वर्किंग के बारे म काफी शिकायतें आ रही हैं । आज कल यू० पी० म शामली के पास चकबन्दी हो रही है । पर अफसर लोग रिश्वत लेकर अमीरों के अच्छे चक लगा देते हैं । और यह भी सुनने में आया है कि लोगों ने अपनी इच्छानुसार चक मंजूर कराने के वास्ते अफसरों के पास अपनी लड़कियां तक बुरा काम कराने के लियं भेजी हैं । मेरा मंत्री महोदय से अनरोध है कि व इस ओर ध्यान दें और इन पंचायतों सोसाइटियों, और चकबन्दी में यह जो करप्शन चल रहा है इस को बन्द करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें, क्योंकि अगर वे इस को दूर नहीं करते तो उन को तो अपने डेवलपमेंट के काम में कामयाबी मिलना मुश्किल हो जायेगी और उन का सारा काम खराब हो जायेगा ।

Shri N. Rachiah: I request you to give me more time, because no Member from Mysore has spoken on this important subject. I wholeheartedly

support the motion with regard to the economic policy of the Government of India. I have also moved a substitute motion which is:

That for the original motion, the following be substituted:

"This House having considered the economic policy of the Government of India with special reference to Agricultural Land and Rural Credit, while appreciating the progress so far made, recommends that immediate steps be taken by Government to effect land reform with definite ceiling limit for immediate distribution of land to the tillers of the soil, the bulk of whom are Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country, as the distribution of land to tillers of the soil is the primary basis of socialistic pattern of society."

I think the economic policy of the Government of India is based on the Gandhian economic policy Now, I congratulate the Ministry for having solved the food problem within a short period which is much more than what we expected. Even with regard to the Japanese method of cultivation, Government have gone a long way and have achieved much progress. It has done everything that was possible and it has been successful .in every respect. But I cannot understand the policy of Government with regard to the distribution of land to the tillers of the soil. The Minister has not been clear and definite with regard to this policy. We have already passed eight years since Independence and we are now in the ninth year. Though the Planning Commission has been vigilant, even the Planning Commission and the Ministry of Food and Agriculture have not been able to solve this important problem. Our leaders have written books on this subject. Particularly, Shri U. N. Dhebar has written a book called *The New Social Order* published by the Indian National Congress, New Delhi. Here he says that the Minister should understand the basis on which he should formulate the economic policy in India, because our country is full of castes and there are vested interests in all the 4 castes. There are the so-called privileged classes and these classes are out to perpetuate their vested interests and exploit the poor masses of India in the name of democracy.

We have pledged ourselves to democracy according to the Constitution and afterwards we have pledged ourselves to a welfare State. Now of late both the Parliament and the Indian National Congress have pledged themselves to establish a socialistic pattern of society. Our Prime Minister and also our Congress President have written many books after the Avadi Resolution was passed. In one of the books written by Shri U N. Dhebar, he says:

"A third weakness came on the basis of 'Manu'. We began to find methods whereby the people could be kept in subjection. The Brahmins began to assert that they alone were entitled to study Shastras and none else. The Kshatriyas asserted that they alone could be kings and the Vaishas contended that trade and industry was their monopoly. In this way, when a small group wants to subjugate or control people, groupism ensues. If any thing, such groupism betrays lack of self-confidence. You would wonder to know that barely 10 per cent of the population is ruling over the remaining 90 per cent. A handful of industrialists with a total capital of about 2,500 crores is more powerful than those engaged in village industries having a total capital of Rs. 5,000 crores."

This is the statement made by our Dhebarji. This means that nobody can deny that we are having a society where there are so many man-made artificial barriers. On account of these we are not able to achieve anything substantial, though we aim at such an objective.

[Shri N. Rachiah]

With regard to agricultural labourers, 75 per cent of our population is agricultural, depending upon agriculture, but they have no land. There is no distribution of land. According to a report published by the Agriculture Ministry recently, in South India, unemployment among the agricultural labourers and the rural folk is much more than in Northern India. Under these circumstances, the Ministry should be vigilant with regard to its dealings with the Planning Commission and also with the State Governments. The Ministry should not simply keep quiet saying that the State Governments will take action as laid down in the Directive Principles of State Policy. They have got their own liabilities and also impediments. So, the Central Government should take the initiative and solve the problem. Otherwise, we are not going to establish a socialistic pattern of society. That must be understood by the, Ministry of Agriculture. The onerous duties of the Ministry of Agriculture are much more than those of any other Ministry. Though we have solved the food problem, we have not solved the problems of poverty and unemployment pertaining to the masses in India.

श्री बी० डी० शास्त्री : सीलिंग के बारे में लोगों ने अपना अपना अलग अलग मत दिया है । मैं चाहता हूं कि उस में मैं भी अपना मत व्यक्त करूं ।

जमींदारी खत्म होने से ही हमारी समस्या हल नहीं हुई । जमींदारी खत्म करने के पहले हम सोचते थे कि इस में से काफी जमीन हम उन लोगों को दे देंगे जिन के पास जमीन नहीं और यह समस्या किसी न किसी तरह से हम हल कर लेंगे । लेकिन आप को मालूम है कि जमींदारी एबालिशन कानून जब आने वाला था, उस के पहले ही जो लैंड लार्डस् थे उन का यह प्लेन था कि अगर आज हम ५०० एकड़ पर काबिज हैं, १००० एकड़ पर काबिज हैं तो कोशिश यह होनी चाहिये कि कानून पास होने से पहले २ या ३ हजार एकड़ पर कब्जा कर लें । और जब तक कानून बने तब तक उन्होंने अपनी काफी सीर बना ली । मैं आप को उदाहरण दूं कि आज एक एक जमींदार के पास, जिसके पास पहले ५०० और १००० एकड़ जमीन थी, २,००० और ३,००० एकड़ जमीन है और वह उस पर पूर्ण रूप से काबिज है । हालांकि उस को खेती की बहु वृद्धि से कोई इन्टरेस्ट नहीं है, न वह चाहता है कि सारी जमीन पर कृषि कर ले, लेकिन वह चाहता है कि थोड़ी भी जमीन उस के पास से हट कर किसी और आदमी के पास न जाय कि वह उस से बिल्कुल छूट जाये, भले ही उस के पास बेकार पड़ी रहे ।

इस तरीके से जो जमींदारी एबालिशन हुआ उस से कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला और तब तक नहीं निकल सकता जब तक आप जमीन की सीलिंग मुकर्रर न करें । हालांकि राज्यों में इस बात पर विचार हो रहा है कि वह अपने यहां सीलिंग कर दें, लेकिन वस्तुत: जब तक हमारी केन्द्रीय सरकार इस पर जोर नहीं देगी और एक राष्ट्रीय योजना इस के लिये नहीं बनायेगी कि सारे देश में सीलिंग की कैसे व्यवस्था हो, तब तक हमारा काम नहीं चल सकता । यह अलग बात है कि हम देखें कि यू०पी० के अन्दर जमीन की क्या हैसियत है या पंजाब में जमीन की क्या हैसियत है और दूसरे प्रान्तों में जमीन की क्या हैसियत है और हम कितनी जमीन दे कर कितने आदमियों को खुशहाल कर सकते हैं । इस की हम जांच कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिये यह अत्यावश्यक है कि हम जमीन की कोई न कोई सीमा कायम कर दें ताकि जो जो जमीन के ब्लैक मार्केटियर्स अब भी अपने पास ज्यादा से ज्यादा

जमीन रखना चाहते हैं और नाजायज तरीके से जमीन पर काबिज हैं, उन का कब्जा हट सके ।

आज की जन संख्या के बीच में कम से कम २५ फीसदी लोग ऐसे हैं जिन को कि हम कृषक मजदूर कहते हैं, उन कृषक मजदूरों में से आधे के पास जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में है, लेकिन आधे लोग ऐसे हैं जो बेचारे खुद जमीन नहीं रखते, जो आज भी स्वतन्त्र हिन्दुस्तान में गुलामों की तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन की रोज की आमदनी देख कर आप ताज्जुब करेंगे । उन को डेढ़ सेर अन्न दिया जाता है, जिस के लिये वह चार बजे सुबह उठते हैं । पहले तो वह बैल चराने के के लिये ले जाते हैं, सात बजे तक वह बैल चराते हैं। उस के बाद वह उन बैलों को हल में लगाते हैं और सारा दिन वह हल में काम करते हैं । उस के बाद वह फिर बैल चराते हैं । नौ, दस बजे तक बैल चराने के बाद कहीं वह घर आते हैं। यहां पर हम लोक सभा के सदस्य भिन्न भिन्न प्रश्नों पर बोलते चले जा रहे हैं लेकिन इन गरीब लोगों की तरफ हम ध्यान नहीं देते कि ये कैसे लोग हैं जो डेढ़ सेर अन्न के लिये चार, छः या दस घंटे के अलावा सारा दिन गुलामों की तरह अपना जीवन बिताते हैं । अगर ऐसे निरीह लोगों की तरफ हम ने अपना ध्यान नहीं खींचा तो हम कभी भी अपने देश का कल्याण नहीं कर सकते ।

दूसरी योजना हमारी यह है कि हर राज्य सरकारों के पास कुछ न कुछ जमीनें ऐसी हैं जो बड़े बड़े बांध के शक्ल में हैं । जब कभी कोई अकाल पड़ा, तब राज्य सरकारों ने अकाल पीड़ितों के लिये रिलीफ फंड खोल कर उन के श्रम द्वारा कहीं पर बांध बनवा दिया और कहीं पर तालाब बनवा दिया । अपने विन्ध प्रदेश का मुझे अनुभव है वहां हजारों की संख्या में बांध ऐसे होंगे जो १००, १०० ५०, ५० एकड़ के हैं और सरकार के कब्जे में हैं। उस में भी लोगों को ठेका दिया जाता है । वह लोग क्या करते हैं कि दूसरे लोगों की साझेदारी से काम करते हैं और सारा फायदा खुद उठाते हैं । जो साझीदार हैं वह मजदूर होते हैं जिन को भर पेट खाना भी नहीं मिलता । अगर सरकार गम्भीरता से उनकी दशा पर विचार करे तो बड़ा सुन्दर उपाय निकल सकता है । जो लैंडलैस लेबरर्स हैं उन की छोटी छोटी टुकड़ी की आर्मी बनाये और उन को उन सरकारी बांधों में कब्जा दिया जाय ताकि सरकारी बांधों का लाभ सीधा उन को मिल सके । इस तरह से एक बहुत बड़ी समस्या के हल में थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है । परती जमीन भी इन्हीं लोगों की हो जाय। इस तरह से लैंडलैस लेबरर्स की भी बेहतरी होगी, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा भूमि में खेती हो सकेगी और उपज में काफी वृद्धि हो सकेगी । तो जिन राज्यों के पास ऐसे बड़े बड़े सरकारी बांध हों और वे एक आदमी के कब्जे में हों तो उन से वह छीन लिये जायें और उन भूमिहीन मजदूरों को दे दिये जायें ताकि वे अपनी मेहनत से उन में अधिक गल्ला पैदा कर सकें अपना भी भला कर सकें और साथ ही अधिक उत्पादन से देश का भी कल्याण कर सकें ।

Shri Jaipal Singh (Ranchi West—Reserved—Sch. Tribes): There is only one point I wanted to stress in this particular debate, and, it is that unless the forest policy of this country is correctly orientated I see no hope for a prosperous and successful agricultural economy for this country.

We have been having floods and they have become this year worse than ever, and I, coming as I do from the jungle areas, have to request Government to change their entire policy in regard to these forests. I humbly suggest that there is only one solution, and it is to make forests an exclusively Central subject.

State Governments have been very extravagant in their dealings regarding forests. They have been thinking

[Shri Jaipal Singh.]

only in terms of revenue. In order to get revenue, they go on permitting recklessly denudation and deforestation of the jungle areas with the consequent result that we no longer have the dense forests which used to magnetise the water, keep the water at a higher leval and arrest these floods.

Go to Orissa. What has happened to Orissa today, and why has it happened? It is all because of this, that in the upper reaches the forests are no longer of that magnitude as to arrest the heavy rainfall. Exactly the same thing has happened in South Bihar. Why do we have the D.V.C.? You, Sir, come from West Bengal. You know that water running from the Jharkhand area has from time to time drowned certain portions of Bengal. And so, the story is like that throughout India.

I feel the State Governments are incompetent, they have been irresponsible in their duty to India, and I have no doubt in my mind whatever that they should no longer be entrusted with the running of forests, that, forests as they were before, should come back to the Centre, that it should be a Central responsibility so that the forests may no longer be denuded at the rate that has been done hitherto.

Forests take a long time to develop. People have generally got an impression that the jungle folk are reckless. I want to assure them they are not reckless. Anyone who has lived in the jungle areas will find that except for the jhuming method of cultivation they are very, very conservative in regard to forests, because they know that their whole life blood depends on the existence and continued prosperity of the forests.

Having said that, I would like my hon. friends there to find out the effect the so-called agrarian reforms have had on the inhabitants in the jungle areas. In the name of conservation of forests, I want to point out, people who have lived in the jungle areas for years and years and held the record of rights, who have been paying rents, taxes, everything like that, are today being evicted. That is because we have private protected forest Acts, and the idea is to protect the forests and the like. But Government have no sense of shame in permitting a man like Dalmia to deforest the entire area of Palamau. If an Advasi will come and cut a bamboo, then he will be fined, and he will be sent to jail. In the name of development of the paper industry or anything like that, we are completely making a desert of the densely forested areas.

An Hon. Member: They must pay for it.

Shri Jaipal Singh: Nothing is given free. Let him pay the correct price, and if necessary, even more, if he finds that that is the way he can get his work done. But that is not my point. My point is that these forests are a heritage of thousands of years, and within a few years, if you can get rid of these forests, you pay the heavy price of the Kosi floods. Why are we having the Kosi floods? It is because the Himalayas are there, but we have no longer the forests that used to hold back the water. And so is the story in Orissa. It is the same in Bihar also, and to a large extent it is true of Assam also.

In conclusion, I would like to accept the invitation of my hon. friend Shri Kasliwal from Rajasthan. I had the good fortune nearly 20 years ago, of having stayed in that part of Rajasthan to which he referred. I was there as a Colonisation Minister in the Bikaner State, and I know the wonderful change wrought there by the fact of the Ganganagar canal taking its water supply from the Ferozepur headways right down to the parts of the Ganganagar division. I know that if properly regulated, executed and the like, deserts can become oases of great prosperity.

We in Bihar welcome this invitation, and I hope they are serious about their invitation. But there is one thing we would suggest, and that is that my young friend Shri Kasliwal should first try to get his people repatriated; those people are up and down in Harrison street, Calcutta, and in fact, all over India. Let my young friend look after his own flock first, and see that the whole lot are repatriated; and if there are still some lands left, we in Bihar, north or south, would be very glad to accept his invitation.

Several Hon. Members *rose*—

Mr. Chairman: The hon. Minister has represented that instead of ¾ hour, he wants 1 hour for his reply, because so many new points have been made since he made his first request. So, I shall call the hon. Minister now. I am sorry I cannot accommodate the other hon. Members.

श्री ए० पी० जैन : इस से पहले कि मैं आज की बहस के सिलसिले में कुछ कहूं, मैं आनरेबल मैम्बर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्हों ने इस बहस में बहुत दिलचस्पी दिखाई । बहुत से मेम्बरों ने इस में हिस्सा लिया और उन्हों ने कुछ रचनात्मक सुझाव सामने रखे । केवल बहस के लिये ही बहस नहीं की गई । चुनांचे हम लोगों को भी इस से काफी लाभ होगा । मेरे वास्ते यह तो सम्भव न होगा कि जितने भी प्रश्न उठाये गये हैं उन सब का तफसील के साथ मैं जवाब दूं लेकिन मैं सदस्यों को यकीन दिलाना चाहता हूं हूं कि छोटे या बड़े बड़े, जो भी प्रश्न उन्हों ने उठाये हैं, उन सब पर हम गम्भीरता के साथ विचार करेंगे और जहां तक मुमकिन हो सकेगा उन से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।

जहां तक खेती का सम्बन्ध है उस को एक सही और ठीक नजर के साथ देखना चाहिये । मैं कभी इस बात का दावा नहीं किया कि खेती को सुधारने में जो कुछ होना चाहिये था वह सब हो गया है और अब आगे कोई उन्नति की गुंजाइश नहीं है । हिन्दुस्तान में खेती एक बहुत पुराना पेशा है और यदि हम इतिहास पर निगाह डालें तो हम पायेंगे कि हमारे देश में खेती ही प्रधान रही है ।

मेरा अपना अन्दाजा यह है कि जिस समय का इतिहास हमारे पास नहीं है उस वक्त भी खेती प्रधान थी । अंग्रेजों के जमाने में खेती के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया गया जिस का नतीजा यह हुआ कि जब भारत को स्वतन्त्रता मिली तो हमें देहातों के अन्दर बहुत पिछड़ी हुई और गरीबी की हालत मिली । एक वक्त में डा० अम्बेडकर ने यह कहा था कि देहात गरीबी और अशिक्षा या जहालत का तालाब हैं । कुछ भाइयों ने इस का बुरा माना था । अगर निन्दा के तौर पर कहा जाय तो यह बुरी बात है लेकिन देहात का वास्तविक रूप यही है कि गरीबी, पिछड़ापन और अशिक्षा सब के सब हमारे देहात के अन्दर मिलते हैं ।

तो जो बातें मैं ने कहीं उन को इस तरह से देखना चाहिये कि पिछले चार पांच बरस में जब से कि हम ने खेती के सुधार के मसले को अपने हाथ में लिया है उस वक्त से हम सही रास्ते पर चले या नहीं, हम ने खेती में कुछ उन्नति की है या नहीं । यह आसान है कि एक कारखाने की जगह दो कारखाने लगा दिये जायें । हमने अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर तीन लोहे के नये कारखाने बनाने का इरादा किया है । मगर हम तीन के बजाय ६ भी बना सकते हैं । बशर्ते कि हमारे पास रुपया हो । इसी तरह से जहां तक और भी कारखानों का या उद्योग धंधों का मसला है उन को आसानी से तय किया जा सकता है क्योंकि उन में बहुत बढ़ने की शक्ति है । लेकिन जहां तक भूमि का सम्बन्ध है उस का आकार तो ईश्वर ने निर्धारित किया हुआ है । उस को बदला नहीं जा सकता । कुछ ऐसी जमीनें हैं कि जिन को अभी तक खेती में

[श्री ए० पी० जैन]

नहीं लाया गया है और जो बंजर जमीनें हैं उन को तोड़ा जा सकता है, मौजूदा जमीनों म कुछ उन्नति की जा सकती है, सिंचाई बढ़ाकर और खाद का इस्तेमाल कर के । लेकिन खेती की तरक्की और उन्नति की एक सीमा है और यह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है । अगर कोई नया बीज पैदा किया जाय तो उस में कुछ वक्त लगता है और फिर उस का प्रयोग किया जाय तो पहले उस की जांच पड़ताल करनी पड़ती है । मसलन कोयम्बटूर का जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है उस ने गन्ने की बहुत अच्छी अच्छी किस्में निकाली हैं लेकिन गन्ने की नयी किस्म पैदा करने के लिये कुछ वक्त की जरूरत होती है । खेती के अनुसन्धान में हमेशा समय लगता है और उसके बाद उस के प्रयोग की आवश्यकता होती है । कोयमबटूर इंस्टीट्यूट से जिस वक्त गन्ने की नयी नस्ल जारी की जाती है तो कई साल तक देश के भिन्न भिन्न भागों में उस का प्रयोग होता है पेश्तर इस के कि किसानों को इस बात की सिफारिश की जाय कि वे उस गन्ने को उगाने लगें । तो जहां कि कारखानेदारी में बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा है वहां खेती की तरक्की में, उस की बढ़ौतरी में, समय लगता है, और काफी दिक्कतें पैदा होती हैं ।

मैं ने यह कहा था कि पिछले पांच साल में हमारी खेती की पैदावार १४ फीसदी बढ़ी ह कुछ सदस्यों ने इस पर ऐतराज किया । उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के ऊपर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता । उन्होंने स्वर्गीय रफी अहमद साहब की याद दिलायी जिन्होंने यह कहा था कि सरकारी आंकड़ें सही नहीं होते । जहां तक कि सरकारी आंकड़ों के इकट्ठा करने का सम्बन्ध है उस में दुनिया में बड़ी उन्नति हुई है और खास तौर से हमारे देश में तो इस में काफी काम हुआ है । नेशनल सैंपल सरवे और आंकड़े इकट्ठा करने के लिये दूसरे विभाग इस प्रकार के कायम किये गये कि जिनसे यह आशा की जा सकती है कि उन के आंकड़े ठीक होंगे लेकिन सक फिर भी मैं इस बात को नहीं कहता कि जिन भाइयों को उन के बारे में शुबहा है वे उनको लाजिमी तौर से मान लें। लेकिन एक चीज हम को देश में दिखायी दती है। अब से तीन चार बरस पहले हम ४७ लाख टन गल्ला बाहर से मंगाते थे । इस साल हम ने कोई आठ लाख टन गल्ला बाहर से मंगाया और वह भी इसलिये नहीं कि उस को हम अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल में लायें, बल्कि वह हम ने इसलिये मंगाया है कि हम एक खजाना गल्ले का बना लें कि जिस से देश के किसी भाग में अगर कुछ कमी हो तो उस को हम पूरा कर सकें और वह गल्ला वहां इस्तेमाल किया जा सके । कुछ दुनिया के तजर्बे ने बताया और कछ हम ने उस को सोचा और हमने यह फैसला किया है कि साढ़े सात लाख टन से ले कर दस लाख टन तो हमें गेहूं का खजाना रखना चाहिये और इतना ही खजाना चावल का रखना चाहिये । यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिये नहीं होगा बल्कि जब कोई खास आवश्यकता होगी तो उस को इस्तेमाल किया जायेगा । सभापति जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे जितनी भी कोशिश की जाय, चाहे जितनी भी आबपाशी बढ़ जाय, लेकिन फिर भी खेती में कुछ न कुछ हमेशा खतरा रहता है । कभी सूखा पड़ता है, कभी बहिया आती है। यों तो हमारी सिंचाई की जमीन काफी बढ़ी है और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारी सिंचाई की जमीन ६ लाख एकड़ हो जायेगी । मैं आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं एक मामले की तरफ जो कि अमरीका में हुआ है । अमरीका को खेती तो बहुत उन्नतिशील है । वह देश विज्ञान में भी बहुत बढ़ा हुआ है और पैसा भी उन के

पास बहुत है । लेकिन फिर भी उन के यहां बढ़िया आई जिस में कि कुछ सौ आदमी बह गये और खेती को भी नुकसान हुआ । उन के यहां एक डस्ट बाउल है जिस में कभी कभी बारिश नहीं होती और खेती को नुकसान होता है । तो खेती की पैदावार को हमेशा ही कुछ न कुछ खतरा रहता है । इस खतरे का मुकाबला करने के लिये हमने यह निश्चय किया कि अपने देश में अन्न का एक खजाना रखा जाय ।

मैं उन भाइयों से यह पूछना चाहता हूं कि जिन्हों ने आंकड़ों के ऊपर शुबहा किया है कि क्या जो आज कल देश के अन्दर गल्ले की हालत है उस को देखते हुए उन की तबीअत के अन्दर शुबहा रहता है कि गल्ले की पैदावार नहीं बढी है । और वह आखिर १४ परसेंट ही तो बढ़ी है । अगर कोई सोचे कि इस १४ फीसदी के बढ़ने से देहात में खुशहाली हो जायेगी और वहां पर कोई गरीब नहीं रहेगा तो ऐसी बात तो नहीं है । जब हमारी दूसरी पंच वर्षीय योजना पूरी हो जायेगी तो हमारी पैदावार ३० या ३५ फीसदी बढ़ेगी ।

यह भी आप को पता है कि अब से पहले कंट्रोल्स थे । हर एक चीज के ऊपर कंट्रोल्स थे । वह कंट्रोस्ल्स हटे । गेहूं आज लोग आसानी से खरीद सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है । चावल आज आसानी से लोग खरीद सकते हैं, कोई रूकावट नहीं है । इसी तरह से और भी पैदावार है वह भी आसानी से खरीदी जा सकती है, किसी के ऊपर कोई रुकावट नहीं है । अगर पैदावार नहीं बढ़ी है तो ये कन्ट्रोल्स कैसे हट सकते थे । अगर पैदावार नहीं बढी है तो लोगों को चाहे जितना गल्ला किस तरह से मिल सकता था । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आंकड़ों पर चाहे जितना शुबहा किया जाय, लेकिन जो चीज कि सूरज की तरह रौशन है सब लोगों के सामने, उस चीज से तो इन्कार नहीं किया जा सकता । एक और मसले की तरफ मैं सदस्यो का ध्यान दिलाना चाहता हूं । कुछ सदस्यों ने एक सवाल को उठाया कि दिन प्रति दिन हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है, और यह भी कहा कि आज हम एकानोमिक होल्डिंग कायम करते हैं, कल अगर एक आदमी के दो बच्चे हो जायेंगे तो वह एकानामिक होल्डिंग कहां रहेगी । यह प्रश्न हमारे देश के वास्ते एक बहुत गम्भीर प्रश्न है क्यों कि सब से बड़ा हमारे देश में जो उद्योग है वह खेती है और आबादी भी हमारी तेजी के साथ बढ़ रही है । हमारी आबादी में हर साल ४५ लाख की वृद्धि होती है और हर साल १८ लाख ऐसे नये आदमी होते हैं कि जिन्हें रोजगार की जरूरत होती है ।

अब क्या सब का बोझा बराबर जमीन के ऊपर पडता रहें, मैं समझता हूं कि इस वक्त भी जमीन त्राहि त्राहि बोल गई है, जमीन पर बहुत बोझा है और अब एक ऐसा समय आ गया है जब हमें अपने देश की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के ऊपर ध्यान देना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य ने इस बात की शिकायत की है कि पहली पंच वर्षीय योजना में विशेष ध्यान खेती की तरफ दिया गया था. लेकिन दूसरी योजना में वह ऊंचा स्थान उस को नहीं दिया गया । सुनने में बात कुछ ठीक सी मालूम होती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी गहराई में जायें तो आप समझेंगे कि ऐसा करना उचित था, क्योंकि हमारे देश के अन्दर इस बात की जरूरत है कि जमीन का बोझा कम हो और उद्योग धंधों में और दूसरे ऐसे कारोबार हैं जो कि शहर में चलते हैं, उन में लोगों को लगाने का ज्यादा मौका मिले । यह भी सदस्यों को मालूम होगा कि दूसरी पंच वर्षीय योजना में इस बात का लिहाज रक्खा गया है कि वह स्कीमें लाई जायें जिन से कि रोजगार लोगों को ज्यादा मिल सके और मुल्क की

[श्री ए० पी० जैन]

बकारी दूर हो सके। हर स्कीम जो दूसरी पंच वर्षीय योजना में रक्खी गई है जब उस में इस बात का हिसाब लगाया गया कि कितने विशषज्ञ, कितने पढ़े लिखे आदमी, कितने मिकैनिक्स और कितने मजदूर लग सकेंगे तो ज्ञात हुआ है कि एक करोड़ और १ करोड़ १० लाख के बीच में नये रोजगार निकलेंगे जिनमें से ६० लाख तो नये आदमी भर देंगे।

हमारी आबादी बढ़ रही है, और एक बहुत थोड़ी सी संख्या ऐसी रह जाती है कि जिस को हम रोजगार दे सकेंगे। आबादी हमारी बढ़ती जा रही है यह मैं देख रहा हूं, मगर कम से कम एक चीज का उस से अन्दाजा होगा कि अगली जो हमारी पांच साला योजना है, इस में जमीन के ऊपर बोझा नहीं बढ़ेगा बल्कि जितना बोझा इस वक्त का है उतना ही कायम रहेगा। यह एक नया रास्ता है कि जो हमने अख्तियार किया है और मैं समझता हूं कि यही रास्ता है क्योंकि हमारे देश की जो इस वक्त स्थिति है देहात और शहर की, उस का वजन, उस का तनासुब गलत है। हमारे यहां इस बात की जरूरत है कि देहात से, लोग शहर की तरफ आयें और उन को उद्योग धंधा मिले। दूसरी बात जो कि पंच वर्षीय योजना में रक्खी गई है वह यह है कि छोटे छोटे रोजगार और घरेलू धंधों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाये और इस के वास्ते २०० करोड़ रुपये रखने की तजवीज है जिस से कि देहात में लोग केवल खेती पर ही निर्भर नहीं करेंगे बल्कि उद्योग धंधों से भी वे अपनी रोजी कमा सकेंगे। मैं समझता हूं कि जो एक पूरी तस्वीर हमारी पंचवर्षीय योजना की है उस में जो हमारी जमीन है उस में कुछ सुविधा मिलेगी और जमीन का बोझा अगर कम नहीं होगा तो कम से कम बढ़ेगा नहीं।

अब मैं कुछ उन प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूं जो यहां पर उठाये गये। मेरे सहकारी डा० पी० एस० देशमुख ने बहुत सारे प्रश्नों का जो भिन्न भिन्न सदस्यों ने यहां पर उठाये थे, उन का कुछ उत्तर दिया लेकिन उन्होंने जहां तक कि यह भूमि सुधार का प्रश्न है, उस को आम तौर से छोड़ दिया। भूमि सुधार के बारे में सदस्यों ने बहुत कुछ कहा और मुनासिब कहा। विरोधी दल के नेता श्री ए० के० गोपालन ने अपनी स्पीच का ज्यादातर हिस्सा उसी के ऊपर खर्च किया। पहली बात जो उन्होंने कही वह यह थी कि इंटरमिडियरीज यानी बिचौलियों को मिटाने का हम ने दावा किया है लेकिन उस का जो मुख्य लक्ष्य है कि भूमि का बंटवारा हो, वह नहीं हुआ इसी के साथ उन्हों ने यह भी कहा कि केवल ७ प्रतिशत भूमि ऐसी है जिस को कि काश्तकार खरीद पाया। इसी के साथ में उन्हों ने यह भी कहा कि काश्तकारों को यह जो मालिकाना हकूक मिले, उन के लिये उन को एक बड़ी कीमत देनी पड़ी। मैं समझता हूं कि गोपालन साहब ने कभी एक सही तरीके से इस समस्या के ऊपर गौर नहीं किया। मैं चाहता हूं कि सदस्य इसे अच्छी तरह से समझें कि बिचौलियों को मिटाने का मकसद क्या है? हमारे देश में जमीन की दो प्रथायें हैं, एक जमींदारी और दूसरी रैयतवाड़ी। जमींदारी के अन्दर अक्सर ऐसे ऐसे जमींदार मिलते हैं, जो कि अपना निर्वाह लगान वसूल कर के करते हैं। उन की जमीन के ऊपर ज्यादातर किसान बैठे हुए हैं और कुछ थोड़ी सी जमीन भी है कि जिस में उन में से कुछ लोग जुताई करते हैं तो जिस वक्त कि हम ने इन बिचौलियों को मिटाया तो जमीन के बंटवारे का नक्शा ज्यों का त्यों रहा, जिस के कब्जे में जो जमीन थी वह उसके कब्जे में रही। बिचौलियों के मिटाने की हमारी स्कीम थी वह लाजिमी तौर से जमीन के बंटवारे में जहां तक कि कब्जे का सम्बन्ध है, उस में कोई परिवर्तन उस सेदा पै होना नहीं

था, वह आगे की स्कीम है, जिस को कि हम करना चाहते हैं। सीलिंग या काश्तकारों को सिक्युरिटी ग्राफ टैन्योर देना, अगर इस माने में और जो इस का सही मतलब है उस को समझा जाये तो इस से बड़ा लाभ हुआ क्योंकि सरकार और काश्तकारों के बीच में कुछ बिचौलिये थे और काश्तकारों और सरकार का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था। हम वह सीधा सम्बन्ध कायम करना चाहते थे महज इस वजह से नहीं कि बिचौलिये कुछ उन से लगान वसूल करते थे या उन पर ज्यादती करते थे, वह चीजें तो थीं, लेकिन उस से बड़ी वजह यह थी कि अगर खेती में उन्नति करनी है, या जितने भी हमारे डवलपमेंट प्रोजैक्ट्स हैं और जो आबपाशी को हम सदा बढ़ाना चाहते हैं और जो हम इस देश के अन्दर एक नया वातावरण बनाना चाहते हैं और किसानों की रीढ़ की हड्डी को जो हम मजबूत करना चाहते हैं तो उस के लिये जरूरी है कि किसान और सरकार के बीच में सीधा सम्बन्ध स्थापित हो। इसी से वह कायम है। उस का यही खास मकसद था।

अब उन्हों ने दूसरी शिकायत यह की कि हैदराबाद और मद्रास के अन्दर बड़ी संख्या में लोगों को निकाला जा रहा है। हैदराबाद की जो उन्हों ने बात कही, इस वक्त तक जो रिपोर्ट हम को मिली हैं, उन से सही मालूम होती है। मुझे इस का अफसोस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस को एक सही दृष्टिकोण से देखा जाय। हैदराबाद एक ऐसी जगह है जहां पर कि एक देशी राजा राज्य करता था। वहां पर कुछ छोटे मोटे रिकार्ड थे, लेकिन वहां पर मुनासिब तौर पर कोई रेवेन्यू रेकार्ड नहीं थे। वहां पर जो सिस्टम था वह बिल्कुल एक फ्यूडल सिस्टम था। तो जिस वक्त बड़े बड़े जमींदारों और जागीरदारों के मिटने का का सवाल पैदा हुआ, उस वक्त एक खींचातानी हुई। मजबूत आदमियों ने कोशिश की कि कमजोर आदमियों की जमीन पर कब्जा कर लें। चुनांचे जो एक एक्सट्रैक्ट, एक मजमून गोपालन साहब ने पढ़ कर सुनाया उस में दिया हुआ था कि वहां पर ८० फी सदी लोग जमीन से वंचित किये गये। सरेन्डर्स के जरिये से इतने लोगों से दस्तावेजें लिखा ली ग ि कि वह जमीन पर नहीं रहना चाहते। अब जो सवाल पड़ता है वह यह है कि कानून हम बना सकते हैं, अदालत में एक चीज रख सकते हैं, लेकिन यह बड़ा सवाल समाज के अन्दर, कमजोरों के अन्दर एक ताकत पैदा करने का है, और जिस वक्त तक वह ताकत नहीं पैदा होती, उस वक्त तक यह हालत रहेगी। मुझ को बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस का रोकना मुश्किल है। जितनी चीजें हम कर रहे हैं, हम ने जो सीधा सम्बन्ध सरकार के किसानों से पैदा किया उस का भी मकसद यही है कि उसे मजबूत किया जाय। देहात के अन्दर हम जो कोआपरेटिव मूवमेंट, साहकार मूवमेंट को चलाना चाहते हैं उस का भी मकसद यही है कि उन के अन्दर ताकत आये और एक आर्थिक संगठन पैदा हो। उन के दिल में इस बात की भावना पैदा हो कि किस तरह से मिल जुल कर काम किया जा सकता है। अपने निजी फायदे को सामने रख कर नहीं बल्कि समाज के फायदे को सामने रख कर, किस तरह से अपनी चीजों का प्रबन्ध किया जा सकता है। यह तो हमारी भी शिकायत है कि किसान इस वक्त तक मजबूत नहीं रहा है, पिछड़ा रहा है, उस को हम मजबूत करना चाहते हैं। इसी के लिये हम ने यह योजना अपनाई है।

उन्हों ने कुछ मद्रास के बारे में भी कहा कि मद्रास में अभी हाल में एक कानून बना दिया गया है जिस से किसानों को जिन को अब तक सिक्योरिटी नहीं दी गई थी, बेदखल नहीं किया जा सकता। खाली यही नहीं, बल्कि जिन को बेदखल किया गया है खास अर्से के अन्दर उन को दुबारा जमीन देने का

[श्री ए० पी० जैन]

प्रबन्ध किया जाय। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि यह जो अदालत से बाहर की बेदखली का मामला है, उस के अन्दर ज्यादती होती है, उस के अन्दर दबाव डाल कर दस्तावेजें लिखा ली जाती हैं। यह कानून से बन्द होने वाली नहीं है। यह इसी तरह बन्द हो सकती हैं कि किसानों के अन्दर एक ताकत पैदा हो, और हमारा दिली मकसद यही है। जो कुछ हम कर रहे हैं उस सब का ध्येय यही है कि किसान को मजबूत बनाया जाय।

Shri N. B. Chowdhury: I know what help the Administration is giving?

श्री ए० पी० जैन : ऐडमिनिस्ट्रेशन ने इस के बारे में कानून बनाया। हम बराबर कह रहे हैं कि जहां इस किस्म के मामले हों कि किसी पर ज्यादती हो उन की वहां सहायता की जाये।

एक प्रश्न उन्हों ने यह उठाया कि जो सरकारी जमीनें हैं उनमें से भी कुछ किसानों को हटाया जा रहा है। उन्हों ने कुछ मिसालें यहां पर पेश कीं। उन के बारे में चूंकि वह खास खास मिसालें हैं इसलिये मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक मेम्बर प्रसाद राव हमारे यहां पैनेल ग्राफ लैंड रिफार्म के मेम्बर हैं। उन्हों ने इस प्रकार के कुछ प्रश्न उठाये थे। हम ने उन के बारे में जानकारी की। जो कुछ जानकारी हमारे पास आई है उस से पता लगा कि उन की इत्तला ठीक नहीं है। अभी हमारे पास कुछ जानकारी आनी बाकी है। मैं इस बात को पूरी तौर से मानता हूं कि सरकार को एक आदर्श पेश करना चाहिये दूसरों के सामने। अगर सरकार ही उन किसानों को जो जमीनों को जोत रहे हों बेदखल करती है तो वह किस तरह से किसी जमींदार को या किसी दूसरे को रोक सकती है कि वह किसानों को बेदखल न करें। तो अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस को रोका जाय और मेरी राय में उसे रोकना चाहिये। यह बिल्कुल गलत और ना मुनासिब चीज होगी कि सरकार बसे हुए किसानों को बेदखल करे। लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है, ऐसी कोई चीज हमारे इल्म में नहीं आई।

अब एक प्रश्न उन्हों ने और उठाया और कहा कि यह जो बे जमीन वाले मजदूर हैं उन के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया। इस सवाल का उत्तर तो मेरे सहकारी डा० पंजाब राव देशमुख ने दे दिया था। जहां तक उन की मिनिमम वेजेज मुकर्रर करने का सवाल है वह राज्य सरकारों के सामने है। मगर एक दूसरी बात भी है कि उन को जमीन देने के लिये हम ने क्या किया? इसी के लिये तो हम सीलिंग रखना चाहते हैं। जिन लोगों के पास मिकदार से कुछ ज्यादा जमीन है उस को लिया जाय और उस जमीन को उन लोगों में बांटा जाय जिन के पास कि एकानामिक होल्डिंग्स से कुछ कम है, या बिल्कुल नहीं है। और जो नई जमीनें तोड़ी जा रही हैं, उन में भी हम उन लोगों को तर्जीह देते हैं बसाने में। मेरा अपना ख्याल यह है कि अब आगे जितनी नई जमीनें टूटेंगी उन में इन लोगों में से कुछ को सुविधा मिलेगी। और जो कुछ ऐसी बंजर जमीनें पड़ी हुई हैं जिन को ट्रैक्टर से तोड़ने की जरूरत नहीं है, उन में भी हम उन को जमीनें देंगे और अब भी दे रहे हैं।

यहां पर खास तौर से हरिजन भाइयों और ट्राइबल पीपल के वास्ते कहा गया और मैं समझता हूं कि मुनासिब बात है, उनको तर्जीह देनी चाहिये, वह सब से ज्यादा पिछड़े हुए आदमी हैं और हम उन को तर्जीह देंगे।

श्री गोपालन ने एक और प्रश्न उठाया और वह सीलिंग के बारे में था । सीलिंग के बारे में जो रायें जाहिर की गई उन में से ज्यादातर रायें यह थीं कि एक सीलिंग मुकर्रर की जाये, लेकिन कुछ सदस्यों ने यह राय भी दी अगर हमें देश में उन्नतिशील तथा वैज्ञानिक खेती करनी है कि दूसरों के वास्ते आदर्श हो, तो हम को सीलिंग नहीं लगानी चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : यह राय उन लोगों ने दी है, जिन के पास जमीनें हैं ।

श्री ए० पी० जैन : अब जहां तक गवर्नमेंट का सम्बन्ध है हमारा यह निश्चय है कि हम सीलिंग रक्खेंगे । क्योंकि हमारे सामने सवाल यह है कि आया हमारी जमीन के बंटवारे का नक्शा यह हो कि थोड़े आदमियों के पास बहुत ज्यादा जमीन हो और कुछ के पास औसत दर्जे की जमीन हो और ज्यादा आदमियों के पास बहुत थोड़ी जमीन हो या बिल्कुल न हो, या यह कि जहां तक भी मुमकिन हो सके हम जमीनों के बंटवारे में एक बराबरी कायम कर सकें । अब यह तो मैं नहीं कहता कि सब के पास बिल्कुल बराबर जमीन हो सकती है, लेकिन हमारी बराबर यह कोशिश होगी कि किसी के पास एक हद्द से ज्यादा जमीन न हो । वह हद्द क्या हो, इस के लिये एक कमेटी मुकर्रर की गई है जिस में कि हमारी सभी पार्टियों के सदस्य शामिल हैं । जिस समय प्लानिंग कमीशन के सामने यह सवाल आया था तो उन्हों ने इस उसूल को तो माना कि सीलिंग मुकर्रर होनी चाहिये । लेकिन साथ ही उन्हों ने यह भी सिफारिश की कि एक सेन्सस होना चाहिये लैंड होल्डिंग्स का जिस से यह मालूम किया जाय कि मालिकों के पास और किसानों के पास कितनी कितनी जमीनों की होल्डिंग्स हैं और कितनी हद्द मुकर्रर करने से कितनी जमीन मिलेगी और उस से कितने आदमियों को लाभ पहुंचगा । यह आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और हम उन के मुताबिक फैसला करेंगे और बहुत जल्दी हम इस का फैसला करना चाहते हैं ।

Shri N. B. Chowdhury: Why for eight years this question has not been taken up, in spite of the Planning Commission's recommendations?

7 P.M.

श्री ए० पी० जैन : मैं इस का भी जवाब देना चाहता हूं । मेरे मित्र कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं और मैं उन की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि रूस में किस तरह से लैंड रिफार्म हुआ । वहां अक्तूबर १९१७ में रिवोल्यूशन हुआ । एक दम वहां किसानों की कमेटियां बैठ गयीं और जो बड़े बड़े जमीदारों की जमीनें थीं उन के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया । उस के बाद जो यह औसत दर्जे के किसान थे और जिन्हों ने नये कब्जे पाये थे उन के दिलों में कुछ शुबहा पैदा हुआ । उन्होंने शहरों के वास्ते अनाज देना बन्द कर दिया और जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उस के खिलाफ बगावत कर दी । वहां पर अकाल भी पड़ा जिस में अगर मुझे सही याद है और जिस के बारे में बीटरीस एंड सिडनी वैब ने लिखा है कि तीन में से एक आदमी पीड़ित हुआ । लाखों की तादाद में आदमी मर गये । उस के बाद लेनिन की पालिसी चली । एक कदम पीछे हटाया गया और दो आगे गदम बढ़ाये गये । उस के बाद स्टेट फार्मिंग आया और फिर कलेक्टिव फार्मिंग आया और आगे जो बात सुनी गई वह यह थी कि मालेनकोफ को लिक्वीडेट किया गया क्योंकि उन की लैंड पालिसी कामयाब नहीं थी । तो यह सवाल ऐसा नहीं है जो कि एक दम से हल हो जाये । यहां पर लिक्वीडेशन की पालिसी नहीं है । हाल में सोच समझ कर काम करना है । सीलिंगके

[श्री ए० पी० जैन]

बारे में कुछ हुआ भी है । कई रियासतों के अन्दर एक सीलिंग मुकर्रर हुई है । अभी ईश्वर रेड्डी साहब ने एक पैम्फलेट पढ़ कर सुनाया मुझे मालूम नहीं कि वह कौन सा पैम्फलेट है और कहां से वह लाये हैं । उन्हों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार चाहती थी कि वह हिमाचल में सीलिंग मुकर्रर करे । लेकिन हम ने उन को सीलिंग नहीं मुकर्रर करने दी । यह गलत चीज है । हिमाचल के अन्दर एक सीलिंग मुकर्रर हो गई है, मौजूदा होल्डिंग्स के ऊपर और आइंदा आने वाले होल्डिंग्ज के ऊपर । कुछ ऐसे राज्य हैं कि जिन्हों ने होने वाले होल्डिंग्ज के ऊपर एक सीलिंग मुकर्रर की है और कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हों ने बिचौलिये को मिटाया और उस के बाद में सीलिंग मुकर्रर किया । यह बात नहीं है कि सीलिंग के ऊपर काम ही नहीं हो रहा है । बल्कि यह है कि हम एक ऐसी मंजिल पर पहुंच गये हैं कि जहां पर पहुंच कर हमें सोच समझ कर और पूरे प्रबन्ध के साथ आगे कदम उठाना है । इसी के साथ मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि गोपालन साहब ने भी सीलिंग का विरोध किया । मैं ने सोचा कि वह कैसे हमारे सरदार लाल सिंह साहब का साथ दे सकते हैं । सरदार लाल सिंह तो कहते हैं कि वैज्ञानिक खेती की वजह से सीलिंग मुकर्रर नहीं होनी चाहिये और यह बात कुछ हद तक समझ में आ भी सकती है । मैं यह मानता हूं कि दूसरी एक वजह भी हो सकती है कि काश्तकार बेदखल होते हैं । लेकिन मैं यह बात बिल्कुल नहीं समझ सका कि उन्हों ने सीलिंग का विरोध क्यों किया । सीलिंग के क्या माने हैं । इस के माने हैं कि इतनी जमीन से ज्यादा किसी के पास नहीं होगी । सीलिंग के एक दूसरे माने यह भी हो सकते हैं कि जिस के पास इतनी जमीन से ज्यादा जमीन हो उस को कुछ हद तक जमीन को रखने की इजाजत हो जहां तक कि सीलिंग की हद हो और उस के बाद जितनी भी जमीन उस के पास हो वह ले ली जाये । तो अब एक रिजम्प्शन का मामला आता है । जहां तक रिजम्प्शन का मामला है उस के बारे में मैं ने अपने शुरू के भाषण में कुछ कहा था । इस के बारे में हम ने कुछ फैसला इस किस्म का किया है कि हम एक हद तक जमींदार के पास जमीन को रहने देंगे लेकिन उस हद को कुछ शर्तों के साथ पूरा होने देंगे । एक शर्त तो यह है कि जो टेनेंट्स हैं या सब टेनेंट्स हैं उन के पास हम बेसिक होल्जिडग्स छोड़ने की कोशिश करेंगे । अगर मजबूरी की हालत में जब कि हो सकता है कि उस के पास बेसिक होल्डिंग न हो तो हम एक और तरीका अख्तियार करेंगे । जितने भी कानून इस वक्त बनाये गये हैं उन में एक हद मुकर्रर की गई है कि इतनी जमीन वापिस दी जा सकती है । पंजाब के अन्दर ३० एकड़ स्टैण्डर्ड एकड़ जमीन मुकर्रर की गई है और इस के साथ में यह शर्त है कि अगर कोई काश्तकार वहां पर बैठा हुआ है तो उस हद तक और उस हालत में जमीन वापस नहीं ली जा सकेगी जब तक उस के पास कम से कम पांच एकड़, जो बेसिक होल्डिंग है , बाकी न बचे, या दूसरी जगह पांच एकड जमीन उसे न दी जाय । तो किसानों के हक को वहां पर महफूज किया गया है । इसी तरह से राजस्थान में है कि उसी हालत में जमीन के मालिक को जमीन को वापस लेने का हक होगा कि जब १२०० रुपये मुनाफे की जमीन काश्तकार के पास छोड़ दे इसी किस्म की शर्त हैदराबाद में भी लगाई गई है । मैं मान सकता हूं कि कहीं पर दिक्कतें पैदा हो रही हों इन उसूलों को अमल में लाने में । हमारी कोशिश हमेशा यह होगी कि इन उसूलों के ऊपर हम सख्ती से अमल करें । लेकिन जहां तक उसूल का ताल्लुक है यह एक मुनासिब उसूल है । हम जो समाज बनाना

चाहते हैं और जो ढांचा खड़ा करना चाहते हैं उस के हिसाब से यह मुनासिब चीज है ।

एक सवाल उठाया अशोक मेहता साहब ने और वह सवाल यह है कि जमीन की पैदावार को जो बाजार के अन्दर आती है इस को कम न होने दिया जाय उन्हों ने मिसाल दी रूस की और कहा कि कैंची के जो फल्के होते हैं उन के बीच में जो फर्क होता है अगर वह ज्यादा बढ़ जाता है तो उस से दिक्कत पैदा होती है और वह काटती नहीं है । रूसके अन्दर एक वाक्या है कि एक जमाना ऐसा आया जिस की तरफ मैं ने अभी इशारा किया कि किसानों ने इस बात से इन्कार कर दिया कि वह बाजार में अपना माल भेजें, अपने खेतों को उन्हों ने बर्बाद कर दिया, एक रात में कितने ही मवेशियों को मार डाला। गल्ले को जमीन के अन्दर दबा दिया, उस को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया । यही हालत चीन के अन्दर भी पैदा हुई ? रूस में कुलेक्स ने यह किया । किसान की ख्वाहिश होती है कि वह नकद पैसा पा सके और जो शहरी आदमी होता है वह यह चाहता है कि उस को ठीक भाव पर चीज मिल सके । जो शुबाहात उन की तबीअत में चीन और रूस में पैदा हुए, वैसे शुबहात के यहां पैदा होने के कोई कारण नहीं है । मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमारे हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं । पहली बात तो यह है कि हमारी जितनी भी योजनायें हैं उन के अन्दर हम एक बात का ख्याल रखते हैं कि जो आम इस्तेमाल की चीजें हैं, जो कंज्यूमर्स गुड्स हैं वह भी एक मुनासिब कीमत पर मिल सकें । साथ ही सब जो चीजें किसान पैदा करते हैं हम यह भी चाहते हैं कि उन को मुनासिब कीमत उन चीजों को मिले । चुनांचे उसी सिलसिले में हम ने प्राइस स्पोर्ट दी ।

दूसरी बात यह है कि हमारा बर्ताव जो किसानों से है वह एक दोस्ती का और मदद का है । रूस के अन्दर जो किसान थे, जो कुलेक्स थे उन के दिलों के अन्दर जो खतरात और शुबहात पैदा हुए लेकिन उन शुबहात के यहां पैदा होने की उम्मीद नहीं है । हम यहां पर हर मुमकिन तरीके से किसानों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं । हमारी आज किसानों के साथ कोई लड़ाई नहीं है । हमारा और उन का ध्येय एक है और वह यह कि देहातों की हालत अच्छी हो, किसान सम्पन्न हों और कोई ऐसी चीज गालिबन नहीं है कि जिस से रिजिस्टेंस का हम को खतरा हो ।

तीसरी जो बात है वह यह है कि जितनी हम इस वक्त सहयोगी समितियां बना रहे हैं, जितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज बना रहे हैं, मार्केटिंग कोआपरेटिव इत्यादि के लिये जो आर्गेनाइजेशन बना रहे हैं उस का सिर्फ एक ही ध्येय है कि किसान को सुविधा मिल सके कि वह बाजार के अन्दर अपने माल को मुनासिब कीमत पर बेच सकें । तो मैं समझता हूं कि इस बात का कोई कारण नहीं है कि हमारे और किसानों के अन्दर कोई झगड़ा पैदा हो ......

श्री एस० एल० सक्सेना : जो बात आपने चीन के बारे में कही है, उस की खबर आप को कहां से मिली है, यह बिल्कुल गलत खबर है ।

श्री ए० पी० जैन : वहां भी यह हुआ ।

अशोक मेहता साहब ने एक और सवाल उठाया । उन्हों ने कहा कि हमारे देश के अन्दर, हमारी तमाम रियासतों के अन्दर एक किस्म के लैंड टैन्योर के सिस्टम नहीं हैं, एक से कानून नहीं बने हैं । यही सवाल हमारे विद्यालंकार साहब ने भी उठाया ।

इस प्रश्न का उत्तर मैं ने शुरू में दे दिया था कि हमारा देश एक बहुत विशाल देश है । इस में बहुत सारे राज्य हैं । उनकी हालत अलग अलग है । आज भी यहां पर जो इस मसले पर बहस हुई तो,

[श्री ए० पी० जैन]

सभापति जी, आप ने सुना होगा कि जो पंजाब के प्रतिनिध बोले उन्हों . ने , आम तौर से सीलिंग की मुखालिफत की है, और मैं जानता हूं कि पंजाब राज्य में इस की कुछ मुखालिफत है । जहां तक भूमि सुधार का सम्बन्ध है, बह काम राज्य सरकारों का है, और उन के यहां अपने लेजिस्लेचर्स भी हैं । उन को भी अपने साथ ले कर राज्य सरकार को चलना पड़ता है । तो मैं समझता हूं कि यह गैर मुनासिब चीज होगी कि किसी राज्य सरकार को किसी चीज के लिये मजबूर किया जाय । राज्य सरकारें इस बात के लिये बराबर कोशिश कर रही हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक ठीक वातावरण पैदा हो । इस के होते हुए भी काफी एकता तमाम हिन्दुस्तान में पैदा हुई है और इस वक्त जो हमारी खुदकाश्त की व्याख्या है वह आम तौर से वही है जो कि बम्बई के कानून में दी हुई है । बम्बई के कानून में खुदकाश्त की यह व्याख्या दी हुई है :

> "To cultivate personally" means to cultivate on one's own account (1) by one's own labour, (2) by the labour of any member of one's family, or (3) by servants on wages payable in cash or kind but not any crop sharing, or by hired labour under one's personal supervision or personal supervision of any member of the family.

यह व्याख्या जो कि पहले बम्बई के कानून के अन्दर आयी, उस को मध्यप्रदेश ने, बरार ने माना, हैदराबाद ने माना, मध्य भारत ने माना, मैसूर ने माना, राजस्थान ने माना, सौराष्ट्र ने माना, अजमेर ने इस को माना, विन्ध्य प्रदेश ने इस को माना । उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अन्दर इस की जरूरत नहीं थी । दो रियासतों ने इस को नहीं माना । वे हैं पंजाब और पैप्सू । मुझे उम्मीद है कि ये रियासतें भी जल्दी ही इसी नतीजे पर पहुंचेगी मेरा अपना ख्याल है कि यह निजी जोत या खुदकाश्त के साथ यह एक लाजिमी चीज होनी चाहिये कि खेती करने वाला खुद उस की देखभाल कर सके और उस के साथ में जितना हो सके अपना शारीरिक श्रम भी लगाये । मैं उस को निजी जोत नहीं मानता कि मालिक के जिम्मे सिर्फ नफा और नुकसान हो । उस के साथ काम करने में उस के परिवार के लोग भी शामिल हो सकते हैं । जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है हमने इस मसले पर बात चीत करने के लिये वहां के मिनिस्टर साहब को बुलाया और उन से बात चीत की, और जो डैफिनीशन उन का पहले आयी थी उस में काफी परिवर्तन हुआ । मगर मैं मानता हूं कि चूकि कुछ राज्यों के अन्दर खास हालात हैं जिन को वजह से हम पूरी एकरूपता या यूनिफार्मिटी अब तक नहीं कायम कर पाये हैं, और मैं समझता हूं कि न यह हमारे लिये मुनासिब होगा कि हम एक ही पैटर्न की यूनिफार्मिटी कायम कर दें ।

कहा गया है कि रिजम्पशन के लिये कुछ मियाद होनी चाहिये । हम ने उस के लिये मियाद कायम की है और हम ने इस के साथ यह भी रखा है कि अगर कोई मालिक अपनी खुदकाश्त की जमीन को पांच वर्ष के वास्ते दोबारा उठा देता है तो वह काश्तकार को वापस मिल जायेगी । तो जितना भी मुनासिब तरीके से होना चाहिये । वह हम कर रहे हैं ।

उन्हों ने एडमिनिस्ट्रेटिव मशिनरी पर भी जोर दिया । मैं समझता हूं कि उन्हों ने यह बहुत मुनासिब बात कही है । हमारे यहां देश के ज्यादातर हिस्से में तो अच्छा लैंड रिकार्ड्स मौजूद हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मैशिनरी भी अच्छी मौजूद है । लेकिन जो

परमानेंट सैटिलमेंट के एरिया थे और जो पुराने राज्यों के एरिया थे उन में अगर इस मैशिनरी की जरूरत है और हम इस को मजबूत कर रहे हैं। हम ने यहां एक ट्रेनिंग का खास कोर्स निकाला है कि जिस में वहां के अफसर आते हैं और यहां से ट्रेनिंग पाकर जाते हैं और आपने यहां जा कर इस काम को आर्गेनाइज करते हैं। हमें इस में काफी कामयाबी मिली है।

एक बहुत सैद्धान्तिक प्रश्न उठाया गया, जिस को हमारे मित्र श्री आजाद, श्री विभूति मिश्र, श्री देशपांडे, ठाकुर दास जी और अमरनाथ जी ने उठाया। वह यह है कि जब जमीन के ऊपर एक सीलिंग मुकर्रर की जाती है तो आमदनी के ऊपर भी कोई सीलिंग क्यों न मुकर्रर की जाये। यह मुनासिब है। तो यह एक सवाल उठाया गया। मैं चाहता हूं कि इस सवाल को एक सही नुक्तेनिगाह से देखना चाहिये। मैं इस के हक में हूं कि जब हम ने अपने देश के लिये एक सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी बनाना तै किया है, जब हम ने यहां पर समाजवाद को कायम करना तै किया है तो बड़ी बड़ी आमदनियों के ऊपर हम को एक हद कायम करनी चाहिये। लेकिन इस वक्त सवाल यह है कि ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से सम्बन्धित हैं या नहीं। जमीन जो है वह उत्पादन का एक साधन है, वह आमदनी नहीं है। जमीन बढ़ नहीं सकती जमीन घट नहीं सकती। एक तरह से घट तो सकती है यानी अगर खेती से अलाहिदा हो जाय तो वह घट सकती है। जो दूसरे कारखाने वगैरह की आमदनी है, वह एक साधन से पैदा होती है लेकिन वह उन की आमदनी है। जहां जमीन घट और बढ़ नहीं सकती वहां कारखाना महज इन्सान की ताकत के अन्दर है, उस को चाहे जितना बढ़ा ले। तो साधन की आमदनी से मुकाबला करना ऐसा है कि इन दोनों में से कोई तुक पैदा नहीं होती। इस वक्त जमीन के लिये तो सवाल यह है कि इस साधन को किस तरह से बांटा जाय, और जहां तक कारखानों का सवाल है वह तो ऐसा है कि अगर आज दो कारखाने लगे हैं तो कल चार लगा लीजिये। यहां तो जमीन के बारे में यह सवाल पैदा नहीं होता। तो जहां मैं इस बात के हक में हूं कि आमदनी की हद मुकर्रर होनी चाहिये, वहां साथ में यह भी जोर से कहना चाहता हूं कि जो भूमि की सीलिंग मुकर्रर हो रहा है और जो आमदनी पर सीलिंग है उन दोनों की आपस में कोई समानता नहीं है। मुझे आप से हमदर्दी है लेकिन मैं देखता हूं कि दोनों चीजें अलाहिदा हैं।

विभूति मिश्र जी ने एक और प्रश्न उठाया कि कच्चे माल की कीमत में और तैयार शुदा सामान की कीमत में कुछ पैरिटी फिक्स की जाये। यह मुनासिब सी चीज है। कोई वजह नहीं है कि आदमी कच्चा माल तो सस्ता खरीदे लेकिन तैयार माल बना कर उस को मेंहगा बेचता रहे। इस चीज की तरफ हम खास तौर से ध्यान देंगे।

उन्होंने दूसरा प्रश्न यह भी उठाया कि एक दूसरा ओर जहां खेती की पैदावार की कीमतें गिर रही हैं, वहां दूसरी ओर जो कारखानों में सामान बनता है उस की कीमत नहीं गिर रही है। वह वाक्या है। मैं ने इस के बारे में एक से ज्यादा मर्तबा इस भवन में अपनी राय जाहिर की है। मेरी अपनी राय यह है कि जरूर इन दोनों के अन्दर निस्बत कायम होनी चाहिये। लेकिन मैं ने बहुत सोचा, एक नामिस्ट्स की कमेटी को बुलाया लेकिन इसका कोई तरीका हमारी समझ में नहीं आया। अगर कोई हमें मुनासिब तरीका बतलायेगा तो मैं यकीन दिलाता हूं कि उसके ऊपर हम पूरे तौर से विचार करेंगे।

Shri N. B. Chowdhury: Is there any report on cost of production?

श्री ए० पी० जैन : मैं उस पर अभी आऊंगा ।

जैपाल सिंह जी ने प्रश्न उठाया जंगलात के बारे में । यह मुनासिब प्रश्न है । इस वक्त जंगलात का यह हाल है कि उनको कई जगह बुरी तरह से काटा जा रहा है । लेकिन साथ ही उन्होंने यह कहा है कि इसको एक सैंट्रल सबजैक्ट बना लिया जाय । मैं समझता हूं कि यह निहायत गैर मुनासिब चीज है । इससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि ऐसा करने से नुकसान होगा । यह नामुमकिन होगा कि सैंट्रल गवर्नमट उन तमाम जंगलात का इन्तिज़ाम कर सके जो कि सारे देश में फैले हुए हैं । लेकिन इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं और हमने यह तै किया है कि हम एक फारेस्ट कमीशन बनायेंगे जो कि तमाम देश के वास्ते और तमाम राज्यों के वास्ते एक पालिसी कायम करे और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने दस करोड़ रुपये रखने की एक तजवीज़ पेश की है जिससे जंगलात की उन्नति हो सके । मैं समझता हूं कि हमारे देश में जंगलात का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और जंगलात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए ।

श्री विभूति मिश्र : बिहार राज्य में जंगलात को काफी बढ़ाया जा रहा है ।

श्री ए० पी० जैन : मुनासिब है कि पंचायतों को मज़बूत किया जाय । प्लानिंग कमीशन ने भी यह कहा कि पंचायतों के सुपुर्द लैंड मैनेजमेंट होना चाहिए, हम इसके लिए कोशिश करेंगे लेकिन आज मैं समझता हूं कि हालत ऐसी नहीं है कि तमाम चीजें पंचायतों के सुपुर्द की जा सकें, कुछ जगेंह जहां पर कि पंचायतें मजबूत होंगी उनसे शुरूआत की जायेगी लेकिन मेरे विचार से यह जरूरी होगा कि पंचायतों को मज़बूत किया जाय और उनके हाथ में ताक़त दी जाय ।

अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है और मुझे डर है कि कुछ चीजें रह जायेंगी । अब दो सवालों के बारे में थोड़ा कह कर मैं खत्म करूंगा ।

एक सवाल यह उठाया गया कि यह सूद की जो दर है सवा छै प्रतिशत जो कि आगे को सहकार समितियां वसूल करेंगीं, यह दर बहुत ज्यादा होगी तो उस के बारे में मैं उन को कहना चाहता हूं कि इस वक्त तो १२ फीसदी तक वसूल होता है और कर्जा देने वाली समितियां तो १८ से २० फीसदी तक सूद लेती हैं, बहरहाल मेरी यह कोशिश होगी कि इस दर को कम किया जाय और जितना सहकार समितियों का काम बढ़ेगा और जितनी भी वह मजबूत होंगी उतनी ही यह दर कम होगी, तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि यह कम हो लेकिन इस बात का कोई विश्वास दिलाना कि यह कम ही हो जायेगी, बहुत मुश्किल है ।

मैं कुछ चीनी के बारे में बतलाना चाहता हूं । चीनी की बाबत तुलसी दास जी ने जो कहा वह मेरी समझ में नहीं आया । उन्हों ने कहा कि रेलवे मिनिस्टर ने यह कहा है कि वह इसलिये वैगन्स नहीं देते क्योंकि सरकारी चीनी के लिये वैगनों की जरूरत होती है । मैं ने उस वक्त भी प्रश्न किया था कि सरकारी चीनी तो पोर्टस् से अन्दर को आती है और यहां की पैदा की हुई चीनी इधर से उधर जाती है तो दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है ।

एक बात सरदार लाल सिंह ने कही जो कि मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है । बावजद इस के कि मैं ने उन को इस बात को बतलाया कि ७५ फीसदी बोनस अदा किया जा चुका है लेकिन उन को विश्वास नहीं आया । मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं मिलवार जिन को कि हिसाब लगा कर मैं ने उन को बतलाया कि ७५ फीसदी बोनस अदा किया जा चुका है ।

अब मैं एक विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा और वह श्रद्धेय टंडन जी के उस सुझाव से सम्बन्ध रखता है जिस में उन्हों ने सरकार से इस बात का अनुरोध किया है कि उस को बाढ़ग्रस्त इलाकों में कुछ आदर्श गांव माडल विलेजेज बनाने चाहियें, बहुत अच्छा और नेक ख्याल है उन का और मैं समझता हूं कि इस दिशा में शुरूआत की जानी चाहिये। उन्होंने जो इसके साथ में सुझाव दिया कि आधा एकड़ या चौथाई एकड़ फार्म उस के साथ हो कि जिस में फल और सब्जी पैदा की जाय और उसमें अपने पशु रक्खे जायें, बहुत ठीक चीज है और ऐसा होना चाहिये। हमारे देश के अन्दर जितने देहात हैं, बहुत बुरी तरह से बसे हुए हैं, और उन को हमें एक तरीके से और ढंग से बसाना चाहिये और ऐसा करने के लिये एक अच्छा मौका हमारे सामने आया है जिस का कि हमें फायदा उठाना चाहिये। कभी कभी मुसीबत से भी कोई एक अच्छी बात पैदा होती है और जहां बढ़िया से जो गांव बह गये, उन का हम सब को अफसोस है, लेकिन एक मौका है कि जब दुबारा हम गांवों को बसाने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रक्खें और मैं राज्य सरकारों को इस बारे में लिखूंगा। पिछली बार भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से मेरी बात हुई थी तब भी मैं ने उन से कहा था कि हमें अपने गांवों को ठीक ढंग से बसाना चाहिये, पुराने तरीके से बसाने से कोई फायदा नहीं है। मैं श्री टंडन के सुझाव की बहुत कद्र करता हूं और उस के बारे में मैं विभिन्न राज्य सरकारों को लिखूंगा कि वे ऐसे आदर्श गांव बसाने का प्रयत्न करें ....

श्री एस० एल० सक्सेना : क्या सरकार इतने रुपयों में दस लाख मकानात बना सकेगी ?

श्री ए० पी० जैन : दस लाख मकानात नहीं बना सकेगी तो क्या हुआ, चार, पांच गांवों में तो इस की शुरूआत की जा सकेगी।

वैसे यहां पर सवालात तो काफी उठाये गये हैं और समय की कमी के कारण कुछ छूटे जा रहे हैं लेकिन जो बड़े बड़े और खास खास व सवाल थे, उनका मैंने उत्तर दे दिया है और मैं भवन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि और बातों और सुझावों के ऊपर मैं गौर करूंगा..........

एक माननीय सदस्य : क्या दूसरी पंच साला योजना के अन्दर कैटिल और क्रौप इंश्योरेंस के प्रयोग के सम्बन्ध में सरकार कुछ करने वाली है ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां, गवर्नमेंट क्रौप एंड कैटिल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिये कुछ कार्यवाही करेगी।

श्री सी० के० नायर : (बाह्य दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आप की इजाजत से मंत्री महोदय से कुछ शंका समाधान चाहता हूं पहले तो मैं उन से यह जानना चाहूंगा कि वे सीलिंग की बची हुई जमीन व्यक्तिगत रूप से बांटेंगे या कोआपरेटिव सोसाइटीज को बांटेंगे ? इस बारे में क्या नीति है ?

श्री ए० पी० जैन : हमको आपरेटिव फार्मिंग को बढ़ाना चाहते हैं और हर मुमकिन तरीके से उस को इस देश में बढ़ायेंगे और स्थापित करेंगे ।

श्री सी० के० नायर : व्योक्यतयों को बांटते वक्त सीलिंग के अलावा कोई मिनिमम या मैक्सिमम फिक्स करेंगे ? वह मिनिमम से अलग होगा या नहीं ?

Mr. Chairman: These are suggestions which can be sent to the hon. Minister later on.

I understand that the hon. Minister is going to accept one of the substitute motions. What is the number?

Shri A. P. Jain: I have intimated that I will accept No. 25.

Shri N. B. Chowdhury: What about my motion, Sir? It should be put first.

Mr. Chairman: The question is:

That for the original motion, the following be substituted:

"This House having considered the economic policy of the Government of India with special reference to Agriculture, Land and Rural Credit, regrets—

(i) that due and effective steps have not been taken to realise the ideal of 'land to the tiller' by imposition of proper ceilings on individual ownership and cultivation, by a suitable programme of re-distribution of lands including waste lands gratis by providing security of tenure and effecting reduction in rents realised from the existing tenants and sub-tenants;

(ii) that legislation in respect of co-operative farming has been made in a haphazard manner without due regard to its probable effect on the poorer tenants in the absence of a suitable programme of redistribution of land;

(iii) that the objective of social justice has not been attained due to the Government's policy of paying a huge amount of compensation to the big land-lords and demanding the market value of lands from the actual cultivators thereof for the acquisition of permanent occupancy or ownership rights;

(iv) that the steps taken uptill now to provide credit facilities to the peasants are utterly inadequate;

(v) that the Government have failed to evolve a proper price policy to ensure fair and economic price to the growers of various agricultural produce;

(vi) that the peasants have been hit hard by the high rates of rent, irrigation charges, betterment levy etc; and

(vii) that in formulating Government's basic economic policy the inseparable connection between industrial development on the one hand and the problems of land distribution stopping evictions, rural credit, conditions of tenants and agricultural labourers, purchasing power of the peasantry etc. on the other hand has not been given due consideration."

The motion was negatived.

Shri S. L. Saksena: I want, mine also to be put.

Mr. Chairman: Now I will put the motion of Shri S. L. Saksena.

The question is:

That for the original motion, the following be substituted:

"This House having considered the economic policy of the Government of India with special reference to Agriculture, Land and Rural Credit, recommends—

(i) that the Government should encourage cultivation by forming mutual aid teams, which may give place to co-operative and collective farming and ultimate socialisation of land;

(ii) that community projects may be started in every village before the expiry of the first Five Year Plan and planned reconstruction of rural houses after redistribution of land, may be undertaken;

(iii) that in cities where peasants come to market their grain and other produce, peasant homes may be opened where provision is made for their stay and the stay of their carts and animals and sale of their produce through co-operatives so that the present

exploitation may stop and the State Bank may provide adequate rural credit to help the transaction of co-operative societies in these peasant homes;

(iv) that model farms to translate results of latest agricultural research into practice and to acquaint farmers with them may be established in every community project centre;

(v) that arrangements to provide good seeds, fertilisers and farming implements may also be made by village co-operative societies; and

(vi) that ponds, wells and other minor irrigation projects may be subsidised by these co-operatives where there are no irrigation facilities available."

The motion was negatived.

Mr. Chairman: Now, I will put motion No. 25, of Shri Barman, which is being accepted by Government.

The question is:

That for the original motion, the following be substituted:

"This House having considered the economic policy of the Government of India with special reto Agriculture, Land and Rural Credit, expresses satisfaction at the steps taken so far and endorses the policy envisaged for the future."

The motion was adopted.

Mr. Chairman: The other motions fall through.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following two messages received from the Secretary of Rajya Sabha:

(1) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 162 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 3) Bill, 1955 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th September, 1955 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(2) "In accordance with the provisions of rule 125 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 1st October, 1955, agreed without any amendment to the Chartered Accountants (Amendment) Bill, 1955, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 12th September, 1955."

The Lok Sabha then adjourned sine die.